राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ३७वां दिवस [संख्या २२

सोमवार, १ दिसम्बर, १९५८

———

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ६२१

श्री अध्यक्ष प्रश्न। श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ६२२

श्री लक्ष्मीचन्द : राजस्व मन्त्री महोदय नहीं आए। अगला प्रश्न ले लें।

(प्रश्नोत्तर कृपया आगे देखिए)

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी को यह आदेश दे दिया जावे कि वे समय पर आवें।

गृह मंत्री श्री रामकिशोर व्यास) : वे बीमार हैं।

एक माननीय सदस्य : आज तबियत ठीक नहीं है।

मन्त्रियों की काश्मीर यात्रा

६२३ **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर) : क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) इस वर्ष व गत वर्ष राजस्थान के कौन कौन से मन्त्री काश्मीर गए और उन पर कितना कितना सरकारी धन खर्च हुआ ?

(ख) प्रत्येक मन्त्री के साथ कौन कौन व्यक्ति काश्मीर गए और क्या उन सबको साथ ले जाना अनिवार्य था ?

(ग) काश्मीर यात्रा में किन मन्त्रियों ने कितने टी० ए० एडवांस की मांग की और कितनी राशि उनको मिली ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : प्रश्न के उत्तर की सामग्री अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया गया है कि आगामी क्रम पर उसको रख लें।

प्रश्न संख्या ६२४

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ६२५

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ६२६

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री रामकरणसिंह ।

(श्री भैरोंसिंह का श्री रामकरणसिंह की अनुपस्थिति में प्रश्न पूछने खड़े होना, किन्तु प्रश्न संख्या स्मरण न हो सकने के कारण चुप्पी साधने पर सदन में हंसी)

एक माननीय सदस्य : ६२७ ।

कस्टम्स और एक्साइज विभाग का बरखास्त शुदा कर्मचारी

६२७. **श्री भैरोंसिंह** (श्री रामकरणसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या वित्त मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कस्टम एण्ड एक्साइज विभाग द्वारा इस विभाग के श्री श्रवणस्वरूप माथुर को बर्खास्त किया गया था ?

(ख) यदि हां, तो किस आरोप में तथा कब ? इनको विभाग द्वारा किस तारीख को बर्खास्त किया गया था ? कृपया इनके डिसमिसल के ऑर्डर की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस नाम का कोई आदमी कस्टम्स विभाग में नहीं था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : था ।

श्री भैरोंसिंह : इसको बर्खास्त किया गया था या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं किया गया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सच है कि जब कस्टम्स विभाग में यह था तो उसकी सर्विसेज टर्मिनेट की गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बाद में इसका नाम काट दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : उनको पहले, सस्पेन्शन का ऑर्डर दिया गया था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : ऑर्डर सस्पेन्शन के किस कारण से थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके खिलाफ रिश्वत वगैरह के चार्जेज थे ।

श्री भैरोंसिंह : क्या उसे यह ऑर्डर दिया गया था कि या तो इस्तीफा दे दो, नहीं तो बरखास्त कर दिए जाओगे ? और उसकी तामील में उसने इस्तीफा दिया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : डिमोट किया गया था । इन्सपेक्टर से दारोगा बना दिया गया था ।

श्री भैरोंसिंह: मेरा प्रश्न यह नहीं था । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय वह अन्डर सस्पेन्शन पीरियड में था उस समय क्या उसको यह कहा गया कि या तो इस्तीफा

Page No.3

(श्री भैरोंसिंह)

दे दो नहीं तो बर्खास्त कर दिए जाओगे और इसकी तामील में उसने स्तीफा दे दिया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस प्रकार के किसी आर्डर की जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : अन्डर सस्पेन्शन क्या किसी रिश्वतखोरी के मामले में था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह वापिस मुलाजिमत में आ गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक्साइज विभाग में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर किस विभाग में आ गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : शिक्षा-विभाग में गया था । अब वहां है या नहीं मालूम नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या शिक्षा विभाग ने कस्टम्स विभाग से जानकारी प्राप्त की थी कि वह रिश्वतखोरी के मामले में मुअत्तिल किया गया था और बाई फोर्स उसकी सर्विसेज़ टर्मिनेट की गई थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मुझे इस समय नहीं है ।

प्रश्न संख्या ६२८

श्री अध्यक्ष : । श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ६२९

श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री सूरजमल ।

जोधपुर शहर के समीप की खानों का मलबा व कचरा

६३० **श्री सूरजमल** (फलौदी) : क्या उद्योग व खनिज विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जोधपुर के समीप की खानों का मलबा व कचरा ज्यादा बढ़ने से उद्योग व खनिज विभाग मन्त्री ने तारीख ६-७-५७ को मलबा हटाने की व्यवस्था करने के लिये मौका देखा था ?

(ख) क्या यह सही है कि खानों का कचरा व मलबा आदि हटाने का मौका देखने पर उद्योग मन्त्री द्वारा यह विश्वास खानों के ठेकेदारों को दिया गया था कि प्रति खान पर मलबा हटाने हेतु जो २००) रुपया जमा है वह वापिस दे दिया जावेगा ।

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास, उद्योग व खनिज मन्त्री की अनुपस्थिति में): (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

श्री सूरजमल : तो वहां पर मलबा हटाने की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : विचाराधीन है ।

श्री सूरजमल : यह विचाराधीन कब तक पूरा हो जावेगा ?

Page No.4

श्री रामकिशोर व्यास : यह बहुत है, इसमें लाखों रुपया चाहिये। बहुत काम है।

प्रश्न संख्या ६३१

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६३२

श्री बी. एन. जोशी।

(अनुपस्थित)

गिरदावरी में गलत इन्द्राज

६३३ **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Revenue Minister be pleased to state:

(1) Is it correct that Shri Kana Ahir s/o Jodha Ahir of village Bhansawa, Tehsil Phulera is the rightful owner tenant of the land, detailed below :—

(a) Khasra No. 676-36 Rakba.

(b) Khasra No. 677-25 Rakba-61 Kakb ?

(2) Is it correct that the Patwari of the village has registered the Girdawari of the above named plots in the name of certain Jat residents of the same village for the last 2 years ?

(3) Is it correct that this action of the Patwari has encouraged Shri Nola, Kishna, Hukma Jat to forcibly plough these plots of the land and to prevent Sari Kana from entering it under threat of physical violence.

उप-राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) :
(1) Yes.

(2) Yes. But now the Girdawari has been corrected in favour of Shri Kana Ahir.

(3) No.

सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये लोन पर ब्याज

६३४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को जो लोन दिया जाता है, उसकी किश्त समय पर न चुकाने पर उनसे दस प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लिया जाता है ?

(ख) क्या यह सही हैकि पहले साधारणतया पांच प्रतिशत ब्याज सरकार लेती है ?

(ग) क्या यह सरकार ने आदेश जारी किये हैं कि जिस लोन से मकान बने हुए हैं व अर्बन बोर्ड ने जो जमीन दी है, उसे किराये पर नहीं दिया जा सकता है ?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य कर्मचारियों को इस प्रकार से लोन से बने हुए मकानों को किराये पर देने की इजाज़त देने का विचार रखती है, जिससे सरकार की किश्त समय में चुका सकें ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास, योजना मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (क) अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत जो ऋण दिया जाता है उसकी किश्त समय पर न देने पर उस किश्त की रकम पर दस प्रतिशत ब्याज, सबसे, वे चाहे राज्य कर्मचारी हों या न हों, वसूल किया जाता है।

Page No.5

(श्री रामकिशोर व्यास)

(ख) हां, यदि किश्त समय पर दे दी जाय। किश्त समय पर जमा न होने पर उस रकम पर पूरे समय के लिये दस प्रतिशत ब्याज लिया जाता है।

(ग) नहीं, मकान का कुछ भाग किराये पर देने की छूट है।

(घ) नहीं।

प्रश्न संख्या ६३५

श्री अध्यक्ष: रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ी जातियों को मकान निर्माण हेतु वितरण धन-राशि

६३६. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा): क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील सिवाना व पंचभद्रा में सन् १९५६–५७ व ५८ में कुल कितनी धन-राशि समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ी जातियों को मकान निर्माण हेतु बांटी गई ?

(ख) अब ऐसी कितनी धन-राशि शेष है, जो इन दोनों तहसीलों में बांटी जानी है ?

(ग) क्या इन दो तहसीलों के कोई प्रार्थना-पत्र मकान निर्माण हेतु रकम लेने के पेंडिंग हैं ?

(घ) क्या बाड़मेर ज़िले में पिछड़ी जाति की संख्या के अनुपात से जो बजट रखा गया है वह बिल्कुल अपर्याप्त है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) मकान निर्माण हेतु तहसील सिवाना व पंचभद्रा में सन् ५६–५७ व ५८ में कोई धन-राशि समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं बांटी गई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां, ६१ प्रार्थना-पत्र तहसील पचभद्रा के माह जुलाई में प्राप्त हुए थे।

(घ) प्रावधान जिलेवार नहीं रखा जाता।

श्री अनूपसिंह : आपने पहले भाग के उत्तर में बताया कि कोई धन-राशि नहीं बांटी गई। तो बाड़मेर ज़िले को अलग सिंगल आउट करके रख दिया गया; इसका कारण क्या है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वहां से मांग नहीं आई होगी। कोई प्रस्ताव व सुझाव नहीं आया होगा।

श्री अनूपसिंह : मांग नहीं आई होगी, पर जिस वक्त सरकार बजट में प्रोविज़न और जिलों के लिये रख रही थी, उस वक्त सरकार ने यहां की पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के लिये क्यों कोई प्रोविज़न नहीं रक्खा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बाड़मेर में सरकार खुद प्रशिक्षण चला रही है।

श्री अनूपसिंह : आपकी ये संस्थायें तो दूसरी हैं। मकान निर्माण हेतु दूसरी जगहों की यहां के लिये रकम क्यों नहीं रक्खी गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसा तो मांग आने पर ही हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : ६१ प्रार्थनापत्र आये तो हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं स्वयं ही।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वे इस वर्ष ही आये हैं। इस वर्ष यह नीति हमने रक्खी है कि जो पुराने मकान अधूरे हैं उनको ही रकम दी जावे, नये बनाने के लिये नहीं दी जावे। यह अगले साल दी जा सकती है। इसलिए उन दो किश्तों पर इस साल कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

श्री अनूपसिंह : मेरा तो यह कहना है कि मांग हो या न हो, योजना के हिसाब से रकम बांटनी चाहिये आपको। योजना होनी चाहिये कोई। सब जगह के लिये समान योजनाबद्ध कार्य होना चाहिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : योजना भी वहीं के लिये बनती है, जहां कि आवश्यकता होती है।

श्री लक्ष्मीचन्द : किन-किन आधारों पर यह रकम दी जाती है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह भी आवश्यकता कितनी है, कैसी है, किसको है यह सब विचार करके निर्धारित की जाती है। अब प्रार्थना पत्र आये हैं। अगले साल कोशिश करेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : आवश्यकता और सुविधा के अन्दर अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन का क्राइटेरिया नहीं है क्या?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह भी है।

श्री श्रीभानसिंह : इस आधार के अनुसार फिर उस ज़िले में पॉपुलेशन नहीं है क्या? और है तो डिस्ट्रिब्यूट करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते क्या?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : करते हैं, पर तहसीलवाइज़ नहीं करते।

श्री अनूपसिंह : बाड़मेर तहसील के लिये कितनी रकम रक्खी है फिर आपने?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस समय फिगर्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री अनूपसिंह : क्या वहां प्रत्येक अनुसूचित जाति वाले के पास अपने-अपने मकान बनाने के लिये पर्याप्त धन है? सरकार के धन की आवश्यकता नहीं?

प्रतापगढ़ स्कूल भवन के लिए ५००) रु० का का लोन

९३७ **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची): क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बूसी ग्राम पंचायत के भूतपूर्व सरपंच को विकास अधिकारी, देसूरी ने दो वर्ष पूर्व ५००) रु० प्रतापगढ़ स्कूल भवन के लिए दिए थे?

(२) क्या यह भी सही है कि स्कूल भवन अभी तक नहीं बन पाया है और वर्तमान सरपंच ने रुपए मांगे, परन्तु अभी तक नहीं दिये गये?

(३) क्या यह भी सही है कि ज़िला विकास अधिकारी व विकास अधिकारी को कई बार लिखा गया, परन्तु आज तक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं?

विकास मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : माननीय अध्यक्ष, इसका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है; कृपया इसे अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

नायब-तहसीलदार, बाली द्वारा एक जागीरदार से मिलकर हजारों बबूल के पेड़ कटवा देना

६३८. श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले में तहसील बाली के नायब-तहसीलदार ने एक जागीरदार से मिलकर हजारों बबूल के पेड़ कटवा डाले हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(२) क्या यह सही है कि पाली जिले में कुछ जागीरदारों ने पड़त भूमि का नाजायज कब्जा कर रक्खा है और वहां के किसानों से जागीरदार द्वारा हांसिल वसूल करने के बावजूद भी सरकार ने उन किसानों से दुबारा हांसिल वसूल किया ? यदि हां, तो सरकार ने उन जागीरदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की, और उनके द्वारा वसूल किया हुआ हाँसिल किसानों को वापिस दिलवाने का सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

(३) क्या सरकार को मालूम है कि पाली जिले में जागीरदारों ने पड़त भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है ? यदि हाँ, तो कितने एकड़ पर और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां, श्री देवराज नायब तहसीलदार ने अवैधानिक तौर पर लाइसेंस दे दिया था। श्री देवराज रिटायर हो चुके हैं, उनका प्रॉविडेन्ट फन्ड फिलहाल रोक लिया गया है और जांच जारी है।

(२) यह सही नहीं है कि पाली जिले में कुछ जागीरदारों ने पड़त भूमि का नाजायज कब्जा कर रखा है और न यह सही है कि सरकार ने किसानों से दुबारा हांसिल वसूल किया। डिप्टी कलेक्टर, जागीर पाली को लिख दिया गया है कि जिन जागीरदारों ने हांसिल वसूल किया है उनके मुआवजे की रकम से रकम काट ली जावे और फिर वह रकम किसानों को दे दी जावे।

(३) तहसील खारची में जागीर रिज्यूम होने से पहले कुछ जागीरदारों ने ऐसी जमीन को जो कि सैटिलमेन्ट में कदीम व पड़त-भूमि बदीद दर्ज थी अपनी खुदकाश्त में कन्वर्ट करा ली है और उनका कहना है कि दफा १५ राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अनुसार वह उनके खातेदार हो चुके हैं। ऐसे मामलों की जांच तहसीलदार द्वारा की जा रही है। अगर कब्जा नाजायज है तो उनके खिलाफ १८३ राजस्थान टिनेंसी एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी। ऐसे जागीरदार ३ हैं और जमीन ४०० एकड़ है। पाली जिले की बाली तहसील में कुछ जागीरदारों ने पड़त भूमि पर कब्जा किया है। कितने एकड़ ? इसके लिये आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जागीरदारों का क्या नाम है ?

श्री सम्पतराम : क्या।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : उन तीन जागीरदारों के क्या नाम हैं ?

श्री सम्पतराम : जिन्होंने ४०० एकड़ जमीन पर कब्जा किया, उनके नाम ?

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : जी हां।

श्री सम्पतराम : कपालिया, तेवाद और बेला।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : क्या यह सही है कि तेवाद, कपालिया और बेला जागीरदारों ने भूमि पर नाजायज कब्जा किया और उसकी दरख्वास्त तहसीलदार को दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री सम्पतराम : यह मेरी जानकारी में नहीं है। जिनके केसेज़ हैं उनकी तफतीश हो रही है। इनके नाम के बारे में मालूम नहीं है कि वे यहीं हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या माननीय मन्त्री महोदय इन जागीरदारों की जांच कराने की कोशिश करेंगे।

श्री सम्पतराम : हां, उनकी डिटेल्स मालूम होने पर जांच कराई जायेगी।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : क्या सरकार को यह मालूम है कि बाकली के जागीरदार ने १००० बीघा जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है ?

श्री सम्पतराम : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : श्री देवराज नायब-तहसीलदार का पी० एफ० आपने रोका है ?

श्री सम्पतराम : यह निश्चित रूप से बताया जा सकता है कि उनका पी० एफ० रोका हुआ है, और जांच जारी है।

प्रश्न संख्या ६३६

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

तहसील बोली में सन् १६५७ में तकावी वितरण

६४०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील बोंली में सन् १६५७ से कितनी तकावी किस २ प्रकार वितरण की गई ?

(२) क्या उक्त तकावी 'तकावी वितरण कमेटी' की राय से वितरित की गई है ?

(३) क्या तकावी वितरण कमेटी में क्षेत्र के विधान सभाई सदस्य भी हैं ? उक्त कमेटी कब-कब बुलाई गई ?

(४) क्या तकावी, जिस कार्य के लिये वितरित हुई है, उसी कार्य के प्रयोजन में आई है ?

(५) अगर नहीं, तो इसकी कब जांच की जायेगी ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(१) ऑर्डिनेरी तकावी–	१३००)
तकावी 'ग्रो मोर फूड'	२७००)
पुनर्वास विभाग	४००)

व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

(३) जी हां। मीटिंग की तारीखें : —

७, १०, १३, १६, २३, २५, २७ व ३० माह जून तथा १६–७–५७।

(४) जांच की जा रही है।

(श्री सम्पतराम)

(५) जांच की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये).

प्रश्न संख्या ६४१

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामचंद्र।

राजस्थान में साटिया जाति की जिलेवार संख्या

६४२. **श्री रामचन्द्र** (डग) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) साटिया जाति की अधिक संख्या राजस्थान के किन-किन जिलों में पाई जाती है ?

(२) इस जाति को बसाने अथवा अन्य सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सुविधा आदि प्रदान करने में अब तक कितना धन खर्च किया गया ?

(३) इनकी कितनी बस्तियां कहां-कहां बसाई गई हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) सूची संलग्न है।

(२) इस जाति को बसाने अथवा अन्य सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सुविधा प्रदान करने हेतु कोई अलग कार्यक्रम नहीं रखा गया और कोई धन खर्च नहीं किया गया।

(३) इनकी कोई बस्ती अब तक नहीं बसाई गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामचन्द्र : इनकी बस्तियां अब तक नहीं बसाने का क्या कारण है ? क्या सरकार ने इनकी परिस्थिति की कोई जांच कराई है कि इनकी परिस्थिति किस बुरी से बुरी स्टेज़ पर पहुंच चुकी है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उनकी तरफ से, जैसे और जगहों से मांग आती है, बस्ती की कोई अभी तक मांग नहीं आई, इसलिए बस्ती नहीं बसाई गई। यह घुमक्कड़ जाति के लोग हैं और इनके लिए अक्सर अनुभव हुआ है कि यह एक जगह बस्ती बसाना पसन्द नहीं करते हैं। इसके लिए जहां कहीं प्रयोग किये गये हैं वहां कठिनाइयां आई हैं, इसलिए उन्होंने कोई मांग बस्ती के लिये नहीं की और जब तक मांग नहीं आती तब तक उन्हें बसाना खतरे की बात है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के ध्यान में यह है कि साटिया जाति इस बात से अनभिज्ञ है कि इनके रिप्रजेन्टेशन करने पर उनके बसाये जाने की योजना बन सकती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जाति वालों को पता नहीं है, तो दूसरे लोग उनको जागृत कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अपने आप को उनका संरक्षक मानिये और उनके लिए योजना बनाइये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार के सामने कोई योजना रखी जाये तो उस पर विचार किया जा सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : तो सरकार की ओर से

(श्री भैरोंसिंह)

स्वत: उनके बसाने की योजना क्यों नहीं बनाई जाती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सदस्य इसके लिये प्रयत्न करें तो अच्छा है ।

श्री भैरोंसिंह : यह माननीय सदस्यों का या माननीय दा साहब का सवाल नहीं है, यह तो माननीय मंत्री महोदय का कर्त्तव्य है, इसलिए आप जवाब दें ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप लोग सदस्य हैं और दूसरे भी उनके हितैषी हैं आप सभी का कर्त्तव्य है, उनके लिए कोई योजना बनाइये और सरकार के सामने रखिये । सरकार भी ध्यान देगी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के ध्यान में नहीं आया कि साटिया जाति के लोग बसने के लायक हैं और उनको बसाया जाना चाहिए, चाहे उनकी तरफ से कोई रिप्रजेन्टेशन न आये फिर भी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हां, अब आया है इस बात से ।

श्री भैरोंसिंह : अब सरकार ने क्या एक्शन लिया है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह उनकी आवश्यकता और उनकी आर्थिक स्थिति के ऊपर ही निर्णय किया जाता है और जहां बहुत इच्छा पाई जाती है और सुविधा होती है वह पहलें कोशिश की जाती है बसाने के लिये । वैसे सरकार सब को बसाना चाहती है आगे-पीछे ।

श्री गोरधनसिंह : भरतपुर ज़िले में इतने कितने कबीले हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ६४३

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

संचालक, जन सम्पर्क कार्यालय का फिक्सेशन

६४४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) संचालक, जन-सम्पर्क कार्यालय का फिक्सेशन कब हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि इनका फिक्सेशन जिन नियमों के आधार पर हुआ है उनके अन्तर्गत फिक्सेशन केवल १ नवम्बर, सन् १९५६ से पूर्व ही हो सकता था ? यदि हां, तो फिर इस तारीख के बाद इनका फिक्सेशन क्यों किया गया ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) संचालक, जनसम्पर्क कार्यालय का फिक्सेशन रेशनेलाइज्ड वेतन स्तर में जुलाई १९५६ में किया गया ।

(२) जी नहीं ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि १ नवम्बर, १९५६ के बाद स्टेट्स रीऑर्गेनाइज़ेशन एक्ट के सेक्शन १० के मुताबिक राजस्थान गवर्नमेंट को बैक इफेक्ट से कन्फर्म करने के अधिकार नहीं हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह केस तो पी० एस० सी० में पेन्डिंग है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या सरकार को इस एक्ट के बाद इस बात का अधिकार था कि नहीं कि १ नवम्बर, ५६ के बाद किसी व्यक्ति को कन्फर्म कर दे ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्यों नहीं था ?

श्री पी० के० चौधरी : With back effect ?

श्री रामकिशोर व्यास : केस पेन्डिंग है। पी० एस० सी० की रिकमन्डेशन आई इसलिए एक्सैप्ट कर लिया।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है, सेक्शन १० में कहा गया है "From November, 56 the old State of Rajasthan and Ajmer will cease to effect and the new State will take effect." So after the new State has come into existence, why do you give effect from back date ?

श्री रामकिशोर व्यास : सेक्शन तो टेक्निकली में क्वोट नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ हुआ था, वह उचित कार्यवाही थी।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

कस्बा भीलवाड़ा की आराजी नम्बर २६८२ तथा २६३० की भूमि

६४५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे -

(१) कस्बा भीलवाड़ा की आराजी नम्बर २६८२ तथा २६३० में कितनी कितनी भूमि कब से किस किसके कब्जे में है ?

(२) इस भूमि पर काबिज काश्तकारान का कब्जा किस प्रकार से हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि इस भूमि पर कब्जा किसी सरकारी आदेश के कारण स्थानीय अधिकारियों ने कराया ? यदि हां, तो वह आदेश क्या था ?

उप-राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) आराजी नं० २६८२ में से : १. १३।। सम्वत् २०१४ से श्री पमनदास सिंधी

२. १।। सन् १९५७ से श्री छीतरमल त्रिपाठी के कब्जे में है और आराजी नं० २६३० में से

१. ३।।। सन् १९५७ श्री छीतरमल त्रिपाठी

२. ५ सन् १९५७ श्री सुगनमल पिता मोतीलाल रांका के कब्जे में है।

श्री भैरोंसिंह : सुनाई नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : आजकल आपकी (श्री सम्पतराम से) आवाज़ बहुत धीमी पड़ गई है। जरा तेज़ बोलिये।

श्री सम्पतराम : (२) १. श्री पमनदास सिंधी, इनकी जमीन पुलिस लाईन भीलवाड़ा में समाप्त होने के कारण बदले में दी गई।

२. श्री छीतरमल त्रिपाठी।

Page No.12

(श्री सम्पतराम)

भूमि वितरण नियम सन् ११५३ के आधार पर।

व

३. श्री सुगनचन्द रांका ।

(३) जी नहीं। प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : यह छीतरमल रांका जो आराजी नं० २६३० पर काबिज हैं उनको भूमि किस प्रकार से प्राप्त हुई थी और प्राप्त होने के पहले किसके अधिकार में थी ?

श्री सम्पतराम : यह तो अलॉटमेन्ट किया गया है और यह अलॉटमेन्ट किये जाने पर गवर्नमेन्ट के अधिकार में थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाये कि अलॉटमेन्ट के पहले यह भूमि सरकार के कब्जे में थी और काश्तकारों के कब्जे में नहीं थी ?

श्री सम्पतराम : काश्तकारों के कब्जे में होती तो अलॉटमेन्ट करने का प्रश्न ही नहीं बैठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह जमीन इन दो कार्यकर्ताओं को काश्तकारों को बेदखल करके दी गई है ?

श्री सम्पतराम : यह जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वहां तहसीलदार ने गलती से कहो या और किसी कारण से, दूसरे के नाम थी। उसके नाम अलॉट कर दी गई थी और उसी जमीन का अलॉटमेन्ट दूसरे के नाम से हुआ। यह डिस्प्यूट जरूर डी० एम० के कोर्ट में है।

श्री भैरोंसिंह : जिस आदमी को तहसीलदार ने अलॉट की थी, क्या सही है कि उस व्यक्ति के पास यह जमीन नहीं होकर एक दूसरे व्यक्ति के पास है, जिसके लिए अलॉटमेन्ट का कोई ऑर्डर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मामला सबजुडिस है।

श्री भैरोंसिंह : सबजुडिस कहां, तहसीलदार के पास है।

श्री अध्यक्ष : मुकदमा चल रहा है। दोनों के बीच में क्लेम चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने ऐसे आदमी को कब्जा दे दिया जिसके ऊपर उसका कब्जा नहीं है। तहसीलदार ने उस काश्तकार को बेदखल करके एक कार्यकर्ता के अधिकार में वह जमीन दे दी।

गजटेड अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

*६४६. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा):

Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) How many gazetted Officers have been re-employed by the State Government or retired officers of other States appointed during last three years, after they attained their age of superannuation ? A list of such Officers showing the periods for which they were re-employed may be supplied.

(b) Has the Government no suitable persons to promote or post against the vacancies, wherein these re-employed officers are working ?

(c) Is it correct that the following retired officers who have been

Page No.13

(श्री पी० के० चौधरी)

given re-employment are still serving under the Government :

(1) Shri B. N. Tankha, I. A. S. O. S. D. Jaipur.

(2) Shri A. A. Kherie, R. A. S., O. S. D., Revenue Department.

(3) Shri P. N. Kaul, R. A. S. Administrator, Jaipur Municipality.

(4) Shri Yadram, Accounts Officer, Secretariat.

(5) Shri A. R. Sethi, Administrator & Accounts Officer, Power House.

(6) The Principal, Accounts Training School, Jaipur.

(7) Shri M. S. Goel, Accounts Officer, Forest Department, Jaipur.

(8) Mr. Sen, Chief Conservator of Forests, Jaipur.

(9) Shri Dwarkanath Mehra, Accounts Officer, Rehabilitation Department.

(10) Mr. Srivastav, Joint Director of Education, Bikaner.

(11) Shri R. G. Gupta, Joint Director of Education (Basic education), Bikaner.

How long the Government intends to continue these persons in service ? What is their present age ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास : मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) :—(a) According to the information readily available 94 gazetted Officers were reemployed. Statement (A) showing the periods for which such officers were reemployed is placed on the table of the House.

(b) There is a dearth of suitable experienced officers especially in technicald epartments necessitating re-employment of retired officers.

(c) Yes. All excepting Shri Yad Ram Chaturvadi and Shri D. N. Mehra are still reemployed and will be replaced as soon as it is possible to replace them. The age of these officers is mentioned in the statement (B) which is placed on the Table of the House.

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : Before re-employing these officers whether these posts were advertised or not ?

श्री रामकिशोर व्यास : No.

श्री पी० के० चौधरी : How do you conclude that there is a dearth of qualified persons ?

श्री रामकिशोर व्यास : We know tt.

श्री पी० के० चौधरी : Moreover you said that there is a dearth in the technical departments. But I can see from this list the rest in the non-technical department...

श्री रामकिशोर व्यास : most of them are in the Technical Departments...

Page No.14

(श्री रामकिशोर व्यास)

मेडिकल डिपार्टमेन्ट में हैं .... २६ ।

एकाउन्ट्स में हैं .... १६ ।

पी० डब्लू० डी० हैं .... १३ ।

एज्युकेशन में हैं .... २० ।

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ६ हैं । आर. ए. एस.................

श्री पी० के० चौधरी : Mostly Assistant Engineers and others. Are they not replacable ?

श्री रामकिशोर व्यास : डर्थ है, कमी है ।

श्री पी०के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि श्री किशोरीलाल माथुर को एक्स्टेन्शन दिया गया है ३ साल के लिए जो कि लिस्ट में आपने नहीं बताया है ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग सवाल है । पर्सनली मेरी नॉलेज में नहीं है । शायद हो गया हो । नोटिस चाहिए इसके वास्ते ।

प्रश्न संख्या ६४७

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

खनिज विभाग के डाइरेक्टर द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरे

६४८. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर) : क्या मन्त्री, खनिज विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) खनिज विभाग के डाइरेक्टर पिछले तीन वर्षों में कितने दिन हैड क्वार्टर से बाहर रहे ? उनमें से कितने दिन जयपुर रहे ?

(२) जयपुर के कुल दौरों में से उन्होंने कितने दौरे सरकारी मोटर से किये ?

(३) रेल के बजाय मोटर के दौरों से सरकारी धन कितना व्यय हुआ ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास, मुख्य एवं खनिज मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) तीन वर्षों में (अप्रेल ५५ से मार्च ५८ तक) ४८८ दिन बाहर रहे । उसमें से २२६ दिन जयपुर रहे ।

(२) पांच बार ।

(३) इन दौरों पर इटेलियन विशेषज्ञ के साथ मकराना, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, हिण्डौन, कोटा, रामगंज मण्डी व झालावाड़ प्रोस्पेक्टिंग किये जाने वाले स्थानों व खानों का निरीक्षण किया गया ।

प्रश्न संख्या ६४६

श्री अध्यक्ष : श्री गज्जा पटेल ।

(अनुपस्थित)

ग्राम रोपी, जिला जालौर में मार्बल के लिये प्रार्थना-पत्र

६५०. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर) : (१) क्या मन्त्री, खनिज विभाग, निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम रोपी, जिला जालौर में मार्बल के डिपॉजिट्स हैं ?

(२) यदि हां, तो इसकी लीज लेने के लिये किस किस व्यक्ति ने किस किस रेट पर व कितने क्षेत्र के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं ?

Page No.15

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

(३) क्या यह क्षेत्र लीज पर दे दिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास, मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) जी हां ।

(२) केवल मेसर्स मोहम्मद एण्ड सन्स ने एम० सी० आर० ४६ के अनुसार १।२ वर्ग मील के लिए प्रार्थना पत्र दिया ।

(३) जी नहीं । अब तक मार्बल माइनर मिनरल माना गया है और माइनर मिनरल रूल्स के अनुसार रॉयल्टी देने की शर्त पर ही लीज दिया गया है । प्रार्थी इसको माइनर मिनरल मान कर लेने से इन्कार है ।

प्रश्न संख्या ६५१

श्री अध्यक्ष : श्री गिद्धिचन्द ।

(अनुपस्थित)

करनपुर विकास खण्ड द्वारा ईंटों का वितरण

६५२. श्रीमती सतवंतकौर (करनपुर) : क्या विस्तार सेवा खण्ड मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) करनपुर खण्ड अधिकारी द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितनी पक्की ईंटों का वितरण किया गया ?

(ख) इन ईंटों से कितना कमीशन और किश्तें वसूल कीं ?

(ग) क्या यह सच है कि यह कमीशन ब्लॉक अधिकारी ने अपने नौकरों के नाम से स्वयं वसूल किया ?

उप-विकास मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) कोई कमीशन नहीं लिया गया ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : जो कमीशन दिया है और माननीय सदस्यों की ऐसी राय है कि जो कमीशन दिया गया है वह गलत है तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री सम्पतराम : यह तो आपका प्रिजम्पशन है । यदि कोई शिकायत सामने आयेगी तो जांच की जायगी ।

श्रीमती सतवन्तकौर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जितने भी सवाल रखे हैं सबका कोई सही उत्तर नहीं दिया गया । ऐसे ही कह दिया जाता है । जब मैं वहां जाती हूं तो जनता चिल्लाती है और कहती है कि हमारा सत्यानाश कर दिया और कोई काम नहीं किया गया । वहां इतना पैसा गबन किया है और जब सवाल प्रस्तुत होता है तो कहा जाता है कि कुछ नहीं हुआ है । यह मेरी समझ में नहीं आता है ।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर से सबको सन्तोष देता हूँ । अगर इनको नहीं हुआ हो तो यह मेरा दुर्भाग्य है । अगर कोई धांधली की बात हो तो जांच की जा सकती है । जहां तक इस क्वेशन का सम्बन्ध है मैंने सूचना दे दी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ईंटों

(श्री सम्पतराम)

के वितरण में नियमानुसार कमीशन लिया जा सकता है ?

श्री सम्पतराम : यह नियम का सम्बन्ध है। नियमों को आप स्वयं देख सकते हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : नियमानुसार लिया जा सकता है या नहीं ? आप बताइये लिया जा सकता है या नहीं ? इस क्वेश्चन का रिप्लाई देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : किन नियमों के अनुसार ?

श्री भैरोंसिंह : वितरण करने के नियमों के अनुसार।

श्री अध्यक्ष : आपकी (श्री सम्पतराम से) जानकारी में हो तो बता दें।

श्री सम्पतराम : मेरी जानकारी में नहीं है। Whatever rules have been published, every member is expected to know them.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, पोजीशन यह है कि दोनों मन्त्रियों को पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble members are expected to know but not the Ministers.

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : इसका जवाब तो आना चाहिए, मन्त्री महोदय की तरफ से ? क्या यह सही है कि वितरण के नियमों के अनुसार कमीशन लिया जा सकता है, और तहसीलदार को सरकार ने कमीशन लेने का आदेश दिया है।

श्री अध्यक्ष : नियम उनके पास नहीं हैं। उनको जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : किनके पास नहीं हैं ? क्या यह समझा जाय कि इस विषय में सरकार के कोई नियम नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी उनके पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वे कहते हैं कि नियमों से ज्यादा परिचित हैं, उप-मन्त्रीजी। इसलिए वे बता दें।

(हंसी)

पटवार सर्किल पींगलोद और सलेमाबाद में सहणों की संख्या तथा उम्र सम्बन्धी

६५३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पटवार सर्किल पींगलोद और सलेमाबाद में कौन कौन सहणे हैं तथा उनकी उम्र कितनी कितनी है ?

(२) ५५ वर्ष से ज्यादा के सहणे को रिटायर नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उप-राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) पटवार सर्किल पींगलोद में श्री हनुमान उम्र २५ वर्ष ८ महीने और सलेमाबाद में श्री गुलाबदास ५३ वर्ष ४ महीने।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ६५४

श्री अध्यक्ष ; श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

तहसील लालसोट के प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी

६५५. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील लालसोट में कितने प्राथमिक स्कूल्स हैं और वे कौन कौन सी कक्षाओं तक चल रहे हैं ?

(२) प्रत्येक स्कूल में कक्षावार कितने छात्र हैं और उन पर कितने अध्यापक हैं ?

(३) क्या इस छात्र संख्या को देखते हुए अध्यापक पर्याप्त हैं ?

(४) यदि नहीं, तो यह कमी कब से चली आ रही है और अब कब तक दूर होगी ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) ३८। कक्षाएं सूची में अंकित हैं।

(२) सूची में अंकित हैं।

(३) जी हां, सिवाय एक स्कूल के।

(४) इस एक स्कूल में कमी इसी साल से हुई है और आजकल में ही दूर कर दी जायगी।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

प्रश्न संख्या ६५६

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

राजगढ़ तहसील के कुछ ग्रामों में बने कुण्ड

६५७. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के कुछ ग्रामों में लोगों के पीने के पानी के वास्ते आबादी क्षेत्र से बाहर कुण्ड बनाये हुए हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि ये कुण्ड कई वर्ष पहले के बने हुए हैं ?

(३) क्या यह भी सही कि तहसीलदार ने अब इन कुण्डों के मालिकों पर मुकदमा कायम किया है ?

(४) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों पर ?

(५) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार ने कुछ कुण्डों को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करके उनके मालिकों को पीने के पानी से वञ्चित कर दिया है ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है, इसलिए इसको नेक्स्ट टर्न पर रख दिया जाय।

श्री मोहरसिंह : कब जवाब दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह में आपके टर्न पर।

प्रश्न संख्या ६५८

श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

नीमलावाला आयरन ओर का लीज, दौसा क्षेत्र

६५६. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) :

(श्री भैरोंसिंह)

क्या मन्त्री, खनिज विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) दौसा क्षेत्र में नीमलावाला आयरन ओर का लीज़ किस व्यक्ति के नाम पर किस तारीख से है ?

(२) लीज़ किन नियमों के आधार पर दिया गया है ? क्या यह सही है कि लीज़ देने में सामान्य नियमों का पालन नहीं किया गया ? कृपया इन नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) इस लीज़ के पूर्व इस ओर का लीज़ किसको मिला हुआ था ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास, मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) मैसर्स, जयपुर मिनरल डेवलपमेन्ट सिन्डीकेट प्राइवेट लि०, जयपुर के नाम दिनांक ५–१०–५७ को और मैसर्स मुरलीधर झुन्झुनूवाला प्राइवेट लि० के नाम दिनांक २६–७–५८ को।

(२) लीज़ एम० सी० आर० सन् ४६ के आधार पर नियमानुसार दिया गया है। एम० सी० आर० की प्रतिलिपि सदन की मेज रख दी गई है।

(३) इससे पहले इस एरिया में लीज़ इस मिनरल के हेतु किसी और को नहीं मिली हुई थी।

श्री भैरोंसिंह : इसकी लीज़ किसी दूसरे को नहीं मिली हुई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस पर्पज़ के लिए नहीं मिली हुई थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या किसी दूसरे काम के लिये मिली थी ? यह दूसरा आदमी कौन था ?

श्री रामकिशोर व्यास : सोप स्टोन वगैरह के लिये हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि लीज़ देने के पहले नियमानुसार सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : नियमानुसार कार्यवाही की गई है, एम० सी० रूल्स हैं उनके अनुसार कार्यवाही की गई है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने यह पूछा है कि इस मामले में नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई, क्या यह सच है ?

श्री रामकिशोर व्यास : स्पेसिफिकल केस के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो उसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सार्वजनिक सूचना दिये बिना लीज़ देना नियम के प्रतिकूल है और इसमें इस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : रूल्स के अनुसार कार्यवाही की गई है। आपने स्पेशल पॉइन्ट रेज़ किया है कि नोटिफिकेशन निकला था या नहीं पब्लिक के लिये, यह अलग जानकारी की बात है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार किस आधार पर कहती है कि नियमों की तामील हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हमारे पास जो ऑफिस की सूचना है उसके अनुसार।

Page No.19

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऑफिस की सूचना के अनुसार सार्वजनिक सूचना दी गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : नियमानुसार जो ज़रूरी था वह किया गया।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : क्या सरकार के पास ऐसी सूचना है कि नीमला से हज़ारों टन आयरन बगैर लीज़ के निकाल कर ले गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्या फर्माया ?

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : क्या सरकार के पास सूचना है कि इस एरिया से एक व्यक्ति हज़ारों टन आयरन ओर बिना लीज़ के निकाल कर ले गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि लीज़ शुरू होने से पहले ही उस आदमी ने वर्क करना शुरू कर दिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कई व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं, इसकी जांच करने के लिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : रूल्स के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि लीज के नियमों के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई या नियमों का पालन नहीं किया गया, इस आशय की शिकायतें सरकार के पास कई व्यक्तियों ने पेश की और उनकी जांच करवाई ?

श्री रामकिशोर व्यास : नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया, नियम के अनुसार ही कार्य किया गया।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : मैंने खुद ने इस बात की शिकायत की थी कि हज़ारों टन आयरन ओर एक आदमी ने बिना लीज़ के निकाल लिया है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि लीज़ शुरू होने से पहले इजाज़त दे दी गई निकालने की और हजारों टन निकाल ले गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जानकारी की जरूरत है ?

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : मैंने सरकार को सूचना दी थी, उसका क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : आपकी नॉलेज में है या नहीं कि एक एम० एल० ए० ने शिकायत की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपको याद नहीं रहता होगा।

प्रश्न संख्या ६६०

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

बाजार में दूकान खोलने के लिये नगरपालिका की स्वीकृति लेना

१६१. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या पुनर्संस्थापन मन्त्री लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बाज़ार में थड़ी रखने या दूकान लगाने के लिये नगरपालिका की स्वीकृति लेनी पड़ती है ?

(२) क्या यह सत्य है कि चांदपोल बाजार में श्री निरंकार फार्मेसी के सामने ८५ नम्बर की थड़ी अनधिकृत रूप से रखी गई है ?

(३) क्या इसकी शिकायत जयपुर नगरपालिका अध्यक्ष, एवं उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग को की जा चुकी है ?

(४) अब तक भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

उप पुनर्संस्थापन-मन्त्री (श्री सम्पतराम) :
(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि नगरपालिका के अध्यक्ष ने थड़ी की जांच करके बताया था कि यह कार्यवाही अवैधानिक है इसलिये थड़ी हटा दी जाय ?

श्री सम्तपराम : नगरपालिका के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाजार में थड़ी लगा सकते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या नगर-पालिका की स्वीकृति लेना वाजिब नहीं है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नं० २ का उत्तर क्या दिया ?

श्री सम्पतराम : जी नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या नगर-पालिका की इजाजत लेने की आवश्यकता होती है ? क्या इस थड़ी की इजाजत दी गई है ?

श्री सम्पत्तराम : जहां तक म्यूनिसिपेलिटी के इजाजत की जरूरत का सवाल है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन थड़ी लगाने में कोई आपत्ति नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या उप मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश दिया था कि वहां पर थड़ी लगाना अनियमित हैं, इसलिये उसे हटा दिया जाय ?

श्री सम्पतराम : इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूं।

डॉ० चन्द्रकला : प्रश्न का भाग (३) साफ है 'क्या इसकी शिकायत जयपुर नगरपालिका अध्यक्ष एवं उप मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग को की जा चुकी है ?' इसका जबाब मिलना चाहिये। यदि शिकायत की गई तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सम्पतराम : स्पष्ट बात है, मैंने उत्तर दे दिया है। यदि स्वायत्त शासन विभाग में पेन्डिग हो तो मुझे पता नहीं। वहां से पूछना चाहिये था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न के भाग (२) का जबाब आपने दिया 'नहीं है'। यह आप किस आधार पर कह रहे हैं ? प्रश्न

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह पूछा गया : क्या यह सत्य है कि चान्दपोल बाज़ार में श्री निरंकार फार्मेसी के सामने ८५ नम्बर की थड़ी अनधिकृत रूप से रखी गई है; इसका जवाब आपने दिया है 'नहीं है', यह आप किस आधार पर कह रहे हैं जबकि नगर-पालिका के अध्यक्ष की रिपोर्ट है कि अनऑथोराइज्ड है ?

श्री सम्पतराम : हमने रिपोर्ट मांगी और जांच करवाई, उसके आधार पर कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने किससे रिपोर्ट मांगी और किससे जांच कराई ?

श्री सम्पतराम : रिहैबिलिटेशन विभाग से।

डॉ० चन्द्रकला : क्या उप-मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग ने जो ऑर्डर दिया था कि यह अनियमित है इसे हटाया जाय; वह ऑर्डर गलत था ?

श्री सम्पतराम : यह बिल्कुल इनडेफनिट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट में क्या मामला है यह मैं नहीं कह सकता। रिहैबिलिटेशन के पॉइन्ट ऑफ व्यू से मैंने जवाब दिया कि थड़ी ठीक है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या म्युनिसिपेलिटी से जानकारी की गई ?

श्री अध्यक्ष : अनऑथोराइज्ड हो तो हटा सकते हैं।

श्री सम्पतराम : उप स्वायत्त शासन मन्त्रीजी कहते हैं अनियमित है तो उनसे प्रश्न पूछना चाहिये था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जांच किसकी करवाई ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ६२१ का जवाब मिल जाय तो अच्छा हो।

सब-डिविजनल ऑफिसर, फतेहपुर की नागरिकों द्वारा शिकायत

६२१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री दयाकृष्ण विजय की अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सब डिविज़नल ऑफिसर, फतेहपुर के कार्य एवं व्यवहार के विरोध में फतेहपुर सब-डिविज़न के नागरिक लगातार शिकायतें करते आ रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि वहां पर नागरिकों ने अनशन हड़ताल एवं सामुहिक प्रदर्शन भी किये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि सब डिविज़नल ऑफिसर, फतेहपुर के कई बार स्थानान्तरण के आदेश दिये जा चुके हैं तथा पुनः स्थगित कर दिये गये हैं ? यह अदेश कब कब दिये गये हैं व क्यों स्थगित किये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास, राजस्व मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) फतेहपुर के कुछ नागरिकों ने सब-डिविज़नल ऑफिसर, फतेहपुर के खिलाफ शिकायत सरकार के पास भेजी है।

(२) यह ज्ञात हुआ है कि एक व्यक्ति ने कुछ दिन अनशन किया था और अब उसको तोड़ दिया है।

(३) हां, चार बार, दिनांक ७-७-५६,

Page No.22

(श्री रामकिशोर व्यास)

२४-१०-५६, १४-८-५७ तथा २२-६-५८ प्रशासनिक कारणों के कारण स्थानान्तरण के आदेश स्थगित किये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह(१४): क्या यह सही है कि आखिरी २२-६-५८ का ट्रान्सफर इस कारण से स्थगित कर दिया गया कि उक्त एस० डी० एम० के कारण से सदन के नेता को दो वोट मिल रहे थे, इसलिये ट्रान्सफर कैंसिल किया गया?

श्री रामकिशोर व्यास : बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : फिर कारण क्या है कि चार बार ट्रान्सफर करने के बाद भी कैंसिल किया जाता है?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रशासनिक कारण।

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक कारण।

श्री भैरोंसिंह : ऐसे कौन से कारण थे, जिनकी वजह से ट्रान्सफर के ऑर्डर्स ज़ारी किये गये और फिर कैंसिल किये गये; कौन सी ऐसी स्थिति थी?

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक कारण।

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह : Were these administrative reasons not taken into consideration before they were issued?

श्री रामकिशोर व्यास : यह गवर्नमेन्ट के सोचने की बात है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि स्थानान्तरण के ऑर्डर्स इस कारण से ज़ारी हुए कि उक्त एस. डी. ओ. के खिलाफ काफी शिकायतें थीं और वहां की जनता ने इसके लिए मांग की थी?

श्री रामकिशोर व्यास : क्या फर्माया?

श्री भैरोंसिंह : आप नहीं सुनते हैं तो क्या मैं दुबारा कहूंगा? You should be attentive. क्या यह सही है कि जिस समय स्थानान्तरण का आदेश हुआ उस समय उक्त एस. डी. ओ. के खिलाफ काफी शिकायत थी और इस कारण से उसका चार बार स्थानान्तरण किया गया?

श्री रामकिशोर व्यास : शिकायत पहले आई थी, लेकिन उस बिनाह पर स्थानान्तरण नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस शिकायत की जांच कराई गई?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, जांच कराई गई।

श्री भैरोंसिंह : उसका क्या नतीजा हुआ?

श्री रामशिोर व्यास : शिकायत साबित नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : आपने किस अधिकारी से जांच कराई। मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूँ कि जितनी बार उसकी शिकायतें हुई उनमें से एक बार भी उसकी जांच नहीं कराई गई। केवल पोलिटिकल आधार पर उसकी जांच नहीं कराई गई। उसके कारण से वहां के दो एम. एल. एज़. के वोट मिलने वाले थे, इसलिए बार बार उसका ट्रान्सफर स्थगित हुआ?

Page No.23

श्री ज्वालाप्रसाद : On a point of order, Sir, this sort of insanuating remarks should not be allowed.

श्री भैरोंसिंह : मैं प्रूव कर सकता हूं; I can prove this.

श्री ज्वालाप्रसाद : This is not supplementary at all. It should not be allowed.

श्री अर्जुनदास : इस ढंग से नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कहा जा सकता।

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा : उक्त एस. डी.-ओ. का नाम क्या है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

सांचोर तहसील में राजस्व वसूली

६२२. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर की सांचोर तहसील में जागीरें सुराचन्द, दुठवा, पांती विरोल सिरदारसिंह वगैरह तारीख १२-६-५६ को रिज्यूम नहीं की गई हैं और उसकी वसूली सरकार ने करा दी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी और कौन कौन सी जागीरें हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या सरकार बिना रिज्यूम किये वसूली कर सकती है ? यदि नहीं, तो इस प्रकार की गैरकानूनी कार्यवाही करनेवाले के खिलाफ क्या कदम उठाया गया है ?

(३) क्या यह सत्य है कि सरकार की गलती होते हुए भी रकम वापिस देते वक्त, साढ़े सात पर्सेन्ट वसूल शुदा रकम से काटा जाता है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(४) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त जागीरदारों को अभी तक रकम का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर ब्याज देने को तैयार है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : जिला जालोर, तहसील सांचोर की जागीरें सुराचन्द व दुठवा दिनांक १२-६-५६ से पुनर्ग्रहण की गई थीं। परन्तु बाद में महकमे बन्दोबस्त से यह ज्ञात होने पर कि इन जागीरों के कुछ पट्टे के गांव गैरबन्दोबस्ती हैं इनकी वापिस बहाल करने की कार्यवाही की गई और इनको १२-६-५६ के बजाय १-७-५७ से खालसा मानी गई और संवत् २०१३ में वसूल की गई रकम जागीरदारों को वापिस देने के आदेश तहसीलदार के पास भेज दिये गये हैं। इस ही प्रकार जागीर टापी व बेडिया के बारे में कार्यवाही की गई। पांती टिरोल श्री सिरदारसिंह दिनांक १२-६-५६ से ही रिज्यूम मानी गई है, इसलिये वापसी का सवाल ही नहीं उठता।

(२) बिना जागीर पुनर्ग्रहण किये राज्य सरकार वसूली नहीं कर सकती। उपरोक्त जागीरें पहले ही पुनर्ग्रहण हो चुकी थी और उनके कुछ गांव जो दूसरे जिलों में थे गैर बन्दोबस्ती होने के कारण इन जागीरों को १२-६-५६ के बजाय १-७-५७ से पुनर्ग्रहित माना गया। अतः इस परिस्थिति में जो भू-राजस्व की वसूली की गई वह गैर-कानूनी नहीं कही जा सकती।

(३) वसूलशुदा भू-राजस्व की रकम

Page No.24

(श्री सम्पतराम)

इस प्रकार वापस करते समय वसूली खर्चा ७ प्रतिशत से काटा जाता है।

(४) जी हां। अभी भुगतान नहीं हुआ है। इस प्रकार की रकमों पर ब्याज देने का नियम नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार के ध्यान में है कि पांती बिरौल श्री हुकमसिंह और पांती बिरौल श्री सरदारसिंह की १ हजार से कम की आय होने के कारण १२–६–५६ को रिज्यूम नहीं की गई लेकिन वसूली की कार्यवाही की गई ?

श्री सम्पतराम : रिज्यूम होने के बाद रिलीज कर दी गई होगी।

श्री लक्ष्मीचन्द : रिज्यूम नहीं हुई, लेकिन वसूली करवाई है ?

श्री दामोमरलाल व्यास : बहुत सी जागीरें रिज्यूम हुईं, उनमें से कुछ की इत्तिला गलत हो सकती है, इन्कम के फिगर्स गलत हो सकते हैं।

श्री लक्ष्मीचंद : क्या यह सही है कि इनकी एक हजार से कम आय थी इसीलिए इनके लिए नोटिफिकेशन नहीं निकाला ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नोटीफिकेशन अलग अलग जागीरों का नहीं निकाला जाता हैं। नोटिफिकेशन इन्कम के बेसिस पर निकालते हैं, उसमें गलतफहमी हो सकती है।

श्री लक्ष्मीचंद : इन्कम को गलत शुमार नहीं किया गया। पांती बिरौल श्री हुकमसिंह की रिज्यूम नहीं की, लेकिन वसूली करा दी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वसूली करवाई गई, रिज्यूम कर लिया गया, यह क्यों किया गया, यह अलग से प्रश्न है।

श्री लक्ष्मीचंद : क्या यह सही है कि १२–६–५६ को यह रिज्यूम नहीं हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, हमारी सूचना है कि रिज्यूम हुई थी।

श्री लक्ष्मीचंद : मैं सूचना देता हूं कि १२–६–५६ को रिज्यूम नहीं हुई, बल्कि १–७–५७ को रिज्यूम हुई।

श्री दामोदर लाल व्यास : That is amended notification, यह बाद में हुआ है। पहले इसे गलत इत्तिला के बिना पर रिज्यूम कर दिया गया लेकिन बाद में रिलीज कर दी गई।

श्री लक्ष्मीचंद : रिज्यूम नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कह दिया। आप भले ही रिज्यूम नहीं मानें लेकिन वे मानते हैं, चाहे गलत बेसिस पर हुआ हो।

श्री अनूपसिंह : वसूली का खर्चा जो साढ़े सात पर्सेन्ट हुआ, वह वापिस दिया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मीचंद : कब से विचाराधीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब से खर्चा काटने की बात तय हुई।

Page No.25

श्री अनूपसिंह : विचाराधीन क्यों रहना चाहिए ? जागीरदार ने कहा नहीं कि वसूली करवाइये !

श्री दामदोरलाल व्यास : सरकार ने वसूली करवाई है।

श्री लक्ष्मीचंद : सरकार की गलती से वसूली हुई तो उस आदमी का पैसा क्यों काटा जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गलती नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ६२४ रह गया है।

स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर को ३० लाख का लोन

६२४. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या मुख्य मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि राजस्थान सरकार ने स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर को देवस्थान विभाग कोष से ३० लाख रुपया जयपुर में टैक्सटाइल मिल लगाने हेतु दिया है ?

(२) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि यह ३० लाख रुपया केन्द्रीय सरकार एवं योजना आयोग की स्वीकृति के बगैर ही दिया गया ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि उक्त ३० लाख रुपया कन्सोलिडेशन फण्ड्स का न होने के कारण वित्त विभाग के एतराजों की उपेक्षा कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने उदयपुर में टैक्सटाइल मिल लगाने का लाइसेन्स दे दिया है ? यदि नहीं दिया, तो फिर ३० लाख रुपया क्यों दिया गया ?

(५) क्या यह सत्य है कि सरकार ने श्री-सुन्दरलाल रानीवाल पर दबाव डाला है कि वह स्वदेशी कॉटन मिल्स से मिल कर कार्य करे ? यदि ऐसा न हो तो स्वदेशी मिल्स, कानपुर अपनी पुरानी मिल को ही उदयपुर में लगा ले ? यदि हां, तो ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

(६) क्या यह सत्य है कि टैक्सटाइल मिल के लिये उदयपुर में विद्युत् नहीं है।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) ३० लाख रुपये का कर्ज स्वीकृत हुआ है, उसमें से केवल ८ लाख रुपया रोकड़ी अभी तक दिया गया है।

(२) इस ऋण के लिये योजना आयोग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(३) वित्त विभाग ने देवस्थान फंड में से रुपया देने के लिये सहमति प्रदान कर दी है।

(४) फर्म ने केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त कर लिया है।

(५) श्री सुन्दरलाल रानीवाल पर कोई दबाव नहीं डाला गया है।

(६) विद्युत् शक्ति देने का राज्य की ओर से कोई प्रबन्ध का वचन नहीं दिया गया है। फर्म इसके लिये अपना स्वयं प्रबन्ध करेगा।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है ? कि Were there some rules as

Page No.26

(श्री पी० के० चौधरी)

well as a cabinet decision that the Devasthan funds should be invested in Government securities and not for other purposes ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह गवर्नमेंट डिसीज़न है ।

श्री श्रीभानसिंह : Does the Government consider that the investment in this firm will be recovered or not ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिकवर हो जायगा ।

श्री श्रीभानसिंह : Before giving eight lacs to this firm did the Government enter into an agreement with this firm.

श्री रामकिशोर व्यास : एग्रीमेन्ट किया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मुख्य सचिव ने यह नोट लगाया था कि लोन एडवान्स करना सेफ नहीं है, इसलिए नहीं देना चाहिए ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि लोन दिया गया है उसके लिए एश्योरेन्स दिया है री-पेमेन्ट का ।

श्री रामकिशोर व्यास : Yes ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि श्री रानीवाल का जो लाइसेन्स था वह उदयपुर मिल को चलाने के लिए मिला है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि जब लोन दिया था उस वक्त अन्डरस्टेंडिंग थी कि २५ हजार स्पेन्डिल अलॉट की जायेंगे । उसने किसी तीसरे आदमी से लाइसेन्स लिया है और उसे २५ हज़ार स्पेंडिल मिले हैं........

श्री रामकिशोर व्यास : जितने मिले हैं उतने ठीक हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने जांच की है कि जो लाइसेन्स मिला हुआ है, वह डाइरेक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट से न मिल कर किसी तीसरे आदमी से मिला है ?

श्री अध्यक्ष : What is the illegality there ?

श्री भैरोंसिंह : ट्रान्सफर नहीं कर सकता ।

श्री रामकिशोर व्यास : तीसरे आदमी से एप्रूवल ली जाती है ।

श्री पी० के० चौधरी : २५ हजार स्पेंडिल की जगह १५ हजार स्पेंडिल मिले हैं, इससे गवर्नमेंट अपने लोन के बारे में क्या सोच रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : बिल्कुल सेफ है ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि स्वदेशी कॉटन मिल्स के खिलाफ इलाहाबाद में ६५ लाख का केस चल रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकता है चल रहा हो ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या आप का दिया हुआ रुपया सुरक्षित है ?

Page No.27

श्री रामकिशोर व्यास : बिल्कुल सुरक्षित है।

डॉ० बहादुरसिंह : आपने कैसे जाना कि सुरक्षित है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सिक्योरिटी ली है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या सिक्योरिटी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : शेयर्स हैं, मशीनरी हैं, कई चीजें हैं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या-क्या सिक्योरिटी ली है ?

डॉ० बहादुरसिंह : अगर ६५ लाख का मामला वेलिड हो जाता है, तो क्या सिक्योरिटीज़ से आप लोन को सुरक्षित समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष : सरकार ने बताया कि प्लान्ट्स, शेयर्स और मशीनरी हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : अगर डिक्री हो जाती है ?

श्री अध्यक्ष : The plants and machinery are there.

श्री पी० के० चौधरी : We would like to know what those plants and machineries are ?

श्री अध्यक्ष : You can ask this...

श्री पी० के० चौधरी : What are the securities against which you have advanced the loan ?

श्री रामकिशोर व्यास : मशीनरी की डिटेल्स क्या हैं, यह कहना मुश्किल है।

श्री पी० के० चौधरी : It must be on the agreement itself.

श्री रामकिशोर व्यास : आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा।

श्री पी० के० चौधरी : So what are the conditions of the agreement ? They can spend 45 thousand spendles or less ?

श्री रामकिशोर व्यास : लम्बा चौड़ा एग्रीमेंट है, आप अगर चाहेंगे तो उसकी एक कॉपी दे देंगे।

श्री पी० के० चौधरी : Please place a copy of the agreement on the Table of the House.

श्री अध्यक्ष : ६२८।

डॉ० चन्द्रकला : कृपया इसका जवाब दे दीजिये।

श्री पी० के० चौधरी : We wanted a copy of the agreement, Sir.

श्री रामकिशोर व्यास : आपको दिखला देंगे।

श्री भैरोंसिंह : सिक्योरिटी ३० लाख के अगेन्स्ट में दी हुई है ?

श्री अध्यक्ष : पहले आप एग्रीमेंट देख लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : एग्रीमेंट की कॉपी कब तक मिल जायगी ?

श्री अध्यक्ष : He has agreed to show it to the Hon'ble members. He is so accommodating.

श्री भैरोंसिंह : टेबल ऑफ दी हाउस

Page No.28

(श्री भैरोंसिंह)

पर रख दें, उसके बाद सब मेम्बर्स देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

गांव सेजरासर, तहसील लूणकरण के किसानों से लगान वसूली में धांधली

६२६. श्री मोहरसिंह (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि रेवेन्यू कर्मचारी गांव सेजरासर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर के बहुत से काश्तकारान से सरकारी लगान लेकर खुद खा गये और चन्द काश्तकारान को फर्जी रसीदात दे दीं व गिरदावरी या ढ़ालबाछ में फर्जी इन्दराजात कर दिये ?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त फर्जी रसीद व इन्दराज सब-डिविजनल ऑफिसर नोर्थ, बीकानेर के ध्यान में लाई गई ?

(३) यदि लाई गई, तो कब तथा उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है। जांच की जा रही है।

(२) जी हां।

(३) तारीख २४-७-५७ को एस. डी.-ओ. को सूचना मिली और उन्होंने जांच प्रारम्भ की।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ६२८ का उत्तर दे दिया जाय।

जयपुर में बालिकाओं की मिडिल व प्राइमरी स्कूलों की अध्यापिकाओं को समय पर वेतन न मिलना

६२८. डॉ० चन्द्रकला (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि जयपुर में बालिकाओं की मिडिल स्कूल व प्राइमरी स्कूलों में अध्यापिकाओं की तनख्वाहें समय पर नहीं मिलती ?

(२) गत तीन महीनों में उन्हें तनख्वाह किस तिथि को दी गई ?

उप शिक्षा मंत्री (श्रीपूनमचन्द विश्नोई): (१) जी नहीं।

(२) निम्नलिखित तिथियों को दी गई :

	माध्यमिक शाला	प्राथमिक शाला
दिनांक	१-६-५८	२-६-५८
"	१-१०-५८	१-१०-५८
	१-११-५८	२-११-५८

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

सीकर की गोचर भूमि

६३१. श्री जदीशप्रसाद माथुर (सीकर): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सीकर की गोचर भूमि में से श्री नानु

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

नामक व्यक्ति को कब कब कितनी कितनी जमीन दी गई ?

(२) श्री नानू को यह जमीन किस आधार पर दी ? क्या यह सही है कि श्री नानू के पास स्वयं पहले से भी जमीन काश्त करने को थी ?

(३) क्या उस सम्बन्ध में तहसील जमीन अलॉटमेंट कमेटी की राय ली गई ?

उप राजस्व मंत्री (श्रीसम्पतराम) : (१) सन् १९५५ में ६० बीघा भूमि दी गई थी।

(२) १. राजनैतिक पीड़ित थे।

२. अपने कुटुम्ब में २७ आदमी बता कर जमीन के लिए प्रार्थना की थी।

३. श्री नानू के पास ३१ बीघा ८ बिस्वा बारानी जमीन थी।

(३) प्रश्न नहीं उठता है। क्योंकि सन् १९५५ में भूमि आवंटन कमेटियां नहीं बनी थी।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या उन्होंने किसी आन्दोलन में भाग लिया था या किस प्रकार का कार्य किया था, इसलिए राजनैतिक पीड़ित थे ?

श्री सम्पतराम : आजादी की लड़ाई में भाग लिया था।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या कभी वे जेल गये या प्रजा मंडल के सक्रिय सदस्य रहे ?

श्री सम्पतराम : यह डिटेल्स का प्रश्न है। इसका जवाब नहीं दे सकता कि कहां कहां वे जेल में रहे, क्या क्या तकलीफें हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सीकर के दौरे के समय स्थानीय कलेक्टर को आदेश दिया था कि गोचर भूमि से बिलकुल जमीन न दी जाय ? वह आदेश फाइल पर मौजूद है।

श्री सम्पतराम : यह गोचर भूमि में से नहीं दी गई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह गोचर भूमि में से ही है। क्या यह सही है कि यह व्यक्ति श्री कमलनयन बजाज का नौकर था ?

श्री सम्पतराम : सरकारी बीड में से भूमि दी गई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह व्यक्ति श्री कमलनयन बजाज का नौकर था। इसके बजाय उसने कोई काम ऐसा नहीं किया कि वह राजनैतिक पीड़ित हो ?

श्री सम्पतराम : राजनैतिक पीड़ित होने के नाते उसे भूमि दी गई।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने यह जांच किस आधार पर करवाई है, किससे करवाई है कि यह राजनैतिक पीड़ित है ?

श्री सम्पतराम : सरकार के जो तफतीश के जरिये हैं उन्हीं से करवाई है और उसी के आधार पर उसे राजनैतिक पीड़ित मान कर जमीन दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें जांच करने के ज़रिये कौन हैं, पार्टी से जांच करवाई है या किसी सरकारी अधिकारी से जांच करवाई है ?

श्री सम्पतराम : ऑफिशियल एजेन्सी ऑफ दी गवर्नमेंट ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकारी अधिकारियों ने लिखा है कि यह राजनैतिक पीड़ित नहीं है ?

श्री सम्पतराम : सही नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कलेक्टर श्री सुरेन्द्रसिंहजी ने लिखा है कि यह राजनैतिक पीड़ित नहीं है, बजाज भवन का नौकर है और कुछ व्यक्ति इसमें इन्ट्रेस्टेड हैं, इसलिये इसको दिलाना चाहते हैं ?

श्री सम्पतराम : यह मेरी जानकारी में नहीं है कि कलेक्टर श्री सुरेन्द्रसिंहजी ने क्या लिखा है पर हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार वह राजनैतिक पीड़ित है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या जो जानकारी आई है, उसमें कलेक्टर की इस तरह की रिपोर्ट आई है कि वह राजनैतिक पीड़ित है ?

श्री अध्यक्ष : इसके तो रूल्स बने हुए हैं ।

श्री भैरोंसिंह : वह नहीं है साहब, यहां सदन में मंत्री महोदय की तरफ से गलत जवाब दिये जाते हैं, मैं कहता हूं कि राजनैतिक पीड़ित नहीं है और कलेक्टर ने लिखा है कि राजनैतिक पीड़ित नहीं है ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : माननीय सदस्य को सूचना होगी कि वह राजनैतिक पीड़ित नहीं है पर सरकार ने उसे राजनैतिक पीड़ित समझ कर ही ज़मीन अलॉट की है । आपको अगर इसमें आपत्ति है कि वह राजनैतिक पीड़ित नहीं है तो आप स्पष्ट सबूत पेश कीजिए कि वह राजनैतिक पीड़ित नहीं है और उसने गलत बयानी करके ज़मीन हासिल की है तो हम उसे कैन्सिल करने की कार्यवाही करेंगे । बहरहाल कोई सबूत तो पेश है नहीं कि वह राजनैतिक पीड़ित नहीं है । सरकार ने कुछ तथ्यों को जान कर और उनसे यह मान कर कि वह राजनैतिक पीड़ित है इसलिए ज़मीन अलॉट की है । अगर इसके खिलाफ आपके पास पुख्ता सबूत हैं तो पेश करें कि वह राजनैतिक पीड़ित नहीं है, तो हम कैन्सिल करने की कार्यवाही करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, इसके लिये सीकर में आन्दोलन हुआ है । स्वयं माननीय मुख्य मंत्री मौके पर गये और उन्होंने माना है कि राजनैतिक पीड़ित नहीं है । कलेक्टर ने लिखा है कि वह राजनैतिक पीड़ित नहीं है, इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : राजनैतिक पीड़ित होने के निश्चित रूल्स हैं, उनमें यदि वह आता है तो वह राजनैतिक पीड़ित माना जाता है । सरकार का कहना है कि रूल्स के अन्तर्गत ही उसे राजनैतिक पीड़ित मान कर ज़मीन अलॉट की गई है । उसको अगर आप उचित नहीं समझें और आपको एतराज़ हो कि वह राजनैतिक पीड़ित नहीं है तो इसके लिये गवर्नमेंट को रिप्रज़ेन्ट करें ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो आन्दोलन हुआ और साबित हो गया कि वह राजनैतिक पीड़ित नहीं है । स्वय माननीय मुख्य मंत्री ने माना कि वह राजनैतिक पीड़ित नहीं है और उस अलॉटमेंट को कैन्सिल कर दिया गया । पर गवर्नमेंट ने दुबारा अलॉट कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय तो कहते

(श्री अध्यक्ष)

हैं कि हम तो फिर कन्सीडर करने को तैयार हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : री-कन्सीडर करके ज़मीन का रद्दोबदल किया गया है। वह इस बिना पर नहीं किया गया कि भूख हड़ताल सही बिना पर की गई थी, उनके तो एलिगेशन्स गलत थे। जमीन राजनैतिक पीड़ित मान कर दी गई थी। चरागाह को डिमार्केट करना था, इसलिये उस जमीन को चेंज किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार बतायेगी कि जिसे जमीन अलॉट की थी, वह माननीय मुख्यमंत्रीजी ने हस्तक्षेप करके मौके पर जाकर ज़मीन छुड़ाई है?

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल्कुल गलत है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने मौके पर जाकर छुड़ाई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अगर यह प्रमाणित कर दिया जाय कि वह राजनैतिक पीड़ित नहीं है तो क्या सरकार उसे कैंसिल करने को तैयार है?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रमाणित होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद मौके पर जाकर जांच की है।

श्री भैरोंसिंह : गेस्ट हाउस में जाकर ठहरे होंगे, मौके पर नहीं गये होंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंह!

(अनुपस्थित)

श्री मनरूपराम।

प्रतापगढ़ स्कूल के लिए ५०० रु० का लोन

६३७. **श्री मनरूपराम** (खारची) : क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि चूसी ग्राम पंचायत के भूतपूर्व सरपंच को विकास अधिकारी, देसूरी ने दो वर्ष पूर्व ५००) रु० प्रतापगढ़ स्कूल भवन के लिये दिए थे?

(२) क्या यह भी सही है कि स्कूल भवन अभी तक नहीं बन पाया है और वर्तमान सरपंच ने रुपये मांगे, परन्तु अभी तक नहीं दिए गये?

(३) क्या यह सही है कि ज़िला विकास अधिकारी व विकास अधिकारी को कई बार लिखा गया परन्तु आज तक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं?

उप विकास मंत्री (श्री सम्पतराम): माननीय अध्यक्ष, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर अगले सप्ताह मिलेगा।

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पुरुषोत्तमलाल।

किशनगढ़ सब-डिविजन के तालाब व कूपों को पचायतों के सुपुर्द किया जाना

६४७. **पुरुषोत्तमलाल शर्मा**(किशनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा).

(१) क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब-डिविज़न के सिंचाई के छोटे-छोटे तालाब व कूप ग्राम पंचायतों के सुपुर्द कर दिए गये हैं ?

(२) क्या उनकी राजस्व सिंचाई आमदनी भी उन पंचायतों को दे दी गई है ?

(३) अगर नहीं, तो क्यों ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं।

(२ राजस्व आमदनी पंचायतों को देने का प्रश्न नहीं उठता। केवल सिंचाई कर राजस्व कर में सम्मिलित है, वहां १ रु० प्रति एकड़ तालाबों की रक्षार्थ पंचायतों को देना तय हो चुका है जिसके अनुसार रकम दिये जाने की कार्यवाही तहसीलों द्वारा की जा रही है, एवं जहां सिंचाई कर अलग है वहां इसकी वसूली करने का दायित्व स्वयं पंचायतों पर है।

श्री अध्यक्ष : श्री गज्जा पटेल।

(अनुपस्थित)

श्री रिद्धिचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल।

(अनुपस्थित)

श्री धर्मपाल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सतवंतकौर : ६५६ का उत्तर दिया जाय।

तहसील श्री करनपुर, श्रीगंगानगर के नम्बरदार का चुनाव

६५६. श्रीमती सतवन्तकौर (श्री धर्मपाल पंवार श्री अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) २३ ओ. तहसील श्री करनपुर, श्रीगंगानगर) के वर्तमान नम्बरदार कौन हैं ? क्या इनका दूसरा चुनाव हो चुका है ? यदि हां, तो किसके अधिकतम वोट आये ?

(२) क्या ऐसी शिकायत आई है कि गत नम्बरदारों ने पटवार के नाम से २३-ओ. की रकम उगाह कर खुद हज़म कर ली है ?

(३) क्या इस किस्म का कोई मुकदमा नाजिम श्रीकरनपुर की अदालत में चल रहा है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) इस समय कोई नम्बरदार नहीं है। दूसरा चुनाव हो चुका है। जिसमें श्री दूमाराम बावरी के अधितम वोट आये हैं।

(२) जी हां।

(३) जी हां, कार्यवाही चल रही है।

श्रीमती सतवन्तकौर : कब तक हो जायगी कार्यवाही ?

श्री सम्पतराम : जल्दी ही हो जायगी।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

Page No.33

प्र.सं. के उत्तर ... माननीय ... निर्णय

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ९६०

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

१२.७ मध्यान्ह पश्चात

प्रश्नों के उचित उत्तरों सम्बन्धी प्रस्तुत आपत्ति पर अध्यक्ष महोदय का निर्णय

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन प्रश्नों के उत्तर मन्त्री महोदय देते हैं उनकी जानकारी में वे उत्तर सही हो सकते हैं, पर वास्तव में तथ्य सब उनके विपरीत ढंग के होते हैं, इवेजिव रिप्लाई होते हैं। मुझे आशंका है कि अगर इसी प्रकार के उत्तर दिये जाते रहे तो या तो माननीय सदस्य प्रश्न पूछना बन्द करेंगे नहीं तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि वाद-विवाद का स्तर इतना ऊंचा हो जायेगा कि माननीय अध्यक्ष को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा । अत: मैं आपसे निवेदन करूंगा कि न केवल उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिये बल्कि सदन की प्रतिष्ठा बचाने के लिये आप मन्त्री महोदयों को आदेश दें कि वे इस तरह के रिप्लाईज न दिया करें ।

श्री अध्यक्ष : मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई जानकारी जान बूझ कर मन्त्री महोदय सदन के सामने नहीं रखना चाहते । कभी २ ऐसा हो जाता है कि माननीय सदस्यों को पूछना तो कुछ और होता है और जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं और फिर मन्त्री महोदय को कोर्नर करना चाहते हैं । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्ति या डिटेल्स के बारे में प्रश्न पूछना चाहें उसके बारे में स्पष्ट पूछें, फिर मन्त्री महोदय को टालमटोल करने की गुंजायश नहीं रहेगी । जब कि पहले तो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं और फिर अलग अलग डिटेल्स के बारे में सप्लीमेंट्रीज़ पूछें तो हो सकता है कि उन सब फैक्ट्स की जानकारी मन्त्री महोदय को ही, न हो । जहां तक मन्त्री महोदय का प्रश्न है, कभी कभी उनको व्यक्तिगत जानकारी होती है तो अच्छी तरह उत्तर दे देते हैं वरना विभाग वाले जो जानकारी उनको देते हैं उसी के आधार पर उत्तर देते हैं । विभागीय सूचना आती है वह इस तरह की आनी चाहिये कि सब सप्लीमेंट्रीज़ मीट कर सके । एक, दो, चार सप्लीमेंट्रीज़ का ही उत्तर मिले तो सदन के माननीय सदस्यों को आपत्ति होना उचित ही है । इसलिये मैं मन्त्री महोदयों से निवेदन करना चहूंगा कि अधिकारियों से जो जानकारी मांगें और दूसरे जो साधन जानकारी प्राप्त करने के उपलब्ध हों उनसे वे उस प्रश्न से सम्बन्धित पूरी पूरी जानकारी उपलब्ध करें ताकि सदन को कॉन्फीडेन्स हो, विश्वास हो कि मन्त्री महोदय को जो जानकारी है वह सब प्रस्तुत कर रहे हैं ।

अगर मन्त्री महोदय इस तरह से जानकारी उपलब्ध करें और माननीय सदस्य इस तरह से जो प्रश्न उन्हें पूछना है स्पष्ट पूछें तो जो आपत्ति श्री भैरोंसिंहजी ने उठाई है वह उपस्थित नहीं होगी ।

१२. १८ म०प०

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७
(अग्रेतर खंडश: विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : म्यूनिसिपल बिल, क्लॉज़

(श्री अध्यक्ष)

२४ के पार्ट (१४) पर वाद-विवाद हो रहा है। कुछ संशोधन प्रस्तुत किये गये थे, जिनके उत्तर मन्त्री महोदय दे चुके हैं, अब कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आप उत्तर दे चुके हैं। वे अब विद्ड्रा करेंगे या और कुछ भी करेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय अध्यक्ष, मेरे जो संशोधन प्रस्ताव हैं उनको मैं वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपने संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अर्जनदास (अजमेर-पश्चिम) : I have tabled alternative amendments, either for the deletion or for the change of phraseology. The Hon'ble Minister is not prepared for the delegation of the clause, then I would press my amendment about change of phraseology.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : इसको दुबारा एग्जामिन कर लिया है और मैं समझता हूँ कि आप अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

श्री अर्जनदास : Then I move my amendment, Sir, for this change of the wording.

श्री अध्यक्ष : (मंत्री महोदय को संबोधित करते हुये) क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? अब आप कैसे पेश कर सकते हैं, जब आपने पहले संशोधन पेश कर दिया था ?

श्री अर्जनदास : I have put in alternatives, this or that.

श्री अध्यक्ष : No, that can not be done. इस तरह से अब आप इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री अर्जनदास ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह संतोषजनक (सेटिस्फेक्टरी) नहीं है। और इस पॉइन्ट को हमने स्ट्रेच किया था हमने सब-क्लॉज १४ में जो कि नोमिनेशन पेपर के स्क्रूटिनी के समय ही रिजेक्ट हो जाता है। टैक्सेज़ के लिये, इस सिलसिले में उन्होंने जो जवाब दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर ही तय करेगा कि उस पर ड्यूज हैं या नहीं या अदर ड्यूज हैं या नहीं। अदर ड्यूज की बात बहुत वाइड है। इसमें बहुत सी बातें आ सकती हैं। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि ऐसा वाइड क्लॉज रखना, जिससे किसी के लिये म्यूनिसिपल चुनावों में खड़ा होने से डिबार करते हैं और उसके लिये आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पावर्स देते हैं whether any

Page No.35

(श्री पी० के० चौधरी)

tax is due or not ? उसमें टैक्सेज़ ड्यूज़ हैं या नहीं या अदर क्लेम्स ड्यू हैं या नहीं या एडिक्वेट नोटिस एक साल का उसको मिला है या नहीं, ये सारी बातें माननीय मंत्री महोदय के कथन के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर ही डिसाइडिंग ऑथोरिटी होगा । मैं समझता हूं कि इसमें मिस केरेज ऑफ जस्टिस ही होगा इसके सिवाय कुछ नहीं होगा । दूसरी बात इसको रखने के लिये जो आर्ग्युमेंट दिये हैं, उसमें कोई भी ऐसा आर्ग्युमेंट नहीं था जिससे आप इसको रखना जस्टिफाइ कर सकते हों । जहां तक एरियर्स के लिये रिकवरी का प्रश्न है आपके पास लिगल सोर्स है और प्रोसीजर है । जिस प्रकार दूसरे सिटिजन्स से आप वसूल कर सकते हैं उनसे भी कर सकते हैं । इसलिये हम तो यह चाहते हैं कि नोमिनेशन के लिये तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये । मेम्बर बनने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं । मुझे अपने अमेन्डमेंट को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान करें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री पी० के० चौधरी को अपना संशोधन वापिस लेने आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अर्जनदास : Sir, I may once again point out that either the clause should he deleted or its phraseology should be changed. The present phraseology is not healthy. We have not yet passed this sub-clause...

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir, it is very inconsistent to move an amendment to the same clause first to delete it and then to move that the wording should be changed in the same clause. I think the Hon. Member himself is not very definite about the clause; whether he wants it to be deleted or to retain it in a changed form. What does the Hon'ble member want ?

श्री अर्जनदास : It is not unconstitutional. I say that it should either be deleted or if you have the clause, then let us have a clause which may suit the situation, it should have the wordings which suit the persent situation. There is nothing unconstitutional.

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble Member will not be permitted to move his amendment. We come to Shri P. K. Chaudhri.

श्री पी० के० चौधरी : I do not want to move.

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

Now we move to parts (i), (viii) and (xiii) as amended and remaininge parts without amendement of the clause 24; that they stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज २४, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज २५, श्री तनसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल ।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय....

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सजेस्ट कर दूं, अगर उसमें कोई आपत्ति न हो। क्लॉज़ेज़ २५ से ५३ तक सभी क्लॉजेज फाइलिंग ऑफ नोमिनेशन पेपर से, इलेक्शन ऑफ मेम्बर से सम्बन्ध रखती हैं। सदन के बहुमत की राय है कि २५ से ५३ तक को एक साथ डिसकस कर लिया जावे तो ठीक होगा। क्योंकि २५ से ५३ तक क्लॉज़ेज़ फाइलिंग ऑफ नोमिनेशन पेपर से इलेक्शन तक सम्बन्धित हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से यह सुझाव ठीक है। २५ से ५३ तक। We take these clauses as moved.

श्री अर्जनदास : There is an amendment......

श्री अध्यक्ष : मैं कॉल करता जाता हूँ। जो भी मूव करना चाहें कर सकते हैं।

डॉ० चन्द्रकला, आपका क्लॉज़ २५ पर संशोधन है।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २५ के सब-क्लॉज (५) के सम्बन्ध में मेरा संशोधन है कि इसे हटा दिया जावे। इसमें यह है कि जो व्यक्ति "confined in prison whether under sentence or otherwise" या किसी भी तरह से "is in the lawful custody of the police" होगा, उसको इसमें वोट देने का अधिकार होगा। मेरा सुझाव इसमें यह है कि इसमें इस तरह का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये क्योंकि व्यक्ति "कन्फाईन्ड इनप्रिजन" किसी भी कारण से हो सकता है। असहयोग आन्दोलन या किन्हीं राजनैतिक कारणों से भी कोई जेल में हो तो इस धारा से वे मताधिकार से वंचित रह सकते हैं। अभी एक दिन प्रश्नों के उत्तर के समय में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि चार्ज शीटरों का तो क्या, किसी समय मैं भी हिस्ट्री शीटर था। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे इस तरह का हक न मिले। इसी से म्यूनिसिपेलिटी चुनावों में मत देने की बात है। कोई भी किसी कारण से सत्याग्रही हो या राजनैतिक बन्दी हो या कोई भी बन्दी हो, क्योंकि वह जेल में है इसलिये उसको मत देने का अधिकार नहीं दिया जाय, यह उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि यह प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। म्यूनिसिपेलिटी का क्षेत्र छोटा होता है। अगर मतदाता वहां पर हैं तो वहां से आकर वोट दे सकता है। जब जनतन्त्र का जमाना है और हम हर एक व्यक्ति को अधिकार देते

(डॉ० चन्द्रकला)

हैं तो उसे भी वोट देने का अधिकार होना चाहिये। अगर वह वहां पर नहीं आ सकता तो हमारे यहां पर पोस्टल बैलट का प्रावधान है और वह अपना वोट डाक से भी भेज सकता है। इसलिये यदि कोई भी व्यक्ति जेल में हो उसको भी अपना मत देने का अधिकार होना चाहिये, ऐसी मेरी धारणा है। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है और मैं समझती हूँ कि इस तरह की कोई धारा यहां पर नहीं होनी चाहिये कि जो जेल में हो, charge sheeted में हो या history sheeted में हो ऐसे सारे के सारे व्यक्तियों को मतदान देने का अधिकार होना चाहिये, यह मेरा सुझाव है। मैं आशा करती हूं कि सदन मेरे इस संशोधन को पास करेगा और माननीय मंत्री महोदय भी आज कल प्रजातन्त्र के युग में व्यक्तियों के अधिकारों को देखते हुए, व्यक्तिगत मताधिकार की बात को देखते हुए मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २५ में मेरा यह अमेन्डमेन्ट है कि सब क्लॉज (५) को डिलीट कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय सदस्य ने बताया कि...

श्री अध्यक्ष : एक ही अमेन्डमेन्ट है।

(विराम)

डॉक्टर चन्द्रकला और आपका एक ही अमेन्डमेन्ट है।

श्री गिरधारीलाल : एक ही है।

श्री अध्यक्ष : वे बोल चुकी हैं उस पर। आप उसका समर्थन कर दीजिये।

श्री गिरधारीलाल : जैसा माननीय सदस्या ने बताया कि कोई आदमी जेल में हो या पुलिस कस्टडी में हो उसको नगरपालिका के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार इस सब-क्लॉज द्वारा नहीं रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूँ कि हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिये। एक आदमी अगर किसी प्रकार की गलती कर देता है या किसी प्रकार का जुर्म कर देता है और उसको सजा हो जाती है तो उसका यह अधिकार नहीं छीनना चाहिये और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति राजनैतिक बन्दी है उस पर भी यदि यह लागू होता तो मैं इसको उचित नहीं समझता। हिन्दुस्तान के हर नागरिक को जिस प्रकार से वोट देने का अधिकार है, उससे यह उस व्यक्ति के जेल जाने से इस प्रकार के अधिकार छीनना, क्योंकि वह राजनैतिक कैदी है या किसी प्रकार का उसने कोई जुर्म किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह उचित नहीं समझता। इस पर ज्यादा वाद-विवाद नहीं हो सकता, इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सब-क्लॉज ५ को डिलीट कर दिया जाय।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Sir, I think sub-clause (2) is also unnecessary here from legal aspect. It dose not serve any useful purpose, but it will create only complications. Sub-clause (2) reads :

"No person shall vote at an election in any ward if he is subject to any of the disqualifications referred to in section 17".

In Clause 17 we have already laid down that even after the final publication of the electoral roll, if any

(श्री अर्जुनदास)

disqualification arises, his name shall be struck off. If his name is going to be struck off under clause 17, then I think the same provision under sub-clause (2) is quite unnecessary. We would be giving unnecessary powers to the Presiding Officers who can refuse any body's vote because there is no procedure of taking decision summarily in a minute or two. I think this provision does not find place anywhere. The purpose will be most suitably served by clause 17.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, इस सब-क्लॉज़ ५ को डिलीट करने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इससे यह समझना कि किसी सत्याग्रही को डिबार किया जा रहा है उचित नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इलेक्शन के दिन कन्फाइन्ड होंगे, उस वक्त उनको इसके द्वारा डिबार किया गया है। इलेक्शन के रोज़ जब कि म्युनिसिपेलिटी के इलेक्शन्स हो रहे हों, उस रोज़ पुलिस कस्टडी में यदि कोई व्यक्ति हो तो इसके द्वारा उसको वोट देने से मना किया जा रहा है। जो पुलिस कस्टडी में हों, उस दिन उनको भी यदि वोट देने का अधिकार दे दिया जाय तो इससे कई कॉम्प्लीकेशन्स खड़ी हो जावेंगी। एक डाकू को डकैती केस में पकड़ा गया है, वह कहे कि उसको वोट देने दिया जाय तो उसके लिए बड़ी गड़बड़ हो जावेगी, सीक्रेट बैलट होंगे और उसके लिए अलग से इन्तजाम किया जाय तो भी यह संभव हो सकता है कि डाकू कहीं भाग जाय।

डॉ॰ चंद्रकला : पोस्टल बैलट द्वारा हो सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (अपना भाषण जारी रखते हुए) : जो जेल में हैं, वे जनरल इलेक्शन में भी वोट नहीं दे सकते। यह सब जगह है और उसी तरह से यहां भी इसको रखा है। अगर अधिकार दिया जाय तो बड़ी कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो जावेंगी। मैं इसके बाद निवेदन करूंगा कि वे इसको वापिस ले लेंगी।

श्री गिरधारीलाल : उस क्षेत्र का होगा वह तो वोट दे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो लोग वोटस हैं, वोटर लिस्ट में नाम है, किसी आदमी ने डाका डाल दिया और कहा कि मैं वोट दूंगा, सीक्रेट बैलट होगा तो फिर सिक्योरिटी की प्रोब्लम हो जावेगी, कई कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो जावेंगी, शहर वाले भी ऑफेन्स करते हैं, जैसे जयपुर में इलेक्शन्स हो रहे हैं, फिर उनके लिए अलग मिलिट्री का इन्तजाम हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस आदमी ने ऑफेन्स किया है, उनको राइट ऑफ वोटिंग नहीं होना चाहिये, यह जनरल इलेक्शन में भी है।

श्री अध्यक्ष : सब क्लॉज २ के लिए भी बता दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १७ में यह प्रोवाइड किया है वोटर्स रजिस्ट्रेशन। दोनों एक ही बात है कि राइट ऑफ वोट किस २ को हो। १७ में जिसका नाम नहीं उसको राइट नहीं होगा।

डॉ॰ चंद्रकला : माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषा से तो मैंने यह समझा था कि जो व्यक्ति उस समय जेल में रहेगा उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। मैंने यह

(डॉ० चन्द्रकला)

नहीं समझा था कि पुराना होगा उसको भी राइट नहीं होगा। कॉम्प्लीकेशन्स हो सकते हैं। वोट बाई बैलट हैं। पोस्टल बैलट द्वारा जिस तरह से मिलिट्री के लोग हैं या विदेशों में रहने वाले व्यक्ति हैं या जो अस्पताल में बीमार पड़े हैं वोट दे सकते हैं। डकैत और सत्याग्रही दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी जो कि डाकू नहीं है किसी विरोधी पार्टी का है और किसी मामले में उसको फांस दिया जाता है, और उसको जेल में रख दिया जाता है, वह वोट नहीं दे सकता, यह बात तो समझ में नहीं आती है। मंत्री महोदय ऐसा कहते हैं, फिर भी बात समझ में आती नहीं है। अधिकार तो सब को होते हैं और जो जेल में हैं उनको पोस्टल बैलट से वोट देने का अधिकार है, म्यूनिसिपल इलेक्शन की ही ऐसी क्या खूबी है कि उनको डिबार किया जाय। सारे चोर-डाकू थोड़े ही होते हैं, इसलिए उनको वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिये। फिर भी मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहती हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० चन्द्रकला ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

(आज्ञा प्रदान की गई)

(विराम)

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपना संशोधन वापिस लेती हूं।

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे अमेन्डमेन्ट का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आपको प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी गई।

श्री अर्जुनदास : The Hon'ble. Minister said that in clause 17 he has made a provision. That provision is for.........

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि पहले भी आपको बोलने दिया गया वह भी रूल्स के अन्तर्गत नहीं था। माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर दे दिया है उससे आप सन्तुष्ट नहीं हैं और दुबारा बोलना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री अर्जुनदास : I only draw his attention that there is a provision in sub-clause (2) of clause 17. Probably he has not tried to read sub-clause (2) of clause 17.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २५ विधेयक का अंग बना

(विराम)

क्लॉज़ २६, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में मेरा अमेन्डमेन्ट है कि सब क्लॉज (१) के प्रोविज़ो को ऑमिट कर दिया जावे। जब कि हम सिंगल कॉन्स्टीट्युएन्सी बनाने जा रहे हैं, उस हालत में इस प्रोविजो की आवश्यकता नहीं है। इसलिये इस प्रोविजों को ऑमिट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशो-

Page No.40

राजस्थान नगरपालिका विधेयक १९५९

(श्री अध्यक्ष)

धन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री चन्दनमल वेद।

(अनुपस्थित)

श्री अर्जुनदास : अध्यक्ष महोदय, फिर सब-क्लॉज (२) के रखने से क्या फायदा है, Sub-clause (2) may also be deleted.

श्री अध्यक्ष : आपका अमेन्डमेन्ट है, "For the words 'rejected as void, the following words be substituted as "counted as one' it is in sub clause (2)

(विराम)

Sub-clause (1)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन पेश किया है उसका मकसद यह है कि जहां जहां शब्द कॉन्स्टीटयुएन्सी का प्रयोग हुआ है वहां वार्ड्स कर देना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब यह प्रोविजो डिलीट कर दिया गया तो यह ऑलरेडी हो गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Then this question does not arise.

श्री अर्जुनदास : My difficulty in the light of the proviso is that supposing a person gives two votes to the same candidate, shall then be treated as one ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Yes.

श्री अर्जुनदास : No, the law says otherwise. अगर दो आते हैं तो दोनों केन्सिल हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज २६ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लाज २७

श्री अध्यक्ष : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता से) आप लिस्ट नम्बर ८ जो अभी सर्कुलेट हुई है उसके संशोधन प्रस्तुत करेंगे या पहले वाले ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : दोनों प्रस्तुत कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पहला मेरा संशोधन क्लॉज २७ में है, वह सिर्फ भाषाशुद्धि के लिये है Omit the words 'the' in part (d) wherever occuring, in part (i) omit 'the' occuring first; in part (n) omit the' occuring first; in part (p) omit 'the' whereever occuring.

क्लॉज २७ में और जो अमेन्डमेन्ट्स हैं वे इस तरह से हैं : (1) Renumber the existing provision as sub-claue (1), (2) In part (d); for the words 'scruting of nomination papers and withdrawal of candidature' substitute 'making of deposits, notice of nominations and time and place for their scrutiny, scrutiny of nomination papers, withdrawal of candidature, publication of list of contesting candidates and retirement of condidates from contest.'

(3) Add the following new subclause.

"(2) The provisions of the order made under sub-section.

(1) shall not be inconsistent with the provisions of this Act and shall, so far as may be, conform to the provisions of the Representation of the Peoples Act, 1951 (Central Act 43 of 1951) and the rules there under.'

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जहां जहां हमने कन्डक्ट ऑफ इलेक्शन की दफा रखी है ५३ तक, वहां हमने अपने जनरल इलेक्शन के सम्बन्ध में जो रूल्स बने हुए हैं सेन्टर का 'पीपुल्स रिप्रजेन्टेशन एक्ट' है, उसके मुताबिक ही हमारे यहां म्यूनिसपेलिटी के चुनाव होंगे वैसा विप्रोजन किया है। हमारे यहां इलेक्शन पीटिशन्स भी उसी तरह कन्फर्म होंगी। माननीय सदस्यों की इच्छा थी कि म्यूनिसिपेलिटी के इलेक्शन भी जनरल इलेक्शन की तरह हों, इसमें किसी को एतराज नहीं होगा और ज्यादा सहूलियत हो जायगी। मेरे सारे अमेन्डमेन्ट इसी पॉइन्ट ऑफ व्यू से रखे गये हैं कि पीपुल्स एक्ट के रूल्स हैं वह भी यहां पर लागू किये गये हैं। मैं समझता हूं इससे आसानी रहेगी और माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : There is an amendment by me to clause 27 (c). The word 'retirement of candidates' should also be included in sub clause (c) of Clause 27. It is absolutely necessary and the clause will then read: —

"(c) appointment of dates for nomination, scrutiny, withdrawal, retirement of candidates and polling;"

When you accept the principle of retirement, then you will have to keep a provision in clause (c) so that the Government can fix dates for retirement and also to keep a last date for retirement.

श्री अध्यक्ष : होना तो चाहिये।

श्री तनसिंह

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २७ में दो तरह के प्रोवीजन्स हैं। अगर हम हमारे जनरल इलेक्शन के रूल्स और पीपुल्स रिप्रजेन्टेशन एक्ट को देखें तो सारे के सारे फंक्शन्स एक्जीक्यूटिव के ऑर्डर में रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीजें 'पीपुल्स रिप्रजेन्टेशन एक्ट' में प्रोवाइड की गई हैं। वहां जो फंकशन्स हैं, एक केटेगेरी में नहीं डाले गये हैं और यहां सारे के सारे फंकशन्स एक केटेगेरी में डाल दिये गये हैं। इसलिये मैंने इस क्लॉज में अमेन्डमेंट मूव किया है।

"Replace part (c) by the following appointment of dates for making nomination, scrutiny of nominations, withdrawal of nominations and polling in accordance with the provisions of section 30 of the Representation of the Peoples Act, 1951."

इनके लिये रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में प्रोवीजन है वही प्रोवाइड करना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय ने जो अमेन्डमेंट मूव किया है, "the provisions of the order made under Sub-section (1) shall not be inconsistent with the provisions of this Act and shall, so far as may be, conform to the provisions of the Representation of the Peoples Act, 1951".

मैंने कहा They will be consistent. They will not be inconsistent. वे यह अमेन्डमेंट लाये हैं। इसके अन्दर में रूल्स वगैरह होंगे, ऑर्डर्स करेंगे। They will be consistent with the provisions of the Representation of Peoples Act, लेकिन फिर भी 'so far as may be' they may not be exactly indentical.

जहां तक नोमिनेशन और विड्ड्राअल का सवाल है आज प्रिवेलिंग रूल्स हैं। इस

(श्री पी० के० चौधरी)

तरह और कई चीजें हो सकती हैं। इसमें स्ट्रिक्टली एक्ट के मुआफिक न चल कर भी मोडिफिकेशन कर सकते हैं और इसलिये इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है ।

जो अमेन्डमेंट है उसमें ज्यादातर यह है, "Adoption of the provisions of the Representation of the Peoples Act, wherever they are suitable."

इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो यह होती है कि यूनिफॉर्मिटी जाती है। दूसरी यह होती है कि इलेक्शन प्रोसीजर बार बार चेन्ज नहीं होता। जब एक्ट में आवेगा तो उसमें चेन्ज होने की जरूरत नहीं रहेगी। रूल्स में यह बात नहीं रहती। उसमें एक्जीक्यूटिव वाले जब चाहें तब चेन्ज कर सकते हैं, पब्लिक को मालूम भी नहीं हो सकेगा, कभी कभी।

दूसरी बात जैसी मेरे मित्र ने कही, जो नया अमेन्डमेंट लाया जा रहा है वह इसलिये लाया जा रहा है कि सदन के सदस्यों की इच्छा है कि हमारे म्यूनिसिपेलिटी के चुनाव भी वैसे ही हों जैसे कि जनरल इलेक्शन्स के ताकि लोगों को जनरल इलेक्शन्स की ट्रेनिंग भी इसके जरिये मिल जाया करे। तो यह सब देखते हुए, मैं मानता हूँ कि मेरा जो २७ में अमेन्डमेन्ट है, that may be treated as moved.

उस पर माननीय मन्त्री महोदय गौर फर्मा लें। मैं समझता हूँ कि उसको ऐसा का ऐसा एडोप्ट कर लिया जावेगा तो विशेष अन्तर नहीं पड़ने वाला है। उनके प्रोविज़न के मुताबिक ही यह है। फिर अपनी मर्जी माफिक भी कुछ मैंने नहीं रखा है। 'रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट' के प्रोविज़न को ही इसमें मैंने रखा है।

श्री अध्यक्ष : जो संशोधन मंत्री महोदय लाये हैं उसके बाद में इसकी आवश्यकता नहीं रहनी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, इससे कवर हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : 'सो फार एज़' का अब मतलब यह है कि कोई छोटा मोटा मामला हो तो उसको देख लें। सब्स्टेन्शियल चेंज इससे कुछ नहीं होता है।

श्री पी० के० चौधरी : जब हम रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट को देखते हैं तो उसके पचास पर्सेन्ट से अधिक, about 50 percent of these things are statutorily provided and 50 percent are provided in the rules. तो मेरा सुझाव यह था कि जब आप नया कानून बना रहे हैं तो क्यों नहीं उसे वैसा ही आइडियल बना देते हैं। पचास पर्सेन्ट जो बाकी के प्रोविज़न आपने रूल्स में रखे हैं, वे भी इसी एक्ट में ही ले आवो। जैसे नोटिफिकेशन का है, नोमिनेशन फाइल करने का है, इनको फिक्स कर दिया गया है ताकि चेंज न कर सकें। तो मेरा सुझाव यह है कि हम एग्जेक्टली उसी मोडल को ले आते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष : इस नये सब-क्लॉज़ के बाद में डिफरेन्ट रूल्स भी अगर बनाये जावेंगे तो वे लीगल नहीं रह जावेंगे। तो आपका कहना ठीक हो जाता है। Once he said that they will be in conformity with the Representation of Peoples Act, then if the rules are not in conformity with it, they will be invalid.

Page No.43

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 'सो फार एज' तो इसलिये रखा है कि सम्भवतया कभी कुछ हो जाय, नहीं तो जितने रूल्स हैं उनको एडोप्ट कर लेंगे। इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं रहती।

श्री अध्यक्ष : So we take it, that you have not moved your amendment.

प्रश्न यह है कि जो दो संशोधन, क्लॉज़ २७ में मन्त्री महोदय ने रखे हैं, उनको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

दोनों संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री अर्जनदास ने रखा है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधित क्लॉज़ २७ है उसे संशोधित रूप में स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २८, श्री जगदीशप्रसाद !

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २८ के अन्दर उपचुनाव का प्रोविज़न है। वह इस प्रकार है : "A casual vacancy in the office of a member occuring otherwise than by efflux of time shall be filled, subject to the provisions of Section 29, at a bye-election......as soon as may be......"

मेरा इसमें संशोधन है कि 'as soon as' के स्थान पर 'within three monthes' कर दिया जाना चाहिये। इसमें मैं समझता हूं किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसमें ऐसा है कि अगर पूरे म्यूनिसिपेलिटी के चुनाव ६ महीने में होने वाले हैं तब तो चुनाव न कराये जावें, नहीं तो तीन महीने के अन्दर अन्दर करा लिये जावें।

पीपुल्स रिप्रज़ेन्टेशन स्वीकार करने के बाद लिस्टें तो तैयार ही रहेंगी। ईयरवाइज़ रिन्यू भी होती रहेंगी। तो जब इस्तीफा देता है कोई या कोई स्थान रिक्त होता है तो तुरन्त ही प्रोग्राम घोषित कर देने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है और घोषित करने का प्रोसीजर भी लम्बा नहीं है।

अब 'as soon as' में ऐसा होगा कि छः महीने की मियाद साल भर के लिये या अधिक समय के लिये बढ़ाई भी जा सकती है और उस स्थिति में उपचुनाव, अगर सरकार की मंशा ऐसा कराने की न हो तो करा भी नहीं सकेगी, इस 'as soon as' का लाभ उठाकर। तो ऐसी सम्भावना को हमें अवसर नहीं देना चाहिए।

ऐसी स्थिति में इसे स्वीकार करना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मेरा भी इसी प्रकार का संशोधन है। अध्यक्ष महोदय, मैंने 'three' की जगह 'Six months' रखे हैं, इतना ही फर्क है। एक डेट अवश्य फिक्स होनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि यह रीज़नेबल बात है और इसको शायद मन्त्री महोदय मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल, आपका चार महीने का है।

श्री गिरधारीलाल : जी हां। इसमें 'as soon as' तो नहीं रहना चाहिये। इसकी जगह 'चार महीने' का समय कर दिया जावे।

श्री अर्जुनदास : नौ महीने. किसी का नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

(हंसी)

श्री गिरधारीलाल : 'As soon as' ऐसा शब्द है कि जिसकी आड़ में सरकार चाहे तो अधिक से अधिक टाइम लगा सकती है। ऐसा हो सकता है कि जो सीट खाली हुई वह अगर सरकारी पक्ष वालों की पार्टी की नहीं, दूसरी पार्टी की है तो सरकार उसको टालती जावेगी। इसमें हमारा पिछला अनुभव हमें बताता है कि किस प्रकार इस तरह की कानूनी भूलों का अनुचित फायदा सरकार उठा लेती है।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह शब्द डिलीट कर देना चाहिये और इसकी जगह चार महीने या जितना भी कम या अधिक आप करें, मुझे इसमें आपत्ति नहीं, कर देना चाहिये। पर टाइम निश्चित जरूर कर देना चाहिये और वह छ: महीने से ज्यादा तो होना नहीं चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, टाइम की जो बात है, उसको मानने में मुझे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके अन्दर दिक्कत तब होती है जब कि कोई इलेक्शन्स हो रहे हैं, उसके लिए डेट फिक्स हो गई है और इलेक्शन्स कम्पलीट करने के लिए वे ६ महीने के अन्दर अन्दर पूरे हो जाने चाहिए और किसी अनफोर्सीन रीजन्स की वजह से कोई इलेक्शन्स कम्पलीट नहीं होते हैं, जैसे किसी चुनाव में हाईकोर्ट में रिट पेन्डिंग है, तो उस सूरत में किसी तरह का कोई टाइम होने के बाद अगर इलेक्शन्स टाइम के अन्दर अन्दर कम्पलीट नहीं हुए तो उसके बाद में इलेक्शन्स करा सकेंगे। क्योंकि within six months ये पूरे हो जाने चाहिए। इसलिए, अगर टाइम की पाबन्दी रख दी जायेगी तो इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो जायेंगे। वरना आप ६ महीने के लिए तो ठीक है लेकिन अनफोरसीन रीजन्स की वजह से इलेक्शन्स नहीं हो सके तो फिर बाद में किसी भी हालत में नहीं हो सकेंगे क्योंकि आपने तो टाइम लिमिट रख दी और अगर इलेक्शन्स हुए भी तो वे इलेक्शन्स 'वॉइड' हो जायेंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि टाइम रखने से कॉम्प्लीकेशन्स ज्यादा पैदा होने का खतरा है, इसलिए टाइम फिक्स नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं अध्यक्ष, महोदय, विश्वास दिलाता हूँ कि अब भी हमने कोई इलेक्शन्स ६ महीने के बाद नहीं कराये हैं, बल्कि सभी इलेक्शन्स ६ महीने के अन्दर ही

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

करा दिये । कोई इलेक्शन्स रुके हुए नहीं हैं । अगर टाइम रख देने से उसके बाद में इलेक्शन्स होंगे तो वह वोइड हो जायेंगे । इसलिए मैं, माननीय सदस्यों से, जिन्होंने अपने संशोधन रखे हैं, निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन वापिस ले लें ।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी का उत्तर सन्तोषप्रद है, इसलिए जो मेरा संशोधन है, उसको वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं अपील हो जाये तो अपने आप ही स्टे हो जायेगा और उसका जो फाइनल डिसीज़न है उसको ३ महीने बाद कर दिया जाये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ६ महीने का टाइम खत्म हो जायेगा तो फिर इलेक्शन्स नहीं होंगे और अगर हो भी गये तो फिर वे वोइड हो जायेंगे, यह दिक्कत है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब टाइम हो जायेगा तो अपने आप ही स्टे हो जायेंगे ।

श्री गिरधारीलाल : अपील या और कोई प्रशासनिक कठिनाई होने के बाद में ६ महीने का टाइम रख दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक कठिनाई रख देंगे तो वही बात है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार की कोई मन्शा नहीं है कि इलेक्शन्स ज्यादा टाइम बाद कराये जायें । 'As soon as may be' होता है तो ३ महीने में हो जाते हैं । ६ महीने से ज्यादा का टाइम तो अभी ही हमने किसी में भी नहीं लिया, लेकिन इसके रखने से कानून की पेचीदगियां पड़ जायेंगी ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरा प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाये ।

श्री गिरधारीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, ६ महीने मानने के लिए मन्त्री महोदय तैयार हैं तो फिर इसको मानने में आपत्ति ही क्या है ? मन्त्री महोदय ६ महीने का पीरियड मान लें तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष : आप (श्री गिरधारीलाल) वापिस ले रहे हैं क्या ? ले लीजिए, सब ने ले लिये हैं ।

श्री गिरधारीलाल : वापिस लेने में तो कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम रख देते तो ठीक था ।

श्री अध्यक्ष : उन्हें व्यक्तिगत रूप से मानने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन कानूनी दिक्कत आ रही है ।

श्री गिरधारीलाल : नहीं साहब, कानूनी दिक्कत कोई नहीं है । ६ महीने का पीरियड या कोई और पीरियड तो होना चाहिए । 'As soon as' में तो १।। साल, दो साल का टाइम भी निकल जाता है और जो सही प्रतिनिधित्व इससे मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा, ऐसी मेरी मान्यता है । इसलिए ये कोई न कोई पीरियड रख लें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर व डॉ० बहादुरसिंह ने रखे हैं, उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गिरधारीलाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २८ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज २८ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज २९, मन्त्री महोदय !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष, इसमें मेरा संशोधन कुछ लैंग्वेज के करेक्शन के बारे में है, substitute 'the election' for 'an election'.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसे स्वीकार किया जाये ?

श्री अर्जनदास : उन्होंने पढ़ा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २९ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २९ संशोधित के रूप में विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज ३०, मन्त्री महोदय के दो अमेन्डमेन्ट्स हैं ।

श्री तनसिंह

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी ।

श्री अर्जनदास : Sir, I move that in clause 30, sub-clause (c) should be deleted. The idea is that in this Bill we are all along proceeding with the idea that elections to the Municipal board should be identical to the elections under the R. P. Act. So that people might get conversant with the law and procedure. When we accept this principle, let there be no conflict between the election law for the municipal board and the election law for Lok Sabha and Vidhan Sabhas.

I think this sub-clause is a deviation from that principle, and the people may get confused that 25 yards distance is applicable to the municipal board or to the election for Vidhan Sabha also. In the Vidhan Sabba elections we have got the rule of 100 yards. I think it would be better to keep the same distance for Muncipal

(श्री अर्जनदास)

elections as well. When for Vidhan Sabha elections we have the 100 yards distance within which no canvassing can be done and the peaple are used to it, them why create this bad habit of canvassing within 100 yards.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : आपका अमेन्डमेन्ट तो है कि इसे बिलकुल ही हटा दिया जाये । आप तो २५ यार्ड को ही हटा देना चाहते हैं ।

श्री अर्जनदास : You do not follow me then. That is my misery. I say that we should keep 100 yards distance of the Reperesentation of People Act. intact; that nobody should be allowed to canvass within 100 yards, instead of 25 yards.

श्री अध्यक्ष : और आपका (श्रीबद्रीप्रसाद गुप्ता थे) भी अमेन्डमेन्ट है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा एक संशोधन है कि After 132, insert 133.

१३३ इसमें से रह गया था उसको इन्सर्ट करने के बारे में है और दूसरा अमेन्डमेन्ट करेक्शन के बारे में है कि १९५७ की जगह १९५८ रखा जाये ।

जहां तक माननीय सदस्य के अमेन्डमेन्ट की बात है कि २५ यार्ड की जगह १०० यार्ड होना चाहिए कि इतने एरिया के अन्दर कोई कन्वेसिंग या किसी तरह का शोर गुल मना कर दिया जाये । तो मैं समझता हूं कि जो इलेक्शन होते हैं वार्ड के, वह वार्डस् के अन्दर ही होते हैं और वहां की किसी बिल्डिंग के अन्दर होते हैं और अगर उसमें १०० यार्ड की पाबन्दी रख दी जायेगी, तो बहुत से तो मकान ही १०० यार्ड के अन्दर आ जाते हैं और इसकी वजह से बहुत इनकनविनियेंस हो जायेगी और २५ यार्ड में तो ऐसा होता है २०० या ३०० वोटर्स होते हैं और उनमें ज्यादा शोरगुल की गुंजाइश ही नहीं रहती, इसलिए २५ यार्डस् जो इसमें रखा गया है वह काफी है ।

श्री अर्जनदास : I would like to make one submission to the Hon'ble Minister, Sir, with your permision. From my personal experience, I have found that so far as the elections to the municipalities and Vidhan Sabhas are concerned, the place of election is the same. The authorities try to keep the same polling sites for both Municiple elections as well as for elections to the Assembly. Their one idea is that the electorate should be experienced as much as possible. Therefore, it would be worth while to keep the same figure of 100 yard and please do not reduce it to 25 yard. It will create complications for nothing. Otherwise the misery will be yours. मेरा क्या जाता है आप २५ गज पर बिठा दें ।

१ म० प०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री): मेरा अमेन्डमेंट एक है, क्लॉज़ ३० में कि इसमें एक क्लॉज़ और इन्सर्ट किया जाय, इसके साथ में नं० २ का है "Omit the words "Of Chapter III, of part VII." यह लैंग्वेज के करेक्शन के बारे में है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशो-

(श्री अध्यक्ष)

धन मन्त्री महोदय ने रखे हैं, उनको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

दोनों संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री अर्जुनदास ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज ३० को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज ३० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ३१. श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपने अमेन्डमेंट को प्रेस नहीं करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३१ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३१ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज, ३२, श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, ३१'ए' में है कि On the date of 'election', the returned candidate was not qualified......

मैंने संशोधन किया है 'on the date of filing the nomination paper', क्योंकि अगर एक केन्डीडेट है, उम्मीदवार है और उस उम्मीदवार ने जिस रोज से अपना नोमिनेशन पेपर पेश किया है, अगर वह डिस्क्वालिफाइड हो किन्हीं कारणों से, तो वह कारण यहां पर है अगर उसमें है तो वह केन्डीडेट चुनाव लड़ सकता है और चुनाव लड़ने के बाद, सफल होने पर उम्मीदवार म्यूनिसिपल बोर्ड का मेम्बर बन सकता है। तो मेरा अमेन्डमेंट है "on the date of filing of the nomination paper grounds on which the election can be called in question..." तो एक ग्राउन्ड होता है कि जिस दिन नामजदगी के पेपर या नोमिनेशन पेपर फाइल किये गये हैं उस दिन यह क्वालिफिकेशन्स हों तो उस दिन से गिना जा सकता है न कि रिटर्न केन्डीडेट होने के बाद में। "That on the date of filing nomination paper." यह मैं चाहता था।

श्री अर्जुनदास : Sir, I support this amendment. I think the amendment also needs a clarification. The Hon'ble member has suggested that for the wards 'election' we can substitute the words 'filling of nomination papers. I think that the date for filling the nomination papers is not one. There are number of dates allowed for it. So if we want to achieve this then the amendment should be that, 'last date of the filing of the nomination papers, because the 'nomination

Page No.49

(श्री अर्जनदास)

papers' can be filed for two or three days continuously.

श्री मूलचन्द डागा : But if the candidate fails to file the nomination paper on the date and if he is disqualified, he should not be allowed to stand in the elections...

श्री अर्जनदास : That it should be on the date he files the nomination paper and not the date of nomination paper because these dates are so many.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक डेट होती है ।

श्री अर्जनदास : एक नहीं होती है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : There is only one date when the returned candidate has to file the nomination papers......

केन्डीडेट नोमिनेशन फाइनल करेगा उस डेट की बात है ।

श्री अर्जनदास : नोमिनेशन के लिए दिन दिये जाते हैं कि इस तारीख से उस तारीख तक । अगर मंत्री महोदय को मालूम नहीं हो तो हमारा क्या दोष है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं दो इलेक्शन करा चुका हूं । आप देखिये कि "that on the date of election the returned candidate was not qualified."

रिटर्न केन्डीडेट के बारे में है । नोमिनेशन पेपर्स के फाइल करने की एक ही डेट है । इसलिये अमेन्डमेंट जो मूव किया है वह ठीक किया है । उसकी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक है, उसको एक्सेप्ट करूं या न करूं, यह बात दूसरी है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें ऐसा है कि 'इलेक्शन' की जगह 'Filing of nomination papers' यह सब्स्टिट्यूट करने के लिए कहना चाहता हूं । सवाल यह है कि जैसे इलेक्शन के दिन मान लीजिये कि उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन है, जिस दिन कि नोमिनेशन पेपर्स स्क्रूटिनाइज़ हुए, उस दिन यह डिस्क्वालिफिकेशन है जिससे कि नोमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो सकते हैं और वह कन्टेस्ट नहीं कर सकता है । उस दिन और इलेक्शन की डेट के बीच में अगर मान लीजिये वह भरपाई कर ले तो स्थिति उस केन्डीडेट की क्या होगी ? इसका मतलब यह है कि नोमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद अगर कोई ड्यूज़ या कोई डिस्क्वालिफिकेशन उसके ऊपर है तो नोमिनेशन पेपर दाखिल होने के बाद भी इलेक्शन डे के पहले वह पैसा भर दे और डिस्क्वालिफिकेशन हटवा ले तो उस इलेक्शन के अन्दर वह बराबर हिस्सा लेकर कामयाब हो तो बैठा रहा जा सकता है, और जिस दिन नोमिनेशन पेपर दाखिल किया, जो कि ठीक है कि डेट कई होती हैं, लेकिन नोमिनेशन की लास्ट डेट फाइनल एक डेट होती है उस दिन तक वह किसी भी दिन नोमिनेशन फाइल करके अगर डिस्क्वालिफिकेशन हटा लेता है और फ्रॉम दी डेट ऑफ नोमिनेशन जिस दिन से स्क्रूटिनी होकर फाइनल हो रहा है उस वक्त वह नोमिनेशन की लास्ट डेट से पहले डिस्क्वालिफिकेशन हटाना चाहता है बगैर उसके दिये ही और जो इलेक्शन की डेट रखी है और

(श्री ज्वालाप्रसाद)

वह आदमी नोमिनेशन पेपर गलत एक्सेप्ट करा ले तो एक्सेप्ट कराने के बाद में इलेक्शन की डेट से पहले जो कि गवर्नमेंट आमूमन ३, ४ हफ्ते का समय देगी तो इन तीन हफ्तों के अन्दर वह डिस्क्वालिफिकेशन को हटा ले तो वह इलेक्शन लड़ सकता है । लेकिन वे वोट देने वाले बिल्कुल अनसर्टेन रहेंगे अपने विचार को बनाने में यानी उस आदमी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन इन देट केस, वह डिस्क्वालिफाई हो जाता है । इलेक्शन लड़ने के पहले यदि यह मालूम नहीं होता है और सफर करते हैं इलेक्टोरेट्स बनिस्वत केन्डीडेट के । इसलिए मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह इसको जिस तरह से मैंने संशोधन पेश किया है कि 'इलेक्शन' लैब्ज़ की जगह "filling of nomination papers' सब्स्टीच्यूट कर लें तो बेहतर होगा ।

श्री अर्जुनदास : इसमें डेट ऑफ इलेक्शन डिफाइन्ड नहीं है । Shall I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill to give us the definition of date of elction............

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Thet is gi-n in the rules.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरीबाज़ार जयपुर) : The word election as has been defined in the Supreme Courts Ruling, that envisages the whole process from the date of filing nomination paper till the result is declared.

मैं समझता हूं कि जो शब्द रखे हैं that on the date of election a ruturned candidate was not qualified or was disqualsfied to be chosen to fill the seat under this Act. इसका मतलब यह है कि नोमिनेशन जिस दिन भरा जायगा और नोमिनेशन के समय भी यदि वह आदमी डिस्क्वालिफाइड है तो फिर वह आदमी डिस्क्वालिफाइड माना जायगा । नोमिनेशन के बाद अगर वह ड्यूज़ वगैरह जमा करा देता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन दूर हो जाती है यह इममेटीरियल मा है ।

It should be on the date when the nomination paper is filed, and the purpose is served by the date of election because the word election envisages the whole process every process right from filing the nomination paper till the result. There is absolutely no difficulty. That doubt is there. The amendment of the Hon'ble member who has moved this, I think that should remain because there are decisions of the High court and thev can refer it in AIR 1944, page 213 .

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : I am asking the Hon'ble member the interpretation given by the Supreme court is for the word 'election' and not 'the date of election' The word' election' envisagas the complete process . From the context the meaning is changed and the meaning is changed here.

श्री अध्यक्ष : The election as defined is in the series.

श्री अर्जुनदास : What can be the date of election.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : That is very clear............

Page No.51

श्री अर्जुनदास : The date of election can be one on which he is elected.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : यह क्लॉज़ जैसा है वह रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में दिया है, उसी के अन्तर्गत बहुत से केसेज़ हो गये हैं, जिस दिन नोमिनेशन पेपर फाइल किया गया उसी रोज़ डिस्क्वालिफाइड था, तो डिस्क्वालिफाइड माना गया और यहां जैसा है....

श्री ज्वालाप्रसाद : यह बात लेजिस्लेचर में साफ कर देते हैं तो क्या ऐतराज़ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जयपुर के माननीय सदस्य ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने...

श्री ज्वालाप्रसाद : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य भी बता रहे हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अजमेर से तो आप भी आये हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं नसीराबाद से आया हूँ ।

श्री अर्जुनदास : रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में बहुत से केसेज़ हुए हैं । उन सब में यह हुआ है कि जिस दिन नोमिनेशन पेपर फाइल हुआ है उस दिन से देखा है, इसलिये मैं समझता हूँ इस अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता रहती नहीं है ।

श्री अर्जुनदास : Let us see the rules in the Representation of Peoples Act.

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, हमेशा जब संशोधन का सवाल आता है तब दो बातें सरकार की तरफ से कही जाती हैं, एक तो यह कि यू० पी० के एक्ट में ऐसा है और दूसरी बात यह कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का यह रूलिंग है । यह जवाब मेरे ख्याल से विधान सभा में जो कि लेजिस्लेशन बनाने बैठी है, वहां कहना उचित नहीं है, ज्यादा अच्छा होता यू० पी० एक्ट को ही यहां एक्सटेन्ड कर देते तो अच्छा होता । यू. पी. के एक्ट की लैंग्वेज बोरो करने के बाद यदि लेजिस्लेचर में कोई बात आती है तो सरकार को उस पर गौर करना चाहिये । 'डेट ऑफ इलेक्शन' साफ है । 'डेट ऑफ इलेक्शन' नहीं है । पर्टिकुलर डेट है यह कॉमनसेन्स से कह सकते हैं कि डेट तो एक ही होगी । 'इलेक्शन डेट्स और 'डेट ऑफ इलेक्शन' में थोड़ा बहुत फर्क है, इसलिये यदि समझ में नहीं आता है तो पूरी तरह से गौर करना चाहिये ताकि एम्बिग्युटी नहीं रहे । इसलिये साफ है कि इलेक्टर्स या वोटर्स हैं उनका झगड़ा उसी दिन तय होना चाहिये । जिस दिन एक आदमी खड़ा होता है उसी दिन उसको मालूम होना चाहिये कि वह क्वालिफाइड है या डिस्क्वालिफाइड है । इसलिये इस पर जोर दिया है । मैं समझता हूँ, यदि ऐसा है तो इस पर और सोचें तो अच्छा होगा ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): यह सभी एक्ट्स में है, यह शायद आपने नहीं देखा होगा । May I read for his information from Delhi Corporation Act if the Hon'ble member wants that on the date of election a returned candidate was not qualified or......

श्री अध्यक्ष : अब आप यू. पी. से दिल्ली चले गये ?

श्री पुरुषोत्तमदास : हिमालय पहुँचेंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है....

श्री अर्जुनदास : रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में नहीं है।

श्री मूलचंद डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना अमेन्डमेन्ट विद्ड्रॉ करना चाहता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे भी अपने अमेन्डमेन्ट विद्ड्रॉ करने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्यों को अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट्स विद्ड्रा करने की इजाजात दी गई।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय मैं अपना अमेन्डमेन्ट विद्ड्रॉ करता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३२ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३२ विधेयक का अंग बना।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़, ३३, श्री तनसिंह, डॉ. चन्द्रकला और श्री अर्जुनदास।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : I propose that the following be added as an explanation for the purpose of this clause—

'For the purpose of this clause the person accepting a gift, offer or promise as aforesaid shall also be guilty of bribery.

Mr. Speaker, Sir, I believe in the present Representation of People's Act some lacuna has been left over which has created a bit of complication all over the country. The person who gives the gratification is certainly guilty of bribery. But a person who accepts the gratification is not proposed guilty of bribery. The person who gives, is disqualified for a period of six years, but a person who accepts and withdraws from the election because of the gratification is not disqualified and is allowed to continue. When we want to check this bribery, one has always to do; that is to prevent people from taking it. If we don't want to prevent people from taking it; it means we want to them loose and to go on submitting their nomination paper in election from any ward. And then we allow them an opportunity of bargain, to knock out something in cash or some other gratification. The Hon'ble Minister-in-charge of the Bill, I think would not appreciate the situtation. He would not like to see that the people do get accustomed of accepting money and then withdraw. One of the process to improve their character is to make them equally guilty of bribery. Once we make them guilty of bribery they will not take money. I believe the necessity has arisen to-day because after the latest amendment of the Representation of Peoples Act bribery is a corrupt practice. Some people thought that bribery is a bilateral practice and other say that this is a unilateral corrut practice. Some of the High

(श्री अर्जनदास)

court have now given their decisions and the matter has been settled by the Hon'ble Supreme court wherein they have said that the present phraseology and the definition of bribery under the Representation of Peoples Act is unilateral corrupt practice i. e. one who gives gratification is disqualified from futher election. A person who accepts is not guilty under the existing law. Our present Municipalities bill has also been copied from Representation of the Peoples Act so far as this provision is concerned. After the decision of the supreme Court, I think it will be worthwhile if we incorporate those decisions of the Supreme court and make our Bill as strong as possible. I don't think the Hon'ble member, the mover of the Bill, knows it. If he does not know, I will request him to get hold of it and I am sure, he will accept it. I will therefore again request the mover of the Bill as well as the whole House that they should accept the amendment, because it is in the interest of the whole State.

श्री मूलचंद डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३३ में, और 'बाई एनी अदर पर्सन' को ओमिट करने के लिए मैंने अमेन्डमेन्ट पेश किया है । इसमें यह है :
"Bribery' that is to say, any gift, offer or promise by a candidate or his agent or by any other person of any gratification to any person whomsoever with the object, directly or indirectly—"
लेकिन इसमें ऐसा सन्देह रह जाता है कि विरोधी सदस्य भी यह कह दें कि 'बाई एनी पर्सन' मुझे केन्डीडेट द्वारा रिश्वत दी गई है या इस प्रकार का लालच दिया गया है । इसमें इस प्रकार का है, मेरे अमेन्डमेन्ट के द्वारा यह आशय था कि सिर्फ केन्डीडेट को, ऑथोराइज्ड एजेन्ट को इन मामलों में गुनहगार ठहराया जाय, 'थर्ड पर्सन के द्वारा' ये शब्द नहीं होने चाहिये । इसलिए इसे केन्डीडेन्ट या ऑथोराइज्ड एजेन्ट के द्वारा तक ही कन्फाइन करना चाहिए, थर्ड पसन तक नहीं ले जाना चाहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३३.......

श्री अर्जनदास : Is the Hon'ble member making a reply ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां ।

श्री अर्जनदास : I think, then I will like to oppose the amendment suggested by Shri Mool Chand Daga.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता मैं अमेन्डमेन्ट मूव कर रहा हूं ।

अर्जनदास : मैंने इसलिये पूछा, Is he making a reply ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ ३३ में मेरे तीन अमेडमेन्ट्स हैं । इसमें पहला जो है, उसमें जो रिटायर होता है, उसको रिटायर होने के लिए रिश्वत देता है, उसके लिए है । दूसरा जो अपील के लिए प्रोविज़न किया गया है, उसके लिए है । तीसरे में रिटायरमेन्ट की बात है । उसमें दो बातें नई हुई हैं, एक तो रिटायरमेन्ट की और दूसरी अपील की । रिटायर होने के लिए रिश्वत दी जाती है, उसके लिए हमने प्रोवि-

Page No.54

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जन किया है। मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि इन अमेन्डमेन्ट्स को पास करें।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास। आप अपोज़ कर रहे थे।

श्री अर्जुनदास : I will rise to oppose this motion suggested by Shri Mool Chand Daga. He has suggested that from the definition of bribery 'by any person' that should be deleted. I will tell you the reason of puttiug these words. Today as the law stands, any person committing the corrupt practice is guilty. What he was suggesting is that the guilt of one person should not be borne by a candidate. These two things are quite apart. A third person can be disqualified, will the candidate not continue as a member. That person who gets the money is of course guilty, but it that has not any substantial bearing, the elect ion of the returned candidate is not to be set aside. Agency is now a usage these days. It has lost all its force. 'As soon as any person', 'any third party',......

श्री मूलचन्द डागा : It will be very difficult to prove that......

श्री अर्जुनदास : But it can be proved, sometimes. It shall not be borne by the candidate or the success- for member. Therefore your sugges- tion of course has not much force and it should be rejected.

(श्री मूलचन्द डागा के बाधा उपस्थित करने पर)

Another member is also here, I may take my seat.

श्री अध्यक्ष : You have moved your one amendment only.

श्री अर्जुनदास : In sub-clause (2), which gives us the definition of corrupt practice, this one particular clause 'and or his agent' be deleted. If we also delete the words, 'or his agent' be deleted. If we also delete the explanation no. 2 at the end of clause 33. The idea behind my suggested amendment is that it is now absolutely useless to keep these words here. Formerly corrupt practice...

श्री अध्यक्ष : आप कहते जाइये।

श्री अर्जुनदास : He is not hearing.

श्री अध्यक्ष : वह समझने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अर्जुनदास : वे और कुछ पढ़ रहे हैं।

Formerly before the last amend- ment, the representation of Peoples. Act contained the words 'or agent', because the corrupt practices avoid the election of the returned condidate. But this is not the correct position. Corrupt practice by his agent would also not avoid his election. Anyother person is much wider and bigger to incorporate. Agents might be few. I will say you again. नहीं समझा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके कहने की मंशा गलत है।

श्री अर्जुनदास : आपने समझा होता तो मुझे इतनी दिक्कत क्यों होती ? बात बहुत बड़ी है, जल्दी से समझ में नहीं आती। Let me say. It is very much difficult and complicated. I have experienced this and also learn it when I returned from election. It cannot be followed within a few minutes. Therefore it is redundant, and I take my seat.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, यह अमेण्डमेन्ट मूव किया गया है, इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह जो अमेण्डमेन्ट मूव किया गया है कि जिस आदमी ने रिश्वत ली हो, एक्सेप्ट की हो he should be declared as guilty of bribery. ब्राइबरी के मामलात 'इन्डियन पीनल कोड', से गाइड होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। Here we are concerned only with the returned candidate and not the third person and to what type of character would be sufficient. Here we can frame laws for the returned candidate and not against the person who has given bribery.

श्री अर्जुनदास : Who has taken or given the bribery ? Illegal gratification can be given by the returned candidate also.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (जारी) आप कहें कि रिश्वत दी है, हम वोटर के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन पीटिशन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्शन पीटिशन रिटर्न केन्डीडेट के खिलाफ आ जाय, उसके लिए डिक्लेअर कर रहे हैं। उसमें दूसरा आदमी एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है ? आपने सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न का रेफरेन्स दिया, मैं जानता हूं कि उसके अनुसार ब्राइब लेना ऑफेन्स है। वह ब्राइब लेने के खिलाफ भी है। You will find that he should be declared as guilty of bribery. उसका इलेक्शन नहीं हुआ है, रिश्वत लेने वाले का, इसलिए इसमें उसके इलेक्शन को वोइड करने की बात नहीं है। इसलिए आपने जो अमेण्डमेन्ट रखा है, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका इससे कन्सर्न नहीं है।

दूसरी बात आपने बड़े जोर से कही, और कहा कि मैं सुन नहीं रहा हूँ। वे दलील दे रहे थे कि एजेन्ट के द्वारा अगर कोई इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन दी जाती है, तो उसको इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि हमने 'ऑर बाई एनी अदर पर्सन' को मान लिया है। आपका यह इन्टरप्रिटेशन है। आप मुलाहिज़ा फर्मायें, क्लॉज़ ३२ के पार्ट 'बी' का, उसमें लिखा है कि करप्ट प्रेक्टिस किसके जरिये मानी जाय। क्लॉज़ ३२ में कहा है कि रिश्वत केन्डीडेट ने दी हो, एजेन्ट ने दी हो, विद दी कन्सेन्ट ऑफ......

श्री अर्जुनदास : एजेन्ट को नहीं मान रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (जारी) : आप सुन लीजिये : 'that any corrupt practice specified in section 3 has been committed by a returned candidate or his election agent or by any other person, with the consent of a returned candidate or his election agent;' तो थर्ड पर्सन रिश्वत देता है, उसका इलेक्शन वोइड नहीं होगा। केन्डीडेट खुद, या उसका एजेन्ट उसकी कन्सेन्ट से रिश्वत देगा तो

Page No.56

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इलेक्शन वोइड होगा। अगर इसमें से एजेन्ट निकाल देंगे तो वह रिश्वत देता रहेगा। वह थर्ड पर्सन से कवर नहीं होगा। इसलिए आपने जो दलील दी है, आपको अमेण्डमेन्ट कर देने से इसका मतलब उल्टा हो जायगा।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने 'और एनी अदर पर्सन' ने 'निकालने के लिए अमेन्डमेन्ट रखा है। मैं उसके लिए अर्ज करूंगा कि थर्ड पर्सन द्वारा रिश्वत देना, ऑफेन्स नहीं है, विद दी कन्सेन्ट ऑफ केन्डीडेट ऑफेन्स होगा, इसलिए मैं माननीय सदस्य से अर्ज करूंगा कि यह क्लॉज़ बिल्कुल साफ है, रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में जैसा है वैसा ही यहां लिया हुआ है, इसलिए आप अपने अमेन्डमेन्ट को विद्ड्रा कर लें।

श्री मूलचन्द डागा : I beg leave to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मूलचन्द डागा ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : I withdraw.

श्री अर्जुनदास(अजमेर पश्चिम): Sir, The explanation suggested by the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill is really full of flaw. Let me know the reasoning. There can really be no conviction. He said that with regard to the definition of the bribery whether it should be bilateral corrupt practice, he says that we are only defining the corrupt practice and action to be taken against the returned candidate. That position is not correct in accordance with the Bill moved by him against any other candidate who need not be a successful candidate or returned candidate as he has got to join a a co-party. If you do make him party and if there is no decision of the tribunal that the successful candidate is guilty of corrupt practice, he would be disqualified for future. I wanted to bring home to him that it is not correct that petition can be filed against the successful candidate. No action can be taken against unsuccessful candidate as well.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Why not against the voter, the person who withdraw shis candidature. ?

श्री अर्जुनदास : May I tell him that the person who accepts a gratification and withdraws his candidature, what provision you want to make for it ? You don't want. Therefore, we must have a provision like that. In the other amendment also the reasoning given by the Hon'ble mover of the Bill is not correct. He said, or his election agent' is necessary. We may read Section 32. I have read it over and over again. The suggestion is not correct because clause 32 contains the word 'election agent'.

श्री बद्रीप्रसाद : (अध्यक्ष)

श्री अर्जुनदास : (जारी) Then, I

(श्री अर्जुनदास)

can understand the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill when he srys that he accepts the spirit ofmotion. Where I stand is another thing. At least I am strengthened in my arguments, and it should be accepted because the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill has made his own way of thinking. He has agreed with the spirit of the motion. Now the question is whether the thing is doubtful or not? You have to make it clear. On that point I will tell you that the phraseology of the present Section is identical with what we get in the Representation of Peoples Act. The Phraseology is there and we have a ruling of the High Court, A High Court has laid down that if a person gets gratfication and withdraws, this is not covered by the present provision. In view of the ruling of the High Court there is some force in this amendment. The Hon'ble Member in-charge of the Bill has accepted the spirit of my amendment, I will request him to accept the phraseology as well.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन मन्त्री महोदय ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३३ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज ३३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ३४, इसमें मन्त्री महोदय के दो संशोधन हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक मेरा अमेंडमेंट लैंग्वेज के बारे में है :

"In the explanation substitute 'at such election' for 'for such election". दूसरा मेरा अमेंडमेंट है :

"(2) Insert the following:-

"(2) An election petition shall be deemed to have been duly presented if it is delivered by the person making the petition or by a person authorised in writing in this behalf by the person making the petition.''

इसमें नहीं था इसलिए इनको इन्क्लूड किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि 'Substitute the words' fifteen for the word 'thirty' in line two. यह जो टाइम दिया गया है, वह बहुत ज्यादा है, म्युनिसिपल इलेक्शन्स में जहां छोटे-छोटे चुनाव होते हैं, छोटे-छोटे चुनाव क्षेत्र होते हैं, वहां ३० दिन

Page No.58

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

का टाइम देने से कोई लाभ नहीं। आजकल ३० दिन का है, १० दिन में इलेक्शन पिटिशन दे दी जाती है, १५ दिन कर दिया जाय तो इससे लाभ होगा। इतने अधिक दिन देने से और भी कई झगड़े बढ़ सकते हैं। इसलिये में आशा करता हूं कि १५ दिन का जो संशोधन मैंने रखा है उसको स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष, मैं अपना संशोधन पेश करता हूं। सब-क्लॉज (२) की जगह यह कर दिया जाय : "Sub clause (2) be substituted by the following:" (2) The petition may be presented by any candidate who has not withdrawn or retired at such election or by any elector of the word or a person who claims that his nomination paper has been improperly rejected," इसमें जैसा क्लॉज रखा गया है उससे अगर जो कोई आदमी माहिर इलेक्टर नहीं है, दूसरे वार्ड का आकर खड़ा होता है तो वहां से जो खड़ा होता है, रिटायर होता है, उसे अपने राइट्स की रक्षा के लिये अधिकार होना चाहिये। इसलिये मैंने यह माइनर संशोधन प्रस्तुत किया है, जो संशोधन सरकार की तरफ से रखा गया है। मैं १५ दिन के पक्ष में हूं। ३ साल का पीरियड कर दिया है, जब १५ दिन के बजाय और १ महीने का बढ़ा देते हैं तो वैसे ही ५ साल को घटा कर ३ साल कर रहे हैं, तो १५ दिन कर दिया जाना चाहिये। यही काफी है........

श्री अर्जुनदास : I have also an amendment, Sir. I move the amendment that after the words 'any candidate' in sub clause (2) the following words be inserted 'including the one whose nomination was rejected,'

And after the addition of these words suggeseed by me the clause will be.

'The petition may be presented by any candidate including the one whose nomination was rejected at such election or by any elector of the ward.'

Sir, I believe the amendment tabled by the Hon'ble Member Shri Jwala Prasad is identical or practically the same as the amendment tabled by me I believe at least the idea underlined in both the amendments is same. But from legal aspects it is possible that the amendment tabled by Hon'ble member from Nasirabad may have one effect, that any candidate who happens to have withdrawn may not be told to fight election. I will say, it means that any person whose nomination paper is rejected otherwise by the present phraseology he will not be told to contest. There is no rule of appeal as against the nomination paper. If you don't want to give a a right of appeal, how can he try to get the best decision. He should be given a right to get a decision or a possible declaration that his nomination paper has been improperly rejected. Today he has no right of challenging the order of the rejection of his nomination paper. There is no provision in the Bill. I think the

(श्री अर्जनदास)

Hon'ble member in charge of the Bell will agree that the person whose nomination paper is rejected he should have a right of appeal and if we don't give him a right of appeal, then he has no means to challenge it. Therefore, these words should be accepted and I believe the Honb'le Minister-in-charge of the Bill would accept this little amendment.

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो भाषा दी गई है, 'Petition may be given by any candidate or by any member of the ward' एक केन्डीडेट, अगर उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जावे तो भी वह इन बर्डिग्ज़ से वोटर है ।

श्री अर्जनदास : He should not be a voter of the Ward. You have already made a provision and you have accepted that principle.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह बात मैं जानता हूँ, आप तशरीफ रखिये । कोई भी वार्ड का वोटर व्यक्ति, इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है या कोई केन्डीडेट हो वह कर सकता है; a person whose form has been rejected as a candidate at the election ; फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो ।

श्री अर्जनदास : I am giving a reply

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अंग्रेजी भाषा थोड़ी समझने की कोशिश करें तो आपको मालूम होगा कि यह बहुत वाइड स्कोप रखता है । इसके सिद्धान्त पहले मैंने आपको बताये, उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार इसको अडॉप्ट किया है । मैं समझता हूं कि जैसा यह है इसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री अर्जनदास : I think, I should rise to thank the Hon'ble member to make himself agreed that by this word 'any candidate,' he means, 'whose nomination paper is rejected'. We never get any definition in this Bill. If we don't know any definition through this Bill, it is only upto the election tribunal to give its own decision as they may think proper, but let us also be careful. Therefore, my amendment should be accepted because it is to remove an ambiguity.

इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं। हर्जा तो होता नहीं । आपकी मंशा क्लीयर हो जावेगी । इसलिये इन शब्दों की वास्तव में जरूरत है । The petition may be presented by any candidate including the one whose nomination paper has been rejected. The matter should be clear. Any body can give us a wrong judgment of the point.

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उस सम्बन्ध में नहीं बताया है ।

श्री अध्यक्ष : महीने भर के समय को १५ दिन में घटा दें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह तो है नहीं कि एक ही महीने में पेश करे । वह जब चाहे पेश कर सकता है । यह तो सिर्फ लिमिट है कि एक महीने के

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अन्दर अन्दर होनी चाहिये। यह जो एक महीने का समय दिया गया है वह रीज़नेबल है, क्योंकि यह एडिशनल सेशन्स जज या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में पेश करनी होती है और इसके लिये नकल आदि लेने में समय लगता ही है। इसलिये यह समय रखा गया है। किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, वह चाहे तो जल्दी से दाखिल कर सकता है। अगर वह चाहे कि वह जल्दी पेश करे तो ५ या ७ दिन में भी पेश कर सकता है। ३० दिन के बाद अगर वह पेश करेगा तो वह लिमिट के बाहर हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद : I Withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री ज्वालाप्रसाद और श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री अर्जनदास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय मन्त्री महोदय ने रखे हैं, स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ३४ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३४ संशोधनानुसार विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ३५, श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ३५ और ३६ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३५ और ३६ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज ३७।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा संशोधन सिर्फ लैंग्वेज़ को करेक्ट करने के बारे में है और माननीय सदस्य ने जो संशोधन किया है वह भी वही है।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जनदास।

श्री अर्जनदास : 'A petitioner may' after these words, the word 'in' be inserted.

Page No.61

श्री अध्यक्ष : It is there....

श्री अर्जुनदास : Without this the language is not clear so I have said this.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय मन्त्री महोदय ने रखा है स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित रूप में क्लॉज ३७ स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

क्लॉज ३८

श्री अध्यक्ष : क्लॉज ३८

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (स्वायत्त शासन मंत्री) अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३८ में मेरा अमेन्डमेंट है कि : Substitute the following for the existing clause:-

"38. Who shall hear petition-(1) An election petition may be presented to and shall be heard by-

(a) the District Judge sitting at the place where the municipal office is situated,

(b) where there is no such District Judge, the Civil Judge so sitting or

(c) any other Judge, specially appointed by the State Government for the purpose :

Provided that where an election petition is presented as aforesaid to a Distt. Judge, he may for reasons to be recorded in writing transfer the same for hearing and disposal to a Civil Judge subordinate to him and sitting at the place where the municipal office is situated.

(2) The District Judge or Civil or any other Judge to whom an election petition is presented or transferred and by whom it is heard in accordance with the provisions of sub-section (1) is hereinafter referred to as the Judge".

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्रीचन्दनमल

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, वैसे तो काफी संशोधन इसमें हो गये हैं। इसमें एडिशनल शब्द और आना चाहिये। जहां एडिशनल सिविल जज बैठते हैं उनको भी ये अधिकार होने चाहिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : एडिशनल सेशन जज तो होते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : एडिशनल सिविल और सैशन्स जज होते हैं और वह एड कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : एडिशनल सिविल जज हैं तो सही आपके ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : कहां है साहब।

डॉ० बहादुरसिंह : हमारे धौलपुर में भी हैं एडिशनल सिविल एन्ड सैशन्स जज।

श्री अध्यक्ष : सिविल एन्ड एडिशनल सैशन जज होते हैं। जयपुर में शायद एडिशनल सिविल जज हैं। सिविल एन्ड एडिशनल सैशन जज तो हैं ही।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन मंत्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३८ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३८ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज ३६–(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता से) आपके दो संशोधन हैं। एक नई लिस्ट में से दूसरा पुरानी लिस्ट में से।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पहला अमेन्डमेन्ट तो केवल लैंग्वेज के करेक्शन के बारे में है :

In sub clause (3) after the words 'any rule' occuring in line 4 insert 'there-under.'

दूसरे जो अमेन्टमेन्ट्स हैं वे इस प्रकार हैं :

"In the proviso to sub-clause (6) after 'to do so' insert 'and has also given the security and the further security referred to in sub-section (1) and (2) respectively of section 48."

दूसरा है :

"After sub-clause (7), insert the following sub-clauses :

(8) "Any candidate, not already respondent, shall, upon application made by him to the Judge within fourteen days from the date commencement of the trial and subject to the provisions of section 48 A, be entitled to be joined a respondent to the petition."

(9) For the purposes of sub-section (8) the trial of an election petition shall be deemed to commence on the date fixed for the respondents to appear before the Judge and answer the claim or claims made in the petition.

(10) The Judge may upon such terms as to costs and otherwise as he may deem fit, allow the particulars of any corrupt practice alleged in the petition to be amended or amplified in such manner as may in his opinion be necessary for ensuring a fair and effective trial of the petition but shall not allow any amendments of the petition which will have the effect of introducing particulars of a corrupt practice not previously alleged in the petition.

(11) Every election petition shall be tried as expiditiously as possible and

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

endeavour shall be made to conclude the trial with in six months from the petition under sub section (1).'

उसके बाद एक ३६, (ए) नया सब-क्लॉज़ एड करने के लिए है :

"After clause 39, insert the following new clause :

"39 A-Appearance before Judge.' Any apprarance, application or act before the Judge may be made or done by the party in person or by a pleader duly appointed to act on his behalf :

"Provided that it shall be open to the Judge to direct any party to appear in person whenever the Judge considers it necessary."

लेटेस्ट जो इलेक्शन पिटीशन के बारे में असेम्बलीज़ के लिए तय किया है उन्हीं की कन्फर्मिटी में है और इसलिए उनको भी एडॉप्ट किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल वैद।

(अनुपस्थित)

डॉ बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन मंत्री महोदय ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३६ संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तावित नया क्लॉज़ ३६ 'ए' है, उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३६ 'ए' विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ४०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४० को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

(विराम)

क्लॉज़ ४० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ४१, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४१ में मेरे दो अमेन्डमेन्ट्स हैं। एक तो सब क्लॉज़ (२) में, "एप्लाई" की जगह "कंप्लाई" करने का है।

दूसरा है :

"After sub-clause (1) insert the following new sub-clause :

Page No.64

(श्री अध्यक्ष)

"(1A) At the time of making an order under sub-section.

(1) the Judge shall also make an order—

(a) Where any charge is made in the petition of any corrupt practice having been committed at election, recording—

(i) a finding whether any corrupt practice has or has not been proved to have been committed by or with the consent of any candidate or his agent at the election and nature of that corrupt practice, and........."
सेकिन्ड है इसमें :

"(ii) the names of all persons, if any, who have been proved at the trial to have been guilty of any corrupt practice and the nature of that corrupt practice, and........."
इसके बाद "बी" टोटल अमॉउन्ट ऑफ कोस्ट्स के बारे में है :

"Fixing the total amount of costs payable and specify the persons by and to whom costs shall be paid :—

Provided that a person who is not a party to the election shall not be named in the order under sub-clause (ii) of clause (a) unless—

(a) he has been given notice to appear before the Judge and to show cause why he should not be so named, and—

दूसरा "बी" रखा है :

(b) If he appears in pursuance of the notice, he has been given an opportunity of cross examin in any witness who has already been examined by the Judge and has given evidence against him of calling evidence in his defence and of being heard."

नया सब-क्लॉज़ ३ इसमें रखा गया है :

3. "After sub-clause (7) insert the following sub-clause :

(8) in sub-sections (1A) and (4) the expression 'a gent' has the same meaning as in section 33."
उसके बाद दो नये क्लॉज़ एड करने का है। एक है ४१ 'ए' और दूसरा ४१ 'बी'। जैसा मैंने निवेदन किया, ये लम्बे चौड़े हैं, रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के रूल्स की कन्फर्मिटी में रखे गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीमानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन मन्त्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४१, संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज़ ४१, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि दो नये क्लॉज़ ४१ ए और ४१ बी स्वीकार किये जायं।

(विराम)

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ४१ 'ए' और ४१ 'बी' विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़, ४२ श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४२ के अन्दर है कि सारे के सारे बोर्ड के इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया जाय और गवर्नमेन्ट एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दे तो दुबारा चुनाव कब होंगे। इसमें लिखा है कि general election to be held as early as possible, 'as early as possible' से साफ मतलब नहीं निकलता। सरकार की ओर से एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिये जाते हैं और चुनाव कराने की स्थिति आती है तो भी कई जगह यह देखने में आता है कि दो-दो, तीन-तीन साल तक एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त रहते हैं और जन-प्रतिनिधित्व के अधिकार सरकार नहीं देती है। इसलिए अमेन्डमेन्ट रखा है :

"Substitute the words 'without six months after the decision becomes final', for the words 'as early as possible' occuring in line four."

कोई डिसीज़न देती है तो सारे इलेक्शन सेट असाइड करें। डिसीज़न फाइनल हो जाय तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर छः महीने के लिए रहे।

२ म० प०

एडमिनिस्ट्रेटर उस समय तक रहे जब तक इलेक्शन के लिए सूची बनाने एवं उसके लिये लिस्ट बनाने में छः महीने से ज्यादा समय नहीं लग सकता। इस प्रकार के शब्द के रहने से ऐसा भी देखा गया है कि दो-दो, तीन-तीन साल तक चुनाव नहीं कराये जाते। जोधपुर म्यूनिसिपेलिटी का ही उदाहरण लीजिये। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो गया था, उसके करीब साल-डेढ़ साल बाद वहां के चुनाव किये गये। यही हाल हमारी जयपुर म्युनिसिपेलिटी का है। यहां हाई कोर्ट आन्दोलन के कारण सारे मेम्बरों ने इस्तीफा दे दिया था उस पर सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया उसको लगभग छः महीने होने आये किन्तु अभी तक यह पता नहीं कि जयपुर म्यूनिसिपेलिटी का चुनाव कब होने वाला है, क्या नया एक्ट बनने के बाद या जयपुर म्यूनिसिपल एक्ट के अनुसार होंगे, यह अब तक नहीं कहा जा सकता। इस 'as soon as' के शब्द से सरकार की मर्जी पर हो जाता है जब चाहे वह चुनाव कराये। कोई बोर्ड अगर एफिशियेन्टली काम नहीं करता है और उसे भंग कर दिया जाता है तो जनता को दूसरे प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिये। अगर सरकार यह देखती है कि वास्तव में बोर्ड की हालत खराब है तो सरकार उसको छः महीने में ठीक कर सकती है; मिनिस्टर्स रूल अनिश्चित काल तक के लिये नहीं रहने दिया जाना चाहिये। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि छः महीने की अवधि निश्चित

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

कर दी जानी चाहिये। क्योंकि इसके कारण हमें कई दफा कटु अनुभव हुए हैं। आज जयपुर के चुनाव होते हैं तो इसमें सरकार को जीतने की आशा नहीं है, क्योंकि अभी तक लोग भूले नहीं हैं। इसलिये जयपुर के चुनाव कब तक हो जायेंगे, यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसलिये मेरा यह संशोधन है कि इसमें छः महीने की अवधि मुकर्रर कर दी जाय।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ 'as early as possible' रखना चाहिये। आज जयपुर की जिस प्रकार की स्थिति है, जयपुर में इलेक्शन हो गये उसके बाद हाई कोर्ट का आन्दोलन चला और उसमें यहां के म्यूनिसिपल मेम्बरों ने इस्तीफा दे दिया, यह उचित नहीं था। ऐसी स्थिति आ जाय तो इलेक्शन के लिये जहां काफी खर्चा करना पड़ता है, उसकी व्यवस्था में भी खर्च होता है और काफी समय भी बर्बाद होता है। आज जो समय इतना महत्वपूर्ण है इसमें समय की काफी कीमत है। ऐसी स्थिति में जब नॉर्मल कन्डीशन आ जाय उस समय चुनाव करवा दिये जायेंगे, इसलिये 'as early as possible' यह रहना चाहिये, इसमें टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह निवेदन है कि टाइम लिमिट अवश्य होनी चाहिये, इस प्रकार की एम्बीगिवटी नहीं रहनी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी एक क्लॉज में जहां टाइम लिमिट प्रेसक्राइब कर देना चाहिये था, वहां किया गया। टाइम पर यदि चुनाव नहीं हुआ तो और बाद में हो गया तो उस चुनाव का क्या होगा, क्या उसे वोइड समझा जायगा। मान लीजिये छः महीने का समय हाई कोर्ट की रिट में ही लग गया और उसके बाद यदि इलेक्शन होता है तो उसका क्या होगा। इसमें 'as early as possible' रखा है, इसका मतलब है जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिये। आगे आकर जहां पर डिजोल्यूशन और सुपरसेशन के क्लॉज रखे उनमें समय का निर्धारण कर देना चाहिये। नॉर्मल केस में तो जितना जल्दी हो सके चुनाव हो जाने चाहिये, यही उपयुक्त होता है।

श्री अर्जनदास (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सारे के सारे चुनाव एक साथ कैसे खारिज हो जायेंगे। इलेक्शन पिटीशन तो एक एक वार्ड की होगी, सारे के सारे इलेक्शन पिटीशन्स एक समय पर खतम होंगे और सभी सक्सेसफुल होंगे, यह तो हो नहीं सकता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारे के सारे सेट असाइड होंगे तभी तो यह प्रोविजन एप्लाई होगा।

श्री अर्जनदास : जब आप ही इस बिल की धारा को नहीं समझे तो यहां बिल में क्यों रखा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो समझा हूँ तभी तो रखा गया है। आपको समझाना मेरे लिये बड़ा मुश्किल है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि अगर कोर्ट किसी चुनाव को सेट असाइड

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

कर देता है तो उसकी अपील होती है, उस अपील में छः महीने से ज्यादा समय नहीं लग सकता। छः महीने का जो समय रखा गया है वह ऐसा है उसमें गवर्नमेन्ट डेफ़ीनेट हो जाती है कि अब इसकी अपील नहीं होगी और जो डिसीज़न होगा वह फाइनल होगा। छः महीने के बाद चुनाव कराते हैं फिर अड़ंगा होता है कि इल्लीगल हो जायगा, इसलिये माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उससे मुझे सन्तोष नहीं है। जयपुर की स्थिति के बारे में, माननीय मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया। डॉ० बहादुरसिंहजी ने जैसा कहा कि यहां के सभी म्यूनिसिपल मेम्बर्स ने इस्तीफा दे दिया और आन्दोलन में भाग लिया इसलिये यहां की स्थिति जब तक सामान्य नहीं हो जाती, चुनाव नहीं हो सकते। मेरा उनसे निवेदन है कि क्या जहां जहां आन्दोलन होंगे और उनके कारण अगर म्यूनिसिपल बोर्ड भंग हो जाता है तो क्या वहां दुबारा चुनाव नहीं होंगे। इसलिये भी यह उचित है कि छः महीने का समय मुकर्रर होना चाहिये, कैसी भी अवस्था हो। स्वायत्त शासन का अधिकार जो जनतन्त्र में मिला हुआ है, उससे जनता को वंचित नहीं रखा जाना चाहिये। आज जयपुर की जो स्थिति है उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया। यहां जो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया, वे अब टैक्स लगाने का विचार कर रहे हैं, बिना जन-प्रतिनिधियों की राय लिये टैक्स लगाना उचित नहीं होगा, उनका प्रतिनिधित्व जरूरी है। इसलिये माननीय मंत्रीजी ने जो जबाब दिया है उससे मुझे सन्तोष नहीं है इसलिये मैं अपना संशोधन सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४२ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४२ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ४३

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मेरा इस क्लॉज़ में एक अमेंडमेंट है कि मौजूदा क्लॉज़ ४३ के बदले यह प्रतिस्थापित कर दिया जावे :

"The decision of the High Court on an appeal under section 41 B, and subject only to such decision, the order of the Judge under section 41, shall be final and conclusive."

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय मंत्रीजी ने जो संशोधन रखा है वह कानूनी ढंग से दुरुस्त नहीं है। अगर हम इसको स्वीकार कर लेते हैं तो सब-क्लॉज़ २ का क्या होगा।

Therefore I think, Sir, that the phraseology should as suggested by me in my amendment. For sub-clauses (2) and (3) the following shall be substituted:-

"Any party aggrieved by the decision of the judge may file an appeal

(श्री अर्जुनदास)

to the High Court within 30 days from the date of the decision by the judge and the decision of the High Court there in shall be final"

Further in sub-clause (4) for the words "sub-section (3) for an application review" the words "sub-section (2) for an appeal" be substituted.

When you agree to the right of appeal, then you will have to make a provision for that instead cf right of review. In sub-clause (4) the 'review' should be deleted and repleaced by 'appeal'. So this amendment will have to be accepted.

I think I am clear to the Hon. Minister.

२.११ म०प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : Is it 'thereon' or 'therein' ?

श्री अर्जुनदास : 'Therein'. Sub-clause (3) is useless and (4) will have to be amended a little, while (2) is to be substituted by the phraseology given by me.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): मेरा अमेंडमेंट यह है कि इस सम्पूर्ण क्लॉज़ को डिलीट करके यह प्रतिष्ठापित कर दिया जावे :

"Substitute the following for the whole clause:— 'Appeals' an Appeal shall lie from every order or judgement made by the judge to the High Court."

श्री अर्जुनदास : लिस्ट नम्बर ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : Number 5, Amendment No. 112. माननीय मन्त्री महोदय भी ऐसा ही अमेन्डमेंट लाये हैं पर उनके में रिव्यू का प्रोविज़न रह जाता है। यह प्रोविज़न होना ही चाहिये। यही मैंने अपने अमेन्डमेंट में रखा है। जब इलेक्शन में भी इलेक्शन पिटीशन का प्रोविज़न है तो इसमें भी जरूर वह प्रोविज़न रखना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑलरेडी मान लिया है। इसमें अपील करने का प्रोविज़न रखा हुआ है, ४१ जो ऑलरेडी मूव किया है।

श्री पी. के. चौधरी : I think that my amendment is covered by the amendment of Hon'ble Minister. So I do not want to move.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : ४१ 'बी' में जो प्रोवाइड किया है उसके मुताल्लिक हाई कोर्ट मे अपील होगी, इसलिये ४३ के बजाय नया क्लॉज़ रखा है वह इतना ही रखा है :

"43 Finality of orders and decisions. The decision of the High Court on an appeal under section 41-B and, subject only to such decision, the order of the Judge under Section 41, shall be final and conclusive."

इसलिये अब रिव्यू की गुंजाइश नहीं।

श्री अर्जुनदास : It means that you agree that sub-clause (3) of clause 43 should be deleted.

Page No.69

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जो मूव किया है उसको सारे के बजाय इतना रख दिया जावे; यह किया है, "Substitute the following : "43. The decision of the High Court on an appeal under Section 41-B......shall be final and conclusive."
सब्स्टीट्यूट कर दिया है, सारे के बजाय।

श्री अर्जुनदास : लिस्ट नम्बर ६ में क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : I do not want to move.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

श्री अर्जुनदास : Sir, what about the period of appeal ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ४१ बी में, ३० दिन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : वह संशोधन स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने........

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : I may be allowed to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री जगदीशप्रसाद को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अर्जुनदास: So far my amendment is concerned there is one little difficulty if the Hon'ble Member in-charge of the Bill may clarify. Who can file the appeal ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो ४१ में दे रखा है। जो एग्रीव्ड है वह अपील करेगा।

श्री अर्जुनदास : The question is, have we laid down even that much ?

श्री मूलचन्द डागा : What is the necessity ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री अर्जुनदास : वह कहां है ?

श्री मूलचन्द डागा : He will go to the court, those who are aggrieved.

श्री अर्जुनदास : Where is that ? It is only wishful thinking.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एग्रीव्ड पार्टी करेगी or any person involved.

श्री अर्जुनदास : कहां लिखा है, नहीं लिखा है न। यही तो दिक्कत है। Aggri-

Page No.70

(श्री अर्जनदास)

eved party or any person in the world ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Aggrieved party can......

श्री अर्जनदास : देखो, देखो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : देख रखा है।

श्री अर्जनदास : देख रखा है तो मुझे भी दिखाओ।

श्री उपाध्यक्ष : There is a clause, I think. Aggrieved party or the candidate. It is perhaps clause 43.

श्री अर्जनदास : ४३ में तो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सब-क्लॉज़ (३)।

श्री अर्जनदास : ४१ में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ४३ में था।

श्री अर्जनदास : वह तो रिव्यू का था।

अगर नहीं है तो फिर माननीय मन्त्री एक चीज कर लें कि जो माननीय मन्त्रीजी ने अमेन्डमेंट पेश किया है उसमें दो-तीन शब्द और जोड़ दिये जायें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, जिस स्टेज पर आप बोल रहे हैं। जैसा पहले के एक्ट में प्रोविज़न है उसी से लिया है। जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको राइट होता है दावा करने का। यह तो एक बहुत ही ऑर्डिनेरी लॉ है।

श्री अर्जनदास : Unfortunately, the law is not ordinary.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो बिल्कुल ही सीधी सी बात है.......

श्री अर्जनदास : आपके अमेन्डमेंट में दो-तीन शब्द और जोड़ दो। "The decision of an appeal by an aggrieved party." Under Section 41 (b).

यह शब्द जोड़ दो; then it is all right.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप मूव कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : Let us see clause 41 (b), if it can remedy the issue.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह वर्ड्स और एड कर दो जो यह (श्री अर्जनदास) कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : "41-B...............(1) An appeal shall lie to the High Court from every order made by the Judge under sub-section (1) or sub-sectino (1A) of Section 41." Does it remedy the issue, Mr. Arjun Das ?

श्री अर्जनदास : I think it is not very clear yet. As we have already passed 41-B, let these words be in clause 43.

There is no dispute on the idea underlying it. The dispute lies only about the wording. In the amendment suggested by the Hon. Minister I suggest that the words 'by an aggrieved party' be inserted after 'on an appeal' and before 'under section 41-B.'

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : What is the wording ?

श्री अर्जनदास : 'by an aggrieved party'. It should be inserted between the words 'on an appeal' and 'under Section 41-B'.

४१ (बी) में अमेंडमेंट कर दो।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अमेंडमेंट अब कैसे होगा, यह तो पास भी हो गया।

श्री अर्जनदास : ४१ में कर दो तो। अच्छा अब नहीं कर सकते क्योंकि पास हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन इस प्रकार है :

"43......The decision of the High Court on an appeal by an aggrieved party under section 41-B, and subject only to such decision, the order of the Judge under Section 41, shall be final and conclusive."

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री अर्जन दास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ

श्री उपाध्यक्ष : What about your amendment ?

श्री अर्जनदास : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री अर्जनदासजी ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की अनुमति दी जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री अर्जनदास : I withdraw my amendment ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४३ संशोधानुसार स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४३ संशोधनानुसार विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ४३ (ए), श्री पी०के०चौधरी।

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा): I do not want to move it, Sir. The Hon. Minister's amendment covers my amendment.

(विराम)

क्लॉज़ ४४

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं मूव करना नहीं चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ ४४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४४ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ४५

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४५ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४५ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ४६, डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं पेश करना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४६ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४६ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ४७

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं पेश नहीं करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४७ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४७ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ४८

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): उपाध्यय महोदय, क्लॉज़ ४८ में इलेक्शन पिटीशन्स की जो जमानत है उसके संबंध में प्रोविज़न है। अब तक जो इलेक्शन पिटीशन्स होते थे उनमें वर्तमान एक्ट के अनुसार उसमें ५० रुपये की स्वीकृति के बारे में है और अब जो इस विधेयक में दिया गया है उसके अनुसार जो सिटी के चुनाव हैं उसके लिए २०० रुपये और जो टाउन्स के चुनाव हैं उनके लिए १०० रुपये रखे गये हैं। जो इस समय वर्तमान एक्ट है उसमें कोई खराब बात दी हुई हो और उसको सुधारने जा रहे हों तो अच्छी बात है। लेकिन ५० से भी ऊपर २०० रुपये पर ले जाना और हरिजनों के लिए ५० से १०० रुपये कर देना मैं समझता हूं कि......शायद सिटी के लिए २०० रुपये और टाउन्स के लिए १०० रुपये का प्रोविज़न है। तो अब छोटे छोटे वार्ड्स होते हैं जहां पांच, छः सौ वोटर्स होते हैं और विशेषकर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सभी जगह पर ५० पर्सेन्ट कन्सेशन है लेकिन यहां तो उनके लिए भी नहीं है। यह सिटीज और टाउन्स के लिए है। इसमें मेरा संशोधन है कि जहां २०० रुपये हैं वहां तो १०० कर दिये जायं और जहां १०० रुपये हैं वहां पर ५० रुपये कर दिये जायें। तो यह डिफरेन्स बहुत कम हो जायगा और जो इलेक्शन पिटीशन्स लड़ने वाले हैं उनको भी सुविधा मिलेगी।

डॉ० बहादुरसिंह(धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो १०० रुपये और २०० रुपये रखे गये हैं, यह उचित है क्योंकि लोगों की यह प्रवृत्ति बन गई है कि इलेक्शन्स में अगर वह हार गए तो पिटीशन दायर कर देते हैं। उन्होंने समझा कि इलेक्शन्स किस प्रकार होते हैं, कितनी कटनाइयां होती हैं...

श्री उपाध्यक्ष : Your amendment, Mr. Bahadur Singh ?

डॉ० बहादुरसिंह : नहीं, मैं पेश नहीं करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मेरे ख्याल से अमेन्डमेन्ट आ चुका है कि १०० रुपये और ५० रुपये होना चाहिए। तो यह तो मामूली बात है कि जो हमारी विचार-धारा है उसमें यह है कि न्याय सस्ता होना चाहिए और ठीक होना चाहिए, सही ढंग से मिलना चाहिए और ये सारी सैद्धांतिक बातें हैं। अगर कोई शिड्यूल्ड कॉस्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई चुनावों में हार गया और पिटीशन दायर करना चाहता है तो उसके लिए तो इतनी बड़ी रकम देकर मुसीबत हो जायेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि १०० रुपये और ५० रुपये होने चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं जो कि संशोधन आया है। एक तरफ न्याय के नाम पर वे सब चीजें पैदा की जा रही हैं छोटे छोटे चुनावों के लिए जो कि मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट और एम. एल.-एज. के लिए तैयार किया गया है, और उसके बाद में पिटीशन को इतना सस्ता बनाने की कोशिश की जा रही है कि कितना रुपया खर्च करना पड़ा है इसका अन्दाजा पिटीशन लड़ने वालों को बहुत अच्छी तरह से होगा। इनकी सिक्योरिटी के नाम के अन्दर जब कि इस तरह से सारा कम्प्लीट लॉ डिपेन्ड कर रहा है एम. एल. एज. और एम. पीज. का तो कम से कम जिस केन्डीडेट को हैरान करने के लिए....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ऑनरेरियम नहीं मिलेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद : Let me speak Have patience.
तो मेरा यह कहना है कि कितना इलोबोरेट और इस तरह से कितना कम्प्लीकेटेड लॉ कर रहे हैं। सिम्पली आज तक इतना ही था कि डिस्ट्रिक्ट सैशन्स जज नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन पिटीशन्स को सुना करते थे और उनका ऑर्डर फाइनल होता था। वहां पर न्याय के अन्दर इतनी बड़ी चीजें स्वीकार की हैं जिनकी वजह से आज भी पिटीशन करने वाले मेरे दोस्तों के फैसले हुए थे हाई कोर्ट से दो ढ़ाई साल में और इतने में उनकी टर्म खत्म हो जायगी, लेकिन पिटीशन खत्म नहीं होगी। उन पिटीशन्स को डिफेन्ड करने के लिए, पिटीशन को फाइट करने के लिए चुने हुए केन्डीडेट को खर्च करना पड़ेगा, इस बात का अन्दाज़ा लगाइये। तो इस रकम को कम नहीं किया जाना चाहिए बल्कि और बढ़ा दिया जाना चाहिए और अगर जब वह लॉ है पिटीशन का जहां तक ताल्लुक है उसमें वकीलों को एन्गेज़ करने का सवाल है, वह उसी स्टेन्डर्ड से लड़ी जायगी जितनी कि एम. पीज़. या एम. एल. एज. की लड़ी जाती हैं। ऐसी हालत में इसको और बढ़ा देना चाहिए जिससे कि इस तरह की पिटीशन डिस्करेज हों और आदमी का रिस्क ज्यादा हो ताकि सच्ची पिटीशन्स को लें और झूठी पिटीशन को डिस्करेज किया जाय। इसलिए इतने रुपये रखने चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ यह कहा जाय कि कम कर दिया जाय और दूसरी तरफ यह कहा जाय कि बढ़ा दिया जाय। इस-

Page No.74

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

लिए मेरी राय यह है कि जैसा है वैसा ही रहने दिया जाय।

(हंसी)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : शिड्युल्ड कास्ट के लिए कम कर दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इसका अलग अमेंडमेंट मूव किया है दो क्लॉजेज का ४८ 'ए' और ४८ 'बी' नए एड कर लिये जायं। ४८ 'ए' में सिक्योरिटी फॉर कास्ट्स फ्रोम रेस्पोन्डेन्ट्स है। रेस्पोन्डेन्ट कोई हो जाता है तो जज डाइरेक्ट कर देता है कि सिक्योरिटी ली जानी चाहिए और ४८ 'बी' में है कि अगर हाई कोर्ट में अपील करता है तो १००)रु० सिक्योरिटी लेना है। दोनों क्लॉजेज को एड करने के बारे में मेरे संशोधन हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : There are two amendments. One is :"48- A. Security for costs from a respondent- No person shall be entitled to be joined as a respondent under sub- section of Section 39 unless he has given such security for costs as the judge may direct."

रेस्पोन्डेन्ट्स से कॉस्ट की सिक्योरिटी लेने का मतलब यह होता है कि anybody who is taken as respondent in the appeal, he will have to deposit this security, जो एक चुनाव लड़ कर आता है और उसके सामने भी एक पिटीशन होती है तो इसके मुताबिक इसकी भी सिक्योरिटी डिपोज़िट करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि एक आदमी चुनाव जीत कर आया है, बाद में उसके सामने कोई पिटीशन दी है जिस पर उसको काफी खर्चा हो जाता है पिटीशन को डिफेन्ड करने में। उसके ऊपर फिर उससे सिक्योरिटी डिपोज़िट रखी जाय, मैं उसको ठीक नहीं समझता हूं। वह एक किस्म का अननेसेसरी हेरासमेंट होगा। इसलिए ४८ 'ए' नहीं रहना चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : मैं उपाध्यक्ष महोदय, अपने संशोधन को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Are you withdrawing?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : No, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन ४८ 'ए' पर रखा गया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉज ४८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४८ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४८ 'ए' और ४८ 'बी' को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ४८ 'ए' व ४८ 'बी' स्वीकृत की गईं।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉजेज़ ४८ ए और ४८ बी स्वीकार की गई। क्लॉज़ ४९, डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): मैं उपाध्यक्ष महोदय, इसको पेश करना नहीं चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४९ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४९ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ५०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५० को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(विराम)

क्लॉज़ ५० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ५१।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ५१ में मेरा लैंग्वेज के करेक्शन के बारे में एक अमेंडमेंट है कि "After the words 'executed by him' in line 2, insert 'on application made in that behalf."

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५१ पर संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५१ के अन्तर्गत संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५१ को संशोधनानुसार स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५१ संशोधनानुसार विधेयक का अंग बना

(विराम)

क्लॉज ५२।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ एक लैंग्वेज के करेक्शन का है। इसमें प्रिन्टिंग एरर है। 'डे' के बजाय 'डेट' कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५२ के अन्तर्गत प्रस्तुत किया हुआ संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉज ५२ को संशोधनानुसार स्वीकृत किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५२, संशोधनानुसार विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ५३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५३ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ ५३ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ५४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५४ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५४ विधेयक का अंग बना ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ५४ में एमेंडमेंट थे, वे एग्रीड थे ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वयात्त शासन मंत्री) : वह ऑलरेडी है इसमें । वह रूल्स में प्रोवाइड कर रखा है और कोई दूसरा ओथ दिला सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : ५४ ए, श्री श्रीभानसिंह ।

श्री अर्जुनदास : कौन सी लिस्ट में ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट लिस्ट नं० ५, सीरियल नं. ११ पर इस तरह से है : Add a new clause 54-A as follows :—

"54-A. Salaries and allowances of members of the board-There shall be paid to the members of the Board such salaries and allowances as the Board may determine,'

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अगर हम देखें कि रिप्रजेन्टेटिव ऑर्गेनाईजेशन्स या पीपल जहां रिप्रजेन्टेशन से आते हैं तो उनको हर एक जगह किसी न किसी तरह का अलॉन्स या सेलेरी मिलती है, वर्क करने के लिये । मैंने यह भी देखने की कोशिश की कि आखिर यह फ्री सर्विसेज़ या म्यूनिसिपल मेम्बर्स से फ्री सर्विस लेते हैं या ग्रेटस सर्विस लेते हैं तो उसके पीछे सिद्धान्त क्या है; तो मेरे को कोई सिद्धान्त नहीं मिला । लेकिन जब से लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मेयो के समय में म्यूनिसिपेलिटीज़ खुली तब से उनके चेयरमैन राय बहादुर या मेम्बर्स राय साहब रहते थे, उस समय फ्री सर्विसेज़ थी और उनको फ्री सर्विसेज़ देनी भी चाहिये थी, क्योंकि वे इतने मालदार होते थे कि उनको थोड़ा बहुत एलाउन्स उस समय की म्यूनिसिपल बॉडिज़ से जिनको टैक्सेशन के पावर्स नहीं थे, लेना उचित नहीं था और उनको एलाउन्स की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, इसलिये वे फ्री सर्विसेज़ देते थे और वे रिप्रजेन्टेटिव भी ऐसे आते थे जिनको पैसे की जरूरत नहीं थी । और जो म्यूनिसिपल सर्विस देना चाहते थे उनके पास पहले से ही एक्सप्लोइटेशन का धन इतना था कि उनको एलाउन्स की जरूरत नहीं पड़ती थी । लेकिन आज, जब से भारतवर्ष में राजनीति शुरू हुई तब से एक राजनीति और एक सेक्रिफाइस के सिद्धान्त को हमेशा जोड़ा जाता है । आज भारतवर्ष में जिस किसी को नेता मानते हैं तो कहते हैं कि उनका त्याग और बलिदान क्या है ? हो सकता है कि उनका त्याग और बलिदान कुछ न हो लेकिन म्यूनिसिपल सर्विस के लिये उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन्स हैं कि म्यूनिसिलिटीज़ को उनकी सर्विस की जरूरत पड़े और वे अपने लोकल वर्क को छोड़ कर फ्री सर्विस देने आता है तो वह कुछ थोड़ा बहुत अपना नुकसान भी भुगतता है और उसके बदले में उसको कुछ मिलना चाहिये । मेरा मतलब यह नहीं है कि जितना नुकसान वह भुगते या

(श्री श्रीभानसिंह)

जितना समय वह डिवोट करे मान लो एक रोज का समय डिवोट करें तो उसका पूरा का पूरा नुकसान वह म्यूनिसिपेलिटी बर्दाश्त करे, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसको बर्दाश्त करना चाहिये, इतना जितनी कि उस म्यूनिसिपेलिटी की इन्कम हो, उसी आधार पर म्यूनिसिपेलिटी उसकी सेलेरी और एलाउन्स फिक्स करे। हम यह चाहते हैं कि हमारे रिप्रेजेन्टेटिव इन्सटिट्यूशन्स में इस प्रकार के आदमी आवें जो अबॉव सर्टेन लेवल हों। आज राजस्थान की म्यूनिसिपेलिटीज़ को देखें तो ५० पर्सेन्ट से ऊपर मैम्बर्स के ऊपर भ्रष्टाचार के केसेज़ मिलेंगे और यहां तक मिलेंगे कि १०० रु० का इल्लीगल प्रेटिफिकेशन या १,००० रुपये का एम्बेज़लमेन्ट करने के लिये म्यूनिसिपल मेम्बर्स अपने मेम्बर शिप का दुरुपयोग करते हैं। इन सब को रोकने के लिये उनको कुछ अलाउन्स मिले ताकि वे लोग वहां आकर दिलचस्पी लें। आज हम देखते हैं कि जो आदमी चुनाव जीत कर आते हैं, हम चाहते हैं कि आने वालों में वहां के इन्टेलेक्च्युअल्स हों, वहां के बार एशोसियेसन के वकील भी आवें और वे अपना टाइम दें, क्योंकि वहां पर कई तरह की लीगल चीजें भी आती हैं। एक आदमी अपनी वकालत का पेशा छोड़ कर म्यूनिसिपेलिटी में आकर अपना टाइम डिवोट करे तो आखर उसको अपने परिवार की ओर भी देखना है। आप यह चाहते हैं कि पोलिटिक्स के कारण कोई सर्विस रेन्डर करे, वह सेक्रिफाइस करके रेन्डर करे या जो खाका खींचा जाता है तो जिस टाइप के मेम्बर्स हम चाहते, उस टाइप के नहीं आवेंगे।

मैंने एलाउन्सेज़ और सेलेरी फिक्स करने की पॉवर्स रखी है म्यूनिसिपल बोर्ड्स के पास। जब बोर्ड फिक्स करता है तो उसके पास एक क्राइटेरिया रहता है और जो क्राइटेरिया उनके सामने रहता है वह है आमदनी का। यदि एक म्यूनिसिपेलिटी की डेढ़ लाख रुपयों की सालाना इन्कम है तो वह अपने मेम्बर्स को ज्यादा एलाउन्स दे सकेगी। लेकिन उनके सामने इन्कम का क्राइटेरिया रहेगा वह अपनी रेवेन्यू को देख कर ही तय करेगी उसको कितना टैक्स बढ़ाना है इस सब का ख्याल रहेगा, इसलिये यदि यह पावर्स म्यूनिसिपेलिटी के पास रहेगा तो वह कम एलाउन्स मुकर्रर करेगी और यदि यही पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी तो पहले तो इस प्रकार की पावर्स नह है और अगर पावर्स होगी तो जो म्यूनिसिपेलिटी २५ रु० एलाउन्स के तौर पर फिक्स करेगी, उसके बजाय स्टेट ५० कर देगी तो भी उसका बर्डन म्यूनिसिपेलिटी को शोल्डर नहीं करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को शोल्डर करना पड़ेगा। तो जब स्टेट गवर्नमेंट शोल्डर करती है तो रेस्पोन्सिबिलिटी उसकी रहेगी। इसलिये यह होना चाहिये कि म्यूनिसिपेलिटी ही अपनी इन्कम को देखकर सेलेरी या एलाउन्स जितना तय कर सके उतना करे। जिस वर्क के लिये वह मैक्सीमम कॉन्ट्रिब्यूशन चाहती है, क्योंकि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और बड़ी बड़ी संस्थाओं के एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क है। जो म्यूनिसिपल संस्थाएं हैं, उनका डे टू डे वर्किंग कम है, उनका ज्यादातर वर्क होता है कमेटीज़ के जरिये। हम यह चाहते हैं कि म्यूनिसिपेलिटीज़ की मीटिंग्ज़ जल्दी से जल्दी हों ताकि जल्दी सर्विस मिल सके तो वह काम कमेटीज़ के द्वारा ही हो सकता है। अब वे मेम्बर्स आवें कैसे ? उनको थोड़ा बहुत अट्रेक्शन होना चाहिये। हम जो अगर आज के मैटीरियल युग में यह आशा करें कि हर एक अपनी वेल्यु को फील करें बाई सेक्रिफाइस

(श्री श्रीभानसिंह)

तो यह सम्भव नहीं है। हर एक आदमी जो बहुमत से जाता है, वह कोई सेन्ट नहीं है। जो अगर इन इन्सटीच्यूशन्स को सेन्ट्स के द्वारा चलाना हो तो बात दूसरी है और तब तो स्वायत्त शासन मन्त्रीजी को हिमालय में ऐसे सेन्ट ढूंढ़ने पड़ेंगे जो त्याग और तपस्या के द्वारा निर्वाण चाहते हों, वे ही आकर इन संस्थाओं को चलावें। लेकिन आज तो आदमी को मैटीरियल सिक्योरिटी होनी चाहिये और जब तक मैटीरियल सिक्योरिटी नहीं होती तो ठीक है, जहां तक मोरेल रेजिस्टेन्स के मुताबिक दबाव, करप्शन, टेम्पटेशन से एब्व रहता है लेकिन कभी एक स्टेज आती है जब शायद जितना उसका मोरेल इन्टिग्रिटी या बर्दाश्त करने की जरूरत या ताकत है वह कभी न कभी गिव-वे कर देगी और किया करती है। हर एक आदमी को, मेम्बर को या जो हाई केलिबर के मेम्बर्स आते हैं उनको कोई अट्रेक्शन नहीं, सीधी सर्विस की बात लेकर नहीं चलते। सर्विस करना चाहते हैं लेकिन उनको सर्विस करने का मौका मिलना चाहिये। एक तो ऐसे केलिबर के आदमी आते हैं जो आते ही अपनी पावर्स का मिस यूज़ करते हैं। मिस यूज़ क्यों करते हैं? यह तो मनुष्य का स्वभाव है कि वह घर बैठे बिना मेहनत किये मालदार बनना चाहता है। यदि किसी की इकोनोमिक सिक्योरिटी नहीं है तो यह नहीं कह सकते कि जिस तरह के फंक्शन्स डिस्चार्ज करने को आते हैं उनको अच्छी तरह से डिस्चार्ज कर सकेंगे। यदि आप सेलेरी देंगे तो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी फील करेंगे ग्रेट्स या फ्री सर्विस करके यह चाहते हों कि एफिशियेन्ट वर्क हो, एफिशियेन्ट आदमी आवें और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और जिन सिद्धान्तों को लेकर चलें, यह संभव नहीं है। इन्हीं सिद्धान्तों को लेकर मैंने यह रखा है, क्योंकि आज न तो राय बहादुर हैं और न रावसाहब हैं। पहले बहुत से राय बहादुर और राय साहब पैसा खर्च करके घर बैठे राय बहादुर आदि बन जाते थे और अंग्रेजों के टाइम में ऐसा भी काफी हुआ है कि जिन्होंने फ्री सर्विस की थी उनको इस तरह के टाइटल देकर रिटायर किया जाता था। पिछली म्यूनिसिपेलिटीज़ की लोग मज़ाक उड़ाते हैं तो कहते हैं कि एक सेठ साहब चेयरमैन थे और वहां पर स्लॉटर हाउस खोलने का प्रस्ताव आया, तब सेठ साहब से पूछा कि आपकी क्या राय है तो उन्होंने कहा कि हमारी तो वही राय है जो राय बहादुर साहब की है या राय साहब की है या कमिश्नर साहब की राय है। वे अनपढ़ सेठ साहब थे। उस जमाने में वहां पर ऐसे ही आदमियों को इकट्ठा किया जाता था। आज हम यह चाहते हैं कि ऐसे आदमी आवें जो अच्छी तरह से कंट्रिब्यूट करें और आखिर टेक्नीकल चीजों को समझने वाले भी मेम्बर्स चाहिये। तो ये सब चीजें देखते हुए यह अनिवार्य है कि हम उनके लिए कम से कम जो सैलेरीज़ का प्रश्न हो सकता है उस सैलेरी के प्रश्न को एक्सेप्ट न करें, एलाउन्स का प्रश्न रखें। जो बोर्ड की मीटिंग मेम्बर अटेन्ड करें उनको एलॉउन्स देना अनिवार्य है। आप कहें कि बहुत से एक्ट्स में ऐसा नही है तो यह मतलब नहीं होता कि औरों में नही है तो इसमें भी प्रोवाइड न करें। जो लेटेस्ट एक्ट बने हैं और जो ओपिनियन आ रही है, वह इस तरह की है कि फ्री सर्विस नहीं ली जाय, पेमेन्ट जरूर होना चाहिए, एलाउन्स मेम्बरों को जरूर ग्रान्ट करना चाहिए क्योंकि एलाउन्स के पीछे एक सिद्धान्त है। फ्री सर्विस के अन्दर यह चीज़ आती है कि जनता की सर्विस करने के लिए

(श्री श्रीमानसिंह)

मेम्बर्स आये। जो लोकल इन्स्टीट्यूशन्स में मेम्बर्स हैं उन्होंने अभी तक जनता की सर्विस नही की है। ऐसे केसेज़ मिलेंगे कि उन्होंने अपनी सर्विस जरूर कर ली होगी। इसलिए मेम्बरों को एलीमिनेट करने के लिए मेम्बर्स को थोड़ा करप्सन से बचाने के लिए, उनके अन्दर मोरल स्टोंचनेस हो, क्योंकि उनके सामने टेम्पटेशन डेली आते हैं। आप कमेटी को पावर देते हैं, कमेटी के मेम्बर्स को पावर देते हैं तो उनके सामने डेली टेम्पटेशन आते है, उन टेम्पटेशन्स से ऊपर रहें, उन टेम्पटेशन्स में न फंसें, यह जरूरी हो जाता है। हम थोड़ी बहुत आर्थिक सिक्योरिटी दें, इसलिए एलॉउन्स देना जरूरी है। बोर्ड के काम में एफिशियेन्सी लाने के लिए, बोर्ड अच्छे वर्किंग के लिए, बोर्ड के सिद्धान्तों को समझाने के लिए और उनको लागू करने के लिए बोर्ड में अच्छे मेम्बर्स, इन्टिलेक्चुअल मेम्बर्स लाने के लिए, उन्हें अट्रेक्शन देने के लिए, उनकी सर्विस के लिए कुछ न कुछ उन्हें कम्पेन्सेट करना जरूरी है।

श्री रामचन्द्र (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, बयाना से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है, उसका समर्थन करते हुए मैं यह कहूँगा कि यद्यपि यह कहा जाता है कि अच्छी सेवा वह होती है जो नि:स्वार्थ भाव से की जाय, लेकिन इस कहावत के अनुसार दुनियां में कितना अमल होता है, इस सम्बन्ध में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है सिवाय मां के, जो अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ भावना से सेवा करती है, वरना संसार में जो प्राणी हैं, वे किसी न किसी स्वार्थ को लेकर सेवा करते हैं।

एक माननीय सदस्य : बाप नहीं करता ?

श्री रामचन्द्र : अभी आपको समझाये देता हूँ। मैं अपनी इस बात को समझाने के लिए ज्यादा दूर की बात नहीं कहना चाहता। हम लोग जो विधान सभा के सदस्य बन कर आते हैं, उनके सामने यह प्रश्न आये कि आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि १७६ में से कितने प्रतिशत सदस्य इस सभा में हाजिर रहते हैं।

(तालियां)

इसलिये हमारी म्यूनिसिपेलिटीज़ में जो सदस्य चुने हुए जाते हैं उनके सामने यदि हम यह समस्या रखें कि बिना कुछ लिये रात दिन जनता की सेवा में लगे रहो, यह कहां तक उचित है, इस पर हाउस स्वयं विचार कर सकता है। कोई जमाना ऐसा था, जो ऋषि मुनियों का जमाना था, जब लोग नि:स्वार्थ भावना से सेवा किया करते थे। लेकिन हमेशा से ग्रेटिफिकेशन किसी न किसी रूप में मनुष्य के साथ लगी हुई आई है। अंग्रेजों के जमाने में भी ग्रेटिफिकेशन थी, उस समय रुपये पैसे से ग्रेटिफाइ नहीं किया जाता था, उनको राय बहादुर, खान बहादुर के टाइटल देकर ग्रेटिफाई किया जाता था। आज हमारे संविधान में टाइटल को स्थान नही दिया गया है, इसलिए रुपये के रूप में अगर जन सेवकों को कुछ दे दिया जाय तो मैं समझता हूँ कि वे अधिक लगन के साथ काम करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष, हमें इसी चीज को दूसरी तरह से देखना चाहिए कि मानवीय मनोविज्ञान इसमें कहां तक मदद देता है। म्यूनिसिपल बोर्ड, म्यूनिसिपल कौंसिल में चुने हुए मेम्बर जाते हैं, आपने इस एक्ट

(श्री रामचन्द्र)

के अन्दर म्यूनिसिपल चेमरमैन और कौंसलर के लिए ७५ रु० और १७५ रुपये रखे हैं और आप यह चाहते हैं कि उनके साथ जो साथी बराबर चुने हुए आये हैं वे निःस्वार्थ भावना से सेवा करें। यह कहां तक उचित है? मेरे देखने में आया है कि जब से ७५ रुपये और १७५ रुपये का प्रोविज़न आपने इनके लिये रखा है, मेम्बरों में बड़ा असंतोष फैल गया है। वे कहते हैं कि हमारे चेयरमैन या कौंसलर को तो ७५ रु०, १७५ रुपये मिलेंगे पर हमें क्या मिलेगा, हमें मीटिंग में जाने से क्या फायदा? अगर आपको काम करना है, आप चाहते हैं कि म्यूनिसिपेलिटीज़ अच्छी तरह चलें तो या तो सब ही व्यक्तियों को सारे काम निःस्वार्थ भावना से करने चाहिए या चेयरमैन के आपने जो कुछ अलाउन्स के रूप में रकम रखी है, उसी अनुपात से प्रत्येक सदस्य के लिए रेम्युनिरेशन के लिए रखें तो म्यूनिसिपेलिटीज़ का काम अच्छी तरह से चलेगा। इसके साथ ही साथ मैं यह कह देना उचित समझता हूं कि हरिजन समाज के लोग जो मेम्बर बन कर जाते हैं उनके लिये तो बड़ा डिसएडवान्टेज़ है वे साधारण परिस्थिति के होते हैं। वे कहते हैं कि यदि हम तो म्यूनिसिपेलिटी की मीटिंग में शाम तक रहें और सब-कमेटियों में मारे मारे फिरें तो अपने बाल बच्चों को क्या खिलायें। मैं समझता हूँ कि आर्थिक प्रश्न सबके सामने लगा हुआ है। इसलिए हमारे हरिजन समाज के जो मेम्बर होते हैं वे विशेष दिलचस्पी के साथ काम नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके सामने आर्थिक संकट सदा खड़ा रहता है। यदि उन्हें अलाउन्स के रूप में कुछ दे दिया जाय तो मैं कहूँगा कि दुनिया भर के काम छोड़ कर जनता की सेवा में लगने में कभी हिचकिचाहट नहीं करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है वह बहुत उचित संशोधन रखा है और किस किस को, कितना कितना दिया जाय किस रूप में दिया जाय, इसके लिए नियम बना दिये जांय।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, यह जो संशोधन आया है, मैं उसका विरोध करता हूं। इसके साथ यह बताया गया है, साहब, कि जो म्यूनिसिपेलिटी में चुन कर आते हैं, वे पैसा खर्च करते हैं, विधान सभा में जो आते हैं उनको अलॉउन्स दिया जाता है, चेयरमैन को अलॉउन्स दिया जाता है तो इन मेम्बरों को भी दिया जाना चाहिए। इसके साथ यह बताया कि चूंकि इनको अलाउन्स नहीं मिलता, इसलिए अच्छे लोग नहीं जाते, वकील लोग नहीं जाते। मैं उसके बारे में बताऊं कि जितनी म्यूनिसिपेलिटीज़ हैं, उन सब म्यूनिसिपेलिटीज़ में देख लीजिये, वहां पर वकील मौजूद हैं........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वकीलों का नाम किसने लिया?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह कहा गया कि अच्छे योग्य व्यक्ति नहीं आते, इसका मतलब यह है कि म्यूनिसिपेलिटीज़ में जो चुन कर आये हैं वे अयोग्य है। मैं कहूंगा कि वे व्यक्ति योग्य हैं जो जनता से चुन कर आये हैं। अब आप कहते हैं कि उनको अलाउन्स मिलना चाहिए। उसके बारे में मैं बताऊं कि विधान सभा में जो आनेवाले व्यक्ति हैं उनको ज्यादा समय जयपुर में रह कर खर्च करना पड़ता है और उ

(श्री पुरुषोत्तमलाल)
अपना जो कारोबार है उसको बन्द करना पड़ता है। चेयरमैन को जो अलाउन्स दिया जाता है, वह इस बेसिस पर नहीं दिया जाता कि वे मीटिंग अटेन्ड करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे ऑफिस का कारोबार चलाने के लिए वहां आते हैं, इसलिए उन्हें कुछ अलॉउन्स के रूप में दिया जाता है। अब कह दीजिये कि म्यूनिसिपेलिटीज़ के मेम्बर्स को अलॉउन्स दिया जाना चाहिए, मैं उसके बारे में कहूंगा कि हमारे राजस्थान में जो म्यूनिसिपेलिटीज़ की हालत है, उसको देखें कि वे अपना खर्च नहीं चला सकतीं। अगर हम यह प्रोवाइड कर दें कि मेम्बर्स को अलॉउन्स दिया जाय। मान लीजिये कि म्यूनिसिपेलिटीज़ की आमदनी २ हजार, १० हजार हैं, वहां पर दो रुपया मेम्बर्स के लिए अलॉउन्स रखें तो क्या अच्छे अच्छे व्यक्ति दो रुपये में आकर बैठेंगे। मैं कहता हूँ वे कदापि नहीं आयेंगे। आप अच्छे व्यक्ति की कीमत दो रुपये, पांच रुपये आंकने की कोशिश करते हैं, मैं कहता हूं कि अच्छे व्यक्ति वे हैं जो कुछ न कुछ देश की सेवा में समय लगावें। वहां ऐसा है कि जो मेम्बर होते हैं, वे एक घंटा या आधा घंटा देते हैं, ऐसी स्थिति में कहा गया कि वे अपने कारोबार में समय लगाते हैं, उसको उन्हें छोड़ देना पड़ता है, मैं इसे उपयुक्त नहीं कह सकता। ऐसी हालत में यह कैसे कहा जाय कि हरएक म्युनिसिपेलिटीज़ अपने यहां के लिए अलॉउन्स मुकर्रर कर ले। मैं कहूँगा कि आज जो करप्शन के बारे में बात कही जाती है कि जो बिना अलॉउन्स लिये जाते हैं वे करप्शन करना शुरू करते हैं, मैं कहता हूं कि ऐसा कदापि नहीं है। आज भी अच्छे अच्छे योग्य व्यक्ति हैं, जो करप्शन की तरफ नहीं जाते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। आप अलाउन्स देकर देख लें, जहां अलाउन्स मिलता है, जहां पैसा मिलता है, उन लोगों को भी देखें, वहां कुछ आदमी अच्छे हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। ऐसी हालत में यह कहा जाय कि अलाउन्स देने से करप्शन रोक देंगे, यह नहीं हो सकता। म्यूनिसिपेलिटीज़ का कार्यक्रम ऐसा है, यह पहली स्टेज़ है जो लोकसभा और विधान सभा में जाने से पहले की है। अगर आप इसमें ऐसा लालच लोगों को देंगे तो आगे आकर वे लोग लोभ में, लालच में बढ़ जायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अपने देश की सेवा बिना मुआवज़े के करें और लोगों को बतायें कि अच्छी सेवा कर सकते हैं। नहीं तो वे लोग जब विधान सभा या लोक सभा के अन्दर चुन कर जायेंगे तो यह शिकायत होगी कि तनख्वाह लेकर म्यूनिसिपेलिटीज़ में गये थे और विधान सभा में इसलिए जा रहे हैं। इसलिए जो बिल तैयार हुआ है उसे इस तरह का न बनावें।

३ म० प०

अभी दूसरे यह कहा गया कि एक हरिजन भाई चुन कर आयेगा, वह अपना समय देगा, इसलिये उसको कुछ न कुछ देना चाहिये। मैं कहता हूँ कि हरिजन भाई कहते हैं कि समाज के बराबर मेरी बराबरी होनी चाहिये और दूसरी तरफ वह कहे कि मैं समाज के लिये समय नहीं देना चाहता तो यह ठीक नहीं। हरिजन हो, महाजन हो, ब्राह्मण हो चाहे और कोई हो सब का दर्जा बराबर है, सब मेम्बर हैं उनके बराबर उसकी भी पोजिशन है तो उसको भी कुछ न कुछ समाज के लिये त्याग करना चाहिये और इसीलिए त्याग करते हैं। जो समय दे सकते हैं, वे ही चुनाव लड़ते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

कि जो संशोधन आया है वह स्वीकार नहीं होना चाहिए।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिए करता हूं कि दो एक बड़े माननीय सदस्यों ने ज्ञान की बातें कही, निष्काम कर्म की बात कही तो मैं यह कहना चाहता हूं कि निष्काम कर्मयोग की बात जो कहते हैं तो उसमें भी स्वार्थ है, यह स्वार्थ है कि निष्काम कर्म करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। तो इसी तरह सदस्यों को अलाउन्स दिया जाना चाहिए जिस व्यक्ति से काम लेना चाहते हैं और उसको अलाउन्स नहीं देना चाहते हैं तो यह उपयुक्त नहीं। जयपुर की ही स्थिति देख लीजिये। कोई दूसरी जगह का एक सदस्य दूर से चल कर आता है, कोई किसी सवारी में आता है तो कोई साईकिल पर आता है तो हम कम से कम साईकिल का ही अलाउन्स दें पर कुछ न कुछ होना जरूर चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि हरिजनों की स्थिति ऐसी है, वास्तव में मैं हरिजनों में से कई एक को जानता हूं; ऐसे कार्यकर्ता हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वे सुबह उठते ही अपने क्षेत्र को, गलियों को देखना चाहते हैं कि उनकी क्या हालत है, वे इस योग्य नहीं हो सकते कि नौकरी करें, रोजगार करें। ऐसी स्थिति में चाहे दो रुपया ही हो पर होना चाहिये। एक माननीय सदस्य ने कहा कि क्या उनकी स्थिति को दो रुपयों में आंकना चाहते हैं, तो मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहूँगा कि क्या वे २०० रुपयों में अपनी स्थिति को आंकना चाहते हैं ? बहुत से माननीय सदस्य हैं जो इससे ज्यादा खर्चा कर देते हैं। तो यही चीज नगरपालिकाओं के सदस्यों के लिये होनी चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यह युग निष्काम कर्मयोग का युग नहीं है, सकाम कर्मयोग का युग है, स्वार्थ का युग है, कुछ न कुछ आकर्षण, अलाउन्स, तांगे की सवारी का कुछ न कुछ किसी भी प्रकार का हो उनको देना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने दुहाई दी कि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति खराब है और खराब हो जायगी। मैं निवेदन करूंगा कि खराब हो जायगी तो टैक्स क्यों नहीं लगायेगी। जो नया प्रस्ताव रखा है उसमें यह रखा है कि अपनी स्थिति के अनुसार रखें, इसमें स्थिति बिगड़ने का सवाल ही नहीं आता। "स्वार्थ लागि करें सब प्रीति" इसके अनुसार, यह दुनिया का उसूल है। इसलिये आप थोड़ा न थोड़ा स्वार्थ उनको देवें।

श्री पी० के० चौधरी (कुलेरा) : जो अमेन्डमेंड का प्रस्ताव बयाना से आने वाले माननीय सदस्य लाये हैं, मैं उसका विरोध करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर बोलते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने, किसी ने तो निष्काम कर्म की बात कही, किसी ने सकाम कर्म की बात कही। मैं अपना दृष्टिकोण प्रेक्टिकल, व्यावहारिक दृष्टि से रखना चाहता हूँ। इस प्रकार का अलाउन्स देना, वह भी म्यूनिसिपेलिटीज़ के मेम्बर्स के लिये देना उचित नहीं होगा, इसके कई कारण हैं। एक कारण माननीय सदस्य ने कहा कि सुबह उठ कर अपने एरिया में ड्रेन इन्स्पेक्शन करेगा, यह उसकी कोई रेगुलर ड्यूटी नहीं है, यह तो मीटिंग के लिये लाया गया है, ड्रेन इन्स्पेक्शन के लिये नहीं लाया गया है। मीटिंग रोज़ तो

(श्री पी० के० चौधरी)

होती नहीं, महीने में दो-तीन दफा होती है। यह नहीं है कि जैसे असेम्बली में आने के लिये, पार्लियामेंट में जाने के लिये किसी सदस्य को अपना धंधा, काम, बिजनेस है उसको छोड़ कर महीने दो महीने के लिये जाकर बैठना पड़ता है उस तरह उनको बैठना पड़ता हो। हमेशा म्यूनिसिपेलिटीज़ के सदस्य मीटिंग का इस तरह का टाइम एड्जस्ट करते हैं कि रोज़-मर्रा के काम उससे कोलाइड नहीं करते हैं। ऐसी कोई म्यूनिसिपेलिटी आज तक हमने नहीं देखी कि बात का ख्याल नहीं करती हो कि मेम्बर्स को काम छोड़ कर मीटिंग में आना पड़े या वे मीटिंग में काम की वजह से न आ सकें। राजस्थान में सबसे बड़ा शहर जयपुर है यहां म्यूनिसिपेलिटी दफ्तर में जाने के १५ या २० मिनट का समय लगेगा, यहां कोई दो-तीन दिन की मुसाफिरी करके नहीं आना है, असेम्बलीज़, पार्लियामेंट के मेम्बर्स को भत्ता देते हैं इसके दो कारण हैं, एक तो यह है कि उनको आर्थिक नुकसान होता है, वे अपना काम-धंधा नहीं देख सकते, वे अपना रेगुलर ट्रेड अटेंड नहीं कर पाते। दूसरे पार्लियामेंट और असेम्बली के वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं कि वर्किंग आवर्स सारे के सारे वहीं चले जाते हैं। पर म्यूनिसिपेलिटीज़ के सदस्य जिस शहर से चुन कर आये हैं वहां रहते हैं. न उन्हें होटल में खाना खाना पड़ता है और न कहीं जाना पड़ता है और न कोई नया अरेंजमेंट करना पड़ता है। जो अलाउन्स दिया जाता है वह प्रोफिट के लिये नहीं दिया जाता, रिप्रेजेन्टेटिव बॉडीज़ के नुमायन्दों को अलाउन्स इसलिये दिया जाता है कि जितना उन्होंने खर्चा उठाया है, उसके लिये या उनके मेन्टिनेन्स के लिये ऑनरेरियम है पर म्यूनिसिपेलिटीज़ के सदस्यों को म्यूनिसिपेलिटी की मीटिंग अटेन्ड करने से ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। असेम्बलीज़ और पार्लियामेंट के माफिक रेगुलर उनका लम्बा सेशन नहीं चलता। महीने में दो तीन दफा एक दो घन्टे के लिये मीटिंग हो जाती है। म्यूनिसिपेलिटीज़ के मेम्बर बनने में भी अगर प्रोफिट मोटिव ले आवें तो आज एक सीविक सेंस लोगों में पैदा करना चाहते हैं। वह तो खत्म हो जाती है और लोग सोचेंगे कि जो म्यूनिसिपेलिटीज़ में जाते हैं वे पैसा कमाने जाते हैं। हालांकि अलाउन्स दो-तीन मीटिंग से ज्यादा का नहीं देंगे, इससे ज्यादा आप दे नहीं सकते। लेकिन इसमें एक चीज यह हो सकती है कि जहां हम एक तरफ यह चाहते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जरिये से हम लोगों में सिविक सेन्स पैदा करें, स्वायत्त शासन में उनको ट्रेनिंग देवें। जब उनमें समाज सेवा करने की भावना हो तब उनके लिये यह कहना और उनके प्रति यह भावना पैदा करना उचित नहीं होगा। जब वे यह सुनेंगे कि उनके बारे में असेम्बली में बहस हुई कि उनको नुकसान होता है इसलिये उनको मुआवज़ा मिले तो मैं समझता हूं कि वे इसको अच्छा नहीं महसूस करेंगे। यह तो उनकी सिविक सेन्स की या समाज सेवा की कद्र कम करना होगा। इसके अलावा म्यूनिसिपेल्टीज़ में रुपये पैसे की कमी रहती है और जो भी सदस्य जाते हैं नगरपालिका में वे अपने नगर की सेवा करने के लिये जाते हैं। यदि उनको आप पैसा देने की बात करते हैं तो उनमें जो सिविक सेन्स है उसकी जड़ काट देते हैं। इस प्रकार यहां बहस करके। एक तो मुआवजे का मामला पैदा होता है और दूसरी बात यह है कि लोग सोचेंगे कि जो भी म्यूनिसिपेलिटी में खड़ा होता है वह पैसा पैदा करने के लिये खड़ा

(श्री पी० के० चौधरी)

होता है। आज भी लोग बाग बाहर ऐसा सोचते हैं कि एम. एल. ए. बहुत पैसा कमा लेते हैं, उनको बहुत रुपया मिलता है। मगर देखा जाए तो एम. एल. एज. लोगों को अलाउन्स में कुछ नहीं बचता है। अगर आप पब्लिक से रास्ते में बात चीत करें तो आपको मालूम होगा, लोग यह कहेंगे कि उनको बहुत पैसे मिलते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : पब्लिक सोचती है।

श्री पी. के. चौधरी : पब्लिक तो यह सोचती है कि आप यहां पर बैठ कर पैसा कमाते हैं। इसके अलावा वहां पर महीने में एक दो मीटिंग एटेन्ड करेंगे। आप उनको इस तरह कानून बनाकर १०) या १५) रुपये का फायदा पहुंचावेंगे। लेकिन इससे आप उनको बदनामी का भागी जरूर करा देंगे। लोग यह कहेंगे कि कौन सी हमारी सेवा करने के लिये वहां पर जाते हैं, वे तो पैसा बनाने के लिये जाते हैं, वे अपना टी. ए. बनाते हैं। आज पंचायतों की मीटिंग्स होती हैं। पंचायतों को तो नहीं मिलता है।

एक माननीय सदस्य : पंचायतों में मिलता है।

श्री पी. के. चौधरी : ग्राम पंचायतों में नहीं मिलता। जब वे कहेंगे कि म्यूनिसिपेलिटीज़ में तो वे एक या दो मील की दूरी से आवेंगे। लेकिन पंचायतों में लोगों को ५ या ६ मील की दूरी से आना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह की परम्परा शुरू कर देंगे तो इसका नतीजा ठीक नहीं रहेगा।

दूसरी बात यह भी हो सकती है कि जब आप पैसा देंगे तो आपका उनकी मीटिंग पर कन्ट्रोल नहीं होगा कि कितनी मीटिंग्स होनी चाहिये। कोई म्यूनिसिपेल्टीज में ऐसे सदस्य आ गये कि जिनके पास कोई काम नहीं है तो वे कहेंगे कि रोजाना मीटिंग बुलाई जावे। और वे तीन या चार रुपया रोजाना अलाउन्स भी लेंगे। आज भी हम देखते हैं कि म्यूनिसिपेलिटीज़ की आर्थिक कन्डीशन बहुत खराब है और दयनीय है। उसके पास वहां की सर्विसेज़ को देने के लिये पूरा पैसा नहीं है। उस पर भी अगर आप अलाउन्स के १० या ५ रुपये ले लेते हैं तो भी उनके फाइनेन्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर ऐसे माननीय सदस्य भी आ सकते हैं जो रोजाना मीटिंग करें। उस समय क्या पोजिशन होगी? मेरा ऐसा आइडिया है कि इस प्रकार का अमेन्डमेंट बड़ी अच्छी भावना से प्रस्तुत किया गया है लेकिन उसकी मंशा क्या हो सकती है और पब्लिक साइकॉलोजी में इसका क्या असर हो सकता है, इसका बराबर खयाल नहीं किया है। क्योंकि मैं समझता हूं कि लोकल बॉडीज है उसमें लोगों का क्रिटिसीजम ज्यादा होता है क्योंकि वे नजदीक रहते हैं। इसलिये यह जो अलाउन्स आप रखेंगे तो इसका लोगों में रिवर्स इफेक्ट होगा।

इसके अलावा दूसरी दलील यह दी गई की हरिजनों को इससे बहुत फायदा पहुँचेगा मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजन सुबह और शाम काम करते हैं और म्यूनिसिपेलिटी में हरिजन सदस्य कितने रखेंगे। एक हरिजन सदस्य होगा। उसको उसूल बना कर सबको देना चाहते हैं। मैं यह समझता हूं कि यह कोई ऑनेस्ट आरग्युमेंट नहीं है। मैं यह कहूंगा कि आप उन लोगों पर उल्टा कलंक का टीका लगावेंगे।

श्री रामचन्द्र : मेरे लिये तो सभी बराबर हैं।

श्री पी० के० चौधरी : इनके लिये सब ठीक है। इसलिये यह जो अमेन्डमेंट है इससे नुकसान ही होगा। पब्लिक की मास साइकॉलोजी पर इसका उल्टा असर होगा। इसलिये इसको मंजूर नहीं करना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह एमेन्डमेंट जिस क्लॉज़ में आया है वह बेमौजू है क्योंकि खर्चे खाते खाते यहां पर भी बे-बात के पैसे को घुसेड़ दिया है। अगर इस अमेन्डमेंट को आना ही था तो उस जगह लाया जाता जहां चेयरमैन के अलाउन्स का प्रश्न है। इसके बावजूद भी जब इतनी बहस हो रही है तो मैं सबसे पहले इस बात को बता देना चाहता हूं और मुझे इस बात का का खेद है कि जो सदस्य म्यूनिसिपेलिटी में चुने जाते हैं वे उन्ही वोटों से चुने जाते हैं जिनसे एम. एल. ए. और एम. पी. चुने जाते हैं और एम. एल. ए. और एम. पी. बनते हैं। म्यूनिसिपेलिटी का दायरा चाहे छोटा हो लेकिन उसी बालिग मताधिकार के बेसिस पर चुने जाते हैं और उनका चुनाव भी इतना ही सही है जितना की एम. एल. ए. और एम. पी. का है। इसलिये उनके बारे में इस प्रकार की बात पैदा करना और कहना मैं उन्हें गलत मानता हूं। जब उनको पब्लिक चुनती है तो वे वहां पर पब्लिक के प्रतिनिधि की हैसियत से बैठते हैं। इसके साथ जो अलाउन्स मिलने की बात है उसके बारे में यह सही है कि आज किस तरह से सदस्यों से काम लिया जाता है, इसके अन्दर उनको कुछ दिक्कतें जरूर रहती हैं। यह भी बात गलत है कि दो ही मीटिंग्ज होंगी। क्योंकि जो भी मसला होगा कि उसकी पूरी छान बीन करेंगी। इसलिये मैं ऐसा मानता हूं कि कम से कम एक चौथाई सदस्यों को हमेशा बिजी रहना पड़ता है। सब-कमेटी आदि की मीटिंगें होती ही रहती हैं उनमें पार्टीसीपेट करने वालों को जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वालों को कन्वेयेन्स अलाउन्स आदि के नाम से मिलते हैं जब वे कमेटी में जाते हैं या कोई दूसरी जगह जाते हैं तो मिलते हैं, उस तरह का उनके लिये भी कुछ प्रोविज़न कर दिया जावे। क्या दिया जावे, यह उन्ही कमेटी पर छोड़ दिया जाना चाहिये। आज असेम्बली के सदस्य जो जनता के चुने हुए सदस्य हैं उनके लिये लोग महसूस करते हैं कि वे २००) तनख्वाह के नाम से लेते हैं और उनको जो यह मिलता है वह बहुत कम मिलता है लेकिन क्या इस हाउस में वे २००रु० से हजार रुपये करेंगे ? कभी नहीं करेंगे। वे कम से कम अलाउन्स लें और आप खुद देखते हैं कि असेम्बली के सदस्य, असेम्बली खुद सोवरिन पावर होते हुए भी कितना कम लेते हैं। पार्लियामेंट-वाले भी कितना कम लेते हैं। यानि सोवरिन पावर होते हुए भी सारे हिन्दुस्तान में वे लोग बड़ी रेस्पोन्सीबिलिटी से चल रहे हैं। इसलिये इसको उन पर छोड़ देना चाहिये और उन पर छोड़ देने के बाद इस प्रकार की कोई दिक्कत हमारे सामने पेश नहीं आवेगी कि वे अनाप शनाप ले लेंगे। यह कहना गलत होगा कि वे अनाप शनाप ले लेंगे। हमें इस तरह उन पर विश्वास करना चाहिये जो हमारे बराबर चुनावों में आये हैं। उनके लिये किसी प्रकार से सोचना या उन पर डाउट करना गलत होगा। इसके साथ साथ मैं यह भी महसूस करता हूं कि उन लोगों के अलाउन्स का मसला उन्हीं बोर्डों पर रखा जावे क्योंकि बोर्ड की माली हालत अलग अलग जगह की अलग अलग होती है। इसलिये बोर्ड की माली हालत को देखते हुए वहां के सदस्य

(श्री ज्वालाप्रसाद)

उसी तरह का अलाउन्स बांधेंगे। और मेरा तो विश्वास है कि वे उसी तरह का अलाउन्स बांधेंगे जिससे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं हो, तो पहले तो इसकी इसलिए मुखालफत करता हूं कि यह बे मौजू हैं, यहां पर यह लाने की बात नहीं है। यहां पर कसम खाते खाते पैसों की बात लिख दी जाय यह बे मौजू है। बाद में श्री श्रीमानसिंहजी करें और डिटेल्स में हो तो दूसरी बात है।

श्री सम्पतराज : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतराज

श्री सम्पतराज (अकलेरा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, मैं उसका विरोध करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय म्यूनिसिपेलिटीज और ग्राम पंचायतें प्रजातन्त्र की पहली सीढ़ियां हैं और जनता यहां से प्रजातंत्र की शिक्षा ग्रहण करना शुरू करती है। आज राजस्थान में म्यूनिसिपेलिटीज १०० या १५० होंगी और इस नये विधान के पास हो जाने पर जो कि इस समय सदन में विचारार्थ मौजूद है ८०, ९० म्यूनिसिपेलिटीज रह जावेंगी। लेकिन राजस्थान में चार हजार ग्राम पंचायतें हैं और ग्राम-पंचायत के सदस्य १५, २० प्रत्येक पंचायत में होते हैं। एक एक पंचायत १५, २० गांवों के बीच में होती है। सदस्यों को ग्राम पंचायतों की बैठकों में सम्मिलित होने के लिए ७, ८ मील दूर से आना पड़ता है।

श्री अर्जुनदास : म्यूनिसिपेलिटी का बिल है या पंचायत का ?

श्री संपतराज : मैं बताता हूँ, आप सुनिये तो सही। म्यूनिसिपेलिटी उस गांव या नगर की होती है, जहां को बननी होती है। कहीं बाहर से मेम्बरों को आना नहीं पड़ता, वे वहीं के वहीं रहते हैं, उनको सफर नहीं करना पड़ता।

श्री संपतराज : म्यूनिसिपेलिटी ...

श्री अर्जुनदास : आप किसी गांव के रहने वाले हैं ?

श्री संपतराज : मैं गांव का ही हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑडर प्लीज।

श्री संपतराज : मैं गांव का ही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Order, order. The Hon. Member will address the Chair, please.

श्री संपतराज : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के द्वारा यदि म्यूनिसिपेलिटियों के सदस्यों को अलाउन्स प्रदान किया गया तो ९० हजार ग्राम पंचायतों के जो सदस्य हैं वे भी इसकी मांग करेंगे। यदि इसको सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो जिन स्वायत्त संस्थाओं में सदस्य काम करते हैं उनके आपस में इस प्रकार का फिक्शन क्यों पैदा किया जाय ? एक को अलॉउन्स दिया जाय और दूसरे को नहीं। यह भी कहा गया कि बगैर अलाउन्स दिये सदस्य सेवा अच्छी नहीं कर सकेंगे, अच्छा काम नहीं कर सकेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर ग्राम पंचायतों के सदस्यों को भी इससे क्यों महरूम रखा जाय ? यदि आप इसको मंजूर करते हैं तो फिर आपको ९० हजार ग्राम पंचायतों के सदस्यों के लिए भी अलाउन्स स्वीकार करना पड़ेगा। म्यूनिसि-

Page No.87

(श्री सम्पतराज)

पेलिटीज़ की बैठकों से अधिक ग्राम पंचायतों की बैठकें होती हैं, ग्राम पंचायतों की बैठकें प्रति सप्ताह होती है जब कि म्यूनिसि-पेलिटीज की नहीं । म्यूनिसिपेलिटीज़ के सदस्य वहां के वहां रहते हैं और ग्राम पंचायतों के सदस्यों को बाहर से आना पड़ता है, उनका सारा दिन खराब हो जाता है जब कि म्यूनिसिपेलिटीज़ के सदस्यों को दिन भर नहीं लगता, वे अपने दूसरे काम भी कर लेते हैं । जब ग्राम पंचायतों के सदस्यों को नहीं दिया जाता है तो म्यूनिसिपेलिटीज़ के सदस्यों को भी नहीं देना चाहिये । आप यह एक छूत की भावना लगा रहे हैं, स्वार्थ की भावना प्रजातन्त्र में लागू कर रहे हैं । ग्राम पंचायत के सदस्य इसकी मांग करेंगे तो फिर आपको पंचायत के विधान में भी संशोधन लाना पड़ेगा।

जहां तक अच्छे आदमियों का सवाल है, मैं कहूँगा कि केवल अलाउन्स देने से ही अच्छे आदमी नहीं बन जावेंगे । जो चुन कर आते हैं उनको अच्छा मानना ही चाहिये । उनमें इस प्रकार का शक शुबा नहीं करते कि चूंकि उनको अलाउन्स नहीं देते हैं इसलिए वे अच्छे आदमी नहीं हैं, अच्छी सेवा नहीं कर सकते । सेवा से अलाउन्स का कोई ताल्लुक नहीं है । जहां तक विधान सभा के मेम्बरों को अलाउन्स देने का सवाल है, मैं निवेदन करूंगा कि म्यूनिसिपेलिटीज़ के सदस्यों को घंटा दो घंटा खर्च करना होता है और वे अपना दूसरा काम करके गुजारा करते हैं और उनका काम चलता रहता है लेकिन विधान सभा के सदस्यों को बाहर महीने दो महीने रहना पड़ता है और उनको वहां खर्चा करना पड़ता है।

हरिजन सदस्यों के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि हरिजन सदस्य ग्राम पंचायतों में और म्यूनिसिपेलिटियों में नोमिनेट किये जाते हैं । वे भी ईमानदारी और नेक नीयती से सेवा कर सकते हैं और करते हैं । उनसे शहरों में जो हरिजन बन्धु रहते हैं, उनकी अच्छी हालत होती है । इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल काफी देरी से यहां सदन के समक्ष है और काफी सदस्यों ने इस पर बहस की है ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक म्यूनिसिपेलिटियों का यह सवाल उठा है कि वे तो वहां के ही रहने वाले लोग हैं और असेम्बलीज़ और पार्लियामेंट में जाने वाले दूर के लोग हैं, उनको ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, मेरे विचार में अगर यह प्रश्न आया भी और रुपयों का सवाल आया भी तो वे सदस्य अपना अपमान समझेंगे और खास कर हरिजन भाई तो अपना अपमान समझेंगे कि इस तरह से कुछ अलाउन्स के रूप में लें, मैं इसलिए इस संशोधन का विरोध करता हूं । मेरा निवेदन यह है कि ऐसे मामलों में विचार आपको कर लेना चाहिये जैसा कि प्रश्न अभी आया था कि यहां असेम्बली के सदस्य लोग लेते हैं तो फिर वे क्यों नहीं लें और उनको क्यों नहीं दिया जाय ? मैं तो कहता हूं कि यहां भी जो भी लेते हैं जो अच्छी प्रकार से अपनी राय देते हैं और जैसी कि ओथ ऑफ एलीजेन्स ली हुई है, किसी

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

भी पार्टी का विचार न करके जिस प्रकार राय यहां दें 'यस' और 'नो' के मौके पर, अपने विचार प्रकट करते रहें तो यह कम गौरव की बात नहीं रहेगी और इसके लिए मेरा निवेदन है कि जब म्यूनिसिपेलिटी का प्रश्न आया तो वहां कितना धन होता है, उनमें जैसा न्याय होता है, उन सब को देखकर काफी खर्चा उनको करना पड़ता है, इसलिए न तो लिया जाय न दिया जाय ।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि म्यूनिसिपेलिटी के सदस्यों को अलाउन्स मिलना चाहिये । मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बताऊंगा कि अलाउन्स मिलने से क्या होगा कि एक तो जिनके पास साधन नहीं हैं एवं साधारण परिस्थिति के व्यक्ति सदस्य चुन कर आते हैं उनको अलाउन्स मिलने से ठीक तरह से काम कर सकेंगे । आज की चुनाव प्रणाली इस प्रकार की हो गई है कि उसमें हजारों रुपया खर्च करके सदस्य बनना पडता है तो इस तरह से साधन वाले आदमी तो सदस्य हो सकेंगे किन्तु बिना साधन वाले नहीं हो सकेंगे क्योंकि वे सोचते हैं कि इतना रुपया कहां से लायें और बिगाडें । लेकिन जब अलाउन्स मिलने लगेगा तो गरीब झोंपड़ी में रहने वाला भी म्यूनिसिपेलिटी का सदस्य बनने की सोचेगा । क्योंकि आज जिनके पास साधन हैं वे इसलिये म्यूनिसिपेलिटी में जाना चाहते हैं कि उनके ज्यादातर मकान होते हैं उनके सम्बन्ध में वे सहूलियत करवा सकें । गरीब आदमी जावेगा तो बड़े बड़े व्यक्ति सोचते हैं कि हमारे पास इतने मकान हैं, हो सकता है उनको गिराने के आदेश दिलवा देंगे इस प्रकार की विचारधारा चलती है, इन चुनावों में । इसलिये साधारण स्थिति के लोगों को सेवा का अवसर तभी मिल सकता है जब कि उनको अलाउन्स दिया जायगा । जो अच्छे आदमी जाते हैं, साधन वाले जाते है वे चाहें तो वहां जाकर त्याग दिखा सकते हैं जो कुछ भी अलाउन्स उनको मिले वह म्यूनिसिपेलिटी को वापिस लौटाया जा सकता है । जिसकी स्थिति अच्छी है, जो अलाउन्स लेना नहीं चाहते वे त्याग बता दें और जो अलाउन्स लेना चाहें वे अलाउन्स ले सकते हैं, जिससे अच्छी तरह सेवा भी कर सकते हैं ।

आज हम देखते हैं कि एक एक वार्ड के चुनाव में पांच पांच हजार रुपया खर्च हो जाता है । मेरे इलाके में एक पंचायत का चुनाव हुआ था । उसमें सरपंच का चुनाव होना था । उस सरपंच के लिये केवल पांच हजार रुपया खर्च हुआ । जहां सेवा की बात होती है वहां जनता वैसे ही चुन लेती है । रुपया खर्च करके जो चुनाव में आते हैं वे सदस्य सेवा के लिये आते हों, यह बात नहीं है । जो सेवाभावी होता है उसको तो जनता वैसे ही भेज देती है । इसलिये मेरा तो यह निवेदन है कि जिन सदस्यों को अलाउन्स चाहिये, वह दिया जाना चाहिये । मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संपतराजजी के भाषण के सुनने के बाद कुछ अर्ज करना मेरे लिये जरूरी हो गया है । उन्होंने पंचायत के बारे में बताया कि ६० हज़ार जन संख्या के बीच पंचायत होती है; मैं समझ नहीं सकता यह फीगर्स उन्होंने कहां से कोट किये । मेरा तो यह कहना है कि जो पंचायत के

Page No.89

(श्री अर्जुनदास)

फिगर्स उन्होंने बताये वे दुरुस्त नहीं हैं। म्युनिसिपल बिल का डिस्कशन हो रहा है, वे न मालूम पंचायत की स्थिति का वर्णन यहां कैसे करने लग गये। यह उचित नहीं था। अभी २ जैसा कि उन्होंने कहा मेम्बरों को कुछ अलाउन्स नहीं दिया जाना चाहिये। यह तो ऐसा हुआ खुद तो खाना लें और बेटे को कहे कि तू भूखों मर जा। हम खुद तो तनख्वाह ले रहे हैं और दूसरों को जब देने का सवाल आता है तब कहा जाता है कि यह न दिया जाय। हम तो कानून बनाने वाले बाप हैं और जिस म्युनिसिपेलिटी के लिये कानून बनाते हैं, वह बेटे के समान है। इसलिये जहां म्युनिसिपेलिटी का सवाल आता है वहां इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिये........

श्री पुरुषोत्तमलाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो यह कहते हैं कि वे हमारे बेटे हैं, यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य भी एक म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर हैं, आप बाप भी हैं और बेटे भी।

श्री उपाध्यक्ष : मोहब्बत में कहा है।

श्री अर्जुनदास : (जारी) मैं वहां एज़ म्युनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से बैठता हूँ, बेटे की हैसियत से बैठता हूं, यहां कानून बनाने वाले की दृष्टि से मैं बाप की हैसियत से बैठता हूं। हर एक आदमी बाप भी हो सकता है और बेटा भी हो सकता है इसलिये मेरे ख्याल में जहां माननीय सदस्य दो सौ रुपया मासिक वेतन लेते हैं, टी० ए०, डी० ए० अलग से होते हैं और मुझे यह भी याद है कि एक एप्लीकेशन चीफ मिनिस्टर महोदय को भी दी गई है जिसमें करीब १०० से ऊपर माननीय सदस्यों के दस्तखत हैं, इस वेतन को बढ़ाने के संबन्ध में····

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will not refer to that application which is not before us.

श्री अर्जुनदास : I am not criticising it, Sir, I am only quoting it in support of my argument.

श्री उपाध्यक्ष : It is not supporting your case.

श्री अर्जुनदास : Anything will do. Any way, Sir, जब हम तनख्वाह ले रहे हैं, बाकी को जब देते हैं तो हमें क्यों आपत्ति होनी चाहिये ?

दूसरी चीज जब इसमें गवर्नमेंट ने चेयरमैन को वेतन देना मन्जूर कर लिया है, वैसी स्थिति में बाकी सदस्यों ने क्या चोरी की है, जिसके कारण उनको वेतन न मिले। जब वे समय देते हैं तो उनको भी अलाउन्स दिया जाना चाहिये। जब चेयरमैन समय देता है तो उसको आप अलाउन्स देते हैं, वैसी स्थिति में सदस्य समय देते हैं तो उनको भी दिया जाना चाहिये। चेयरमैन को क्यों देना चाहिये इसके लिये सम्पतराजजी ने कुछ नहीं कहा........

श्री सम्पतराज : चेयरमैन डे टू डे काम करता है।

श्री अर्जुनदास : तो बाकी क्या बेकार बैठे रहते हैं ? चेयरमैन की मर्जी आये तो वह काम करे और मर्जी न आये तो न भी

(श्री अर्जुनदास)

करें। जहां तक सदस्यों का ताल्लुक है, उन्हें तो कमेटीज़ में जाना ही पड़ता है। इसके अलावा जनरल बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें जो मेम्बर आते हैं उनको कुछ न कुछ खर्चा अवश्य करना पड़ता है। पैदल तो जाते नहीं तांगा आदि करना ही पड़ता है और सब के पास कार तो है नहीं, कुछ लोग बेकार भी हो सकते हैं। वैसी स्थिति में अगर हम उनको तनख्वाह नहीं देते हैं, तो उनके साथ यह न्याय नहीं है।

दूसरी चीज़ जो नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कही यह प्रोविज़न ५४ में नहीं होनी चाहिये। चेयरमैन का वेतन अलाउन्स का जहां प्रोविज़न है उसी क्लॉज़ में इसको रखना मेरे ख्याल में ज्यादा उचित होगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि म्युनिसिपल मेम्बर के लिये अलाउन्स होना चाहिये, मगर इसका प्रोविजन दूसरी जगह होना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पूर्व वक्ता ने जो कुछ कहा उससे मुझे ऐसा लगा कि हमारे भारतवर्ष की संस्कृति जिसकी हम बड़ी महिमा गाते हैं उस सारी संस्कृति की छाप मिटाकर उन्होंने यहां ऐसी बात कह दी। सारी ईमानदारी और सेवा करने वाले लोग जिनका स्वभाव हो सकता है कि बिना पैसा ले कर भी सेवा कर सकते हैं, अपने जीवन की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिये, वे सेवा करते हैं। उनकी सेवा का मूल्य पैसों से आंका नहीं जा सकता। मैं यह मानता हूँ कि आज भी वे लोग मौजूद हैं, जो पैसे के लिये समय दे सकते किन्तु आत्मा नहीं दे सकते। हम नगरपालिकाओं में या छोटी छोटी संस्थाओं में जो सदस्य जाते हैं, उनके लिये हम यह समझने लग जांय कि बिना पैसा दिये या मुआवज़ा दिये वे काम नहीं कर सकेंगे, मैं समझता हूं यह कहना गलत है। मैं यह समझता हूँ कि हर व्यक्ति विशेष की भावनायें होती हैं, उसके विचार होते हैं जो वह अपने जीवन में लेकर चलता है। चुनाव जो लड़ते हैं उसमें दो प्रकार के आदमी होते हैं, एक तो धनी-मानी लोग सेठ-साहूकार होते हैं, उन लोगों में एक भावना होती है प्रतिष्ठा की, उसको कायम रखने के लिये वे चुनाव में आते हैं। उनको समय बहुत मिलता है, वे चाहते हैं कि उनके समय का सदुपयोग हो, इसलिये वे चुनाव में भाग लेते हैं। इस तरह के लोग अपना समय देने के लिये धारा सभा और पार्लियामेंट और म्युनिसिपल चुनावों में भाग लेते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं, जिन लोगों को, कमाने के बाद भी यदि वे अपनी कुछ सेवायें समाज को दे सकें, इसके लिये भी वे चुनाव लड़ते हैं। आप कई जगह देखिये कि धनी-मानी लोग, पूंजीपति लोग अपनी सेवायें अर्पित करने के लिये जानबूझकर, अपने जीवन की प्रतिष्ठा बनाने के लिये, चुनाव में आते हैं।

दूसरे वे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, वे मानसिक और नैतिक दृष्टि से गरीब नहीं होते। गरीबों को पैसे से नापना उचित नहीं होता। कई लोग गरीब आर्थिक दृष्टि से हो सकते हैं पर आत्मिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से वे गरीब नहीं होते। वे यह जानते हैं कि जीवन में कुछ त्याग और सेवा का मूल्य होता है। वे इनका मूल्य आंकते हैं।

प्रस्तावक महोदय के दिमाग में यह बात दिखती है कि नगरपालिकाओं की उन्नति,

(श्री मूलचन्द डागा)

उनका विकास, उनका उत्कर्ष उन लोगों के द्वारा ही हो सकता है जो कुछ पैसा लेकर, अपना समय देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है। हम यहां १७९ सदस्य हैं। पर अलाउन्स की भावना से कितने आदमी काम करते हैं? यह तो एक भावना है। मनुष्य की भावनाएं, उसके विचार उसके जीवन के लक्ष्य और ध्येय पर हैं। आप सी. डी. देशमुख को देखें। एक रुपये पर काम करते हैं। तो यह न समझें कि हर एक मनुष्य केवल पैसे के कारण ही सेवा करता है। अगर आज आपके संशोधन के मान लेने के बाद चुनाव होगा, तो स्वार्थी श्री मान खड़े होते हैं, यह कहना पड़ेगा, सेवाभावी शब्द हटाना पड़ेगा। क्योंकि आप समझते हैं कि हर एक आदमी म्युनिसिपल बोर्ड या नगरपालिका के लिये इसी अलाउन्स की खातिर खड़ा होता है।

फिर यह भी होगा कि कितना अलाउन्स वह लेगा, उससे उसका क्या काम चलेगा? एक तो महीने में मीटिंग होती है। साल में अधिक से अधिक बारह मीटिंगें होंगी।

फिर एक बात और है। हम राजस्थानी लोगों के २४ घंटों में से करीब करीब बीस बाईस घंटे उन बातों में जाते हैं, जिनका उपयोग की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं। हमारे पास इतना काम ही नहीं कि हम २४ घंटों उन कामों में लगे रहें। कोई आदमी अपना आठ दस घंटे का काम करने के बाद भी आसानी से नगरपालिका के काम के लिये समय दे सकता है और दिल लगाकर काम करता है उनकी भावना होती है काम करने की, उनकी होबी होती है सेवा करने की। जिसमें काम करने की भावना है, वह ज्यादा काम भी कर सकता है। कोई कोई सोलह-सत्रह घंटे रोज़ भी काम कर सकता है। यह सब भावना पर निर्भर करता है।

आपके पास पैसा है इसलिये आपकी ईमानदारी को कोई चैलेन्ज नहीं कर सकता। आप अगर यह मानते हैं तो यह वस्तुस्थिति नहीं है, तथ्य नहीं है। ईमानदारी का ठेका या सेवा का ठेका पैसे पर नहीं है, व्यक्ति विशेष की भावनाओं पर यह निर्भर करता है। इन भावनाओं के आधार पर ही म्युनिसिपेलिटी और पंचायतों का काम अब तक चला है और चलता है।

आप समझते हैं कि एक आदमी को पैसा देने से अच्छा काम चलेगा मैं समझता हूं कि नहीं। कई लोग समझते हैं कि दस-बारह घंटे काम किया घर का, अब एक दो घंटे समाज का भी काम कर लें क्योंकि वे समझते हैं कि वे समाज के एक अंग हैं और समाज के प्रति उनका कर्त्तव्य है कि जो बन सके वह सेवा करें। इसलिये इन भावनाओं से प्रेरित होकर वे सेवा करते हैं।

आर्थिक स्थिति आज किसी म्युनिसिपेलिटी की राजस्थान में ऐसी नहीं है कि वह यह भत्ता बर्दाश्त करें। इस पॉइन्ट ऑफ व्यु से भी यह उचित नहीं लगता। हालांकि दूर से आने जाने-वालों की कन्वीनिएन्स के लिये प्रोविज़न हैं। पर अलाउन्स देकर आप समझते होंगे कि जो ऑब्जेक्ट आपका है वह पूरा होगा, मैं कहता हूं नहीं होगा। पर उल्टा यह होगा कि लाभ आने के बाद लोभ ज्यादा हो जाता है। शहद चाटने के बाद शहद चाटने की आदत पड़ जाती है।

(हंसी)

(श्री मूलचन्द डागा)

आज भले ही भौतिकवाद के युग में, हम सब बातें मानने लग जावें कि यह नैतिकता की दुहाई देना, सेवा की बात करना या आदर्शवाद की बात करना थोथा है, निकम्मा है, ढौंग है और बहुत पुरानी बात हो गई है, आउट ऑफ डेट हो गई है। लेकिन कुछ न कुछ हिन्दुस्तान में सेवाभावी तो हैं। अभी भी हमारे सन्त विनोबाजी गांव गांव घूमते हैं। वह सेवा भावना मिटी नहीं है। और मेरी धारणा है कि अगर सेवा भावना से काम करने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे और भत्ता लेकर काम करने वाले ही रह जावेंगे तो अलाउन्स देने का जो आपका पर्पज़ है कि नगरपालिकाओं का काम अच्छा चले, उनको अच्छी सलाह मिले यह पर्पज़ सर्व होने का नहीं है।

अपने देश की हालत देखते हुए, अपने प्रान्त की आर्थिक स्थिति देखते हुए, केवल भावना के आधार पर नहीं, पर सामाजिक, नैतिक और आर्थिक तीनों दृष्टियों पर विचार करते हुए हमें यह मालूम होना चाहिये कि यह जो प्रोविज़न है, नहीं रहना चाहिये। मेरी समझ में संशोधन के प्रस्तुत कर्ता मेरी इन बातों को मानेंगे और अपने संशोधन को विदड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि जब हम सात आठ हजार की आबादी पर म्युनिसिपेलिटी बनाने जा रहे हैं, तो यह नहीं होना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे जो भावना है और इस सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये गये हैं, उस सम्बन्ध में मैं कुछ अधिक कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन इसका प्रेक्टिकल रूप क्या है, इसके बारे में मैं एक बात अर्ज करूंगा।

पहली बात तो यह है कि यह विचार एक नया है। अभी तक किसी म्युनिसिपल बोर्ड या नगरपालिका में ऐसा कानून नहीं था, राजस्थान में ही नहीं, बाहर भी किसी म्युनिसिपिलिटी में ऐसा कानून नहीं था, न है।

साथ यह भी अर्ज करूंगा कि किसी म्युनिसिपल बोर्ड या नगरपालिका की तरफ से इस तरह की कभी कोई मांग भी नहीं आई।

इसके साथ ही सबसे बड़ी कठिनाई जो मेरे सामने है, वह यह है कि म्युनिसिपल बोर्डों की आर्थिक स्थिति मैं यह कहूं कि खराब है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे यहां पर १५३ म्युनिसिपल बोर्ड हैं और मैं समझता हूं उनमें से यदि यह कहा जावे कि उनकी स्थिति अच्छी है तो वे शायद एक दर्जन होंगे। इसके अलावा बाकी में से २५-३० ऐसी भी हैं जो अपना काम चला लेती हैं और इसके बाद कुछ म्यूनिसिपल बोर्ड इस स्थिति में हैं कि जो कठिनाई से काम चलाते हैं पर कुछ तो ऐसे हैं जिनको काम चलाना ही कठिन है यहां तक कि जो रुपया सरकार के द्वारा डवेलपमेन्ट के लिये उनको मिलता है उसमें से तनख्वाह वगैरह चुकाने में खर्च कर देते हैं हमारी हिदायतें और कानून होते हुए भी कि इसे सिवाय डवेलपमेन्ट के कामों के और कामों में न लिया जाय ऐसे म्युनिसिपिल बोर्ड कम नहीं हैं। उनमें खास तौर से बड़ी और बिल्कुल छोटी नगरपालिकायें हैं और बीच के बोर्डों की स्थिति सामान्यतः है। लेकिन बहुत बड़ म्युनिसिपिल बोर्ड और बहुत छोटे म्युनिसिपल बोर्ड जो कि रूरल करेक्टर के हैं और वह टैक्स लगाने की बात करते हैं, तो वहां के व्यापारियों पर असर पड़ता है। इसलिए उनका काम बड़ी कठिनाईयों से चलता है। इसलिए और किसी

Page No.93

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कारण से नहीं बल्कि म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर्स को कुछ समय अपना देना होता है इसलिये वे देते हैं। अगर कोई मेम्बर अपना समय देता है और उसके बदले में कहिये या उसकी सेवाओं के बदले आप उसको कुछ अलाउन्स के तौर पर पैसे दे देते हैं तो उसमें निष्काम कर्म की भावना खत्म हो जाती हो, यह बात नहीं है। यह तो जो भी आदमी काम करता है अगर वह स्वार्थ की गरज से करता है या वह बोर्ड में इस गरज से आता है कि मैं कुछ कमाने आता हूं तो यह भावना नहीं होती। अगर वह इसलिए आता है कि मैं सेवा करूंगा और इसलिए अगर उसको कुछ दिया जायेगा तो वह अच्छी सेवा कर सकेगा, यह तो ठीक है। थोड़ा आप उसको अलाउन्स इसलिए दे दें कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और इससे उसको कुछ सहायता मिलेगी तो ठीक है, इसे मैं भी स्वीकार करता हूं। यह निष्काम कर्म की बात है उसके खिलाफ कोई बात नहीं पडती और अगर कोई आदमी अलाउन्स लेता है, और कोई आदमी चाहे जितना निष्काम हो, लेकिन फिर भी उसके जीवननिर्वाह के लिए कुछ न कुछ मिलना ही चाहिए। अगर कोई समाज की सेवा के लिए कुछ समय अपना लगाता है तो समाज की ओर से उसको कुछ मिलना चाहिए, चाहें वह किसी भी रूप में हो। मैं समझता हूं कि जितने भी समाज की सेवा करने वाले हैं जिनके लिए हम मानते है कि उन्होने निस्वार्थ भाव से सेवा की उनको भी अपने जीवन यापन के लिए समाज से मिलता है, चाहे किसी भी रूप में मिलता हो। हमारे पुराने समय में ऋषि, मुनि भी जंगलों में तपस्या करते थे, उनको भी समाज की ओर से, चाहे श्रद्धा के रूप में सही, चाहे भक्ति के रूप में ही सही, कुछ मिलता था और इससे उनका काम चलता था, यह बात और है कि मेम्बर्स को निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रेक्टिकल बात इसको नहीं माना जा सकता क्योंकि म्युनिसिपल बोर्ड्स की परिस्थिति अच्छी नहीं है और बहुत से म्युनिसिपल बोर्ड्स ऐसे हैं कि जो अपने म्युनिसिपल बोर्ड्स के एम्पलाइज़ को तनख्वाह नहीं दे सकते, नये टैक्सेज़ लगाने में उनको जनता का मुकाबिला करना पड़ता है इसलिए वह नये टैक्स नहीं लगाते कि जनता नाराज़ हो जायेगी और उससे उनको दुबारा वोट लेने हैं। अगर वह टैक्स लगाते भी हैं तो खिलाफ पार्टी वालों को मौका मिलता है। आज भी एक डेप्युटेशन मुझ से मिलने के लिए बैठा हुआ है, कहीं से तार आया हुआ है, आज भी कुछ आदमी मिलने के लिए बैठे हुए हैं, तो इन सारी बातों को हमें प्रेक्टिकल रूप से देखना चाहिए। अगर म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर्स को अलाउन्स या सेलेरी दें क्या यह प्रेक्टिकल होगा। मैं यह महसूस करता हूं कि यह बात प्रेक्टिकल नहीं है क्योंकि आर्थिक कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं। अगर कोई मेम्बर इलेक्ट हो जायगा तो कहेगा कि तनख्वाह मुकर्रर करो तो, हो जायगी, लेकिन देने के लिए कहां से आयेगा जबकि आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए या तो एम्पलाईज़ की तनख्वाह बन्द हो जायेगी या जनता के विकास के काम बन्द हो जायेंगे या फिर कहेंगे कि ग्रेंट-इन एड बढ़ा दी जाये इसलिए मैं तो सिर्फ इतनी बात कहकर माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यह प्रेक्टिकल नहीं है। वैसे जिस भावना से उन्होंने यह बात रखी है, उसको मैं एप्रीशियेट करता हूं। यदि कोई आदमी समाज की सेवा करता है तो कुछ न

Page No.94

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कुछ उसको मिलना चाहिए। मगर मैं आपको बताऊं कि म्युनिसिपल बोर्ड की बैठक महीने में एक या दो होती हैं। मैं जानता हूं कि कठिनाई ज़रूर होती है। मैं भी जानता हूं कि थोड़ा सा अलाउन्स रहेगा तो अटेन्डेन्स अच्छी हो जायेगी। मुझे भी म्युनिसिपल बोर्ड में दो-दो और तीन-तीन घन्टे मेम्बरों की इन्तज़ार करनी पड़ती थी कि अगर वह आ जायें तो कोरम पूरा हो जाये। कठिनाइयों के लिए मैं जानता हूं, लेकिन उसको दूर करने का उपाय यह ठीक नहीं है। अगर इस उपाय को काम में लायेंगे तो ज्यादा कठिनाई में हम पड़ जायेंगे और म्युनिसिपल बोर्ड की स्थिति जो खराब है, वह और भी ज्यादा खराब हो जायेगी। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर काफी बहस हो गई है और सब माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपनी अपनी राय ज़ाहिर की है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपना अमेंडमेंट वापिस लेने का कष्ट करें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): माननीय डिप्टी स्पीकर, मैं, जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि वापिस ले लूं तो फाइनली तो I will withdraw it, but certain very important issue were raised when certain Hon Members were speaking against my amendment They tried to inter link my modern amendment with Bharatiya Sanskriti. It is our misfortune that for all things for which we have no argument, we always shield behind Bharatiya Sanskriti. I have not been able to locate the instance of a single municipality or district board either in Maha Bharat or Gita or any other sacred book. I only know that municipalities were established in this country either probably during the reform period or Lord Rippon or Lord Mayo. Therefore, for me to adduce arguments either for or against this motion and to draw inspiration from Bharatiya Sanskriti will be very much out of place.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : On the point of order, Sir, यह मैं निवेदन करूंगा कि चाणक्य की नीति में भी.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। हां, आप (श्री श्रीभानसिंह) आरम्भ रखिये।

श्री श्रीभानसिंह : (जारी) I must compliment the Hon'ble leader of the Ram Rajya Parishad that atleast once he gave his opinion on this Municipalities Bill and I hope that he will be frequently enlightening this House on this Bill.

The only argument was that to accept an allowance for going to attend a meeting would be 'Apman Janak;' 'Apman Janak hoga', these were the words used. I fail to understand that when a certain allowance is fixed for attending a meeting of the Municipal Board and a certain salary is fixed. how does it become 'Apman Janak'? The other argument that was given was that this would not be practicable. The argument of practicability is rather contradictory to the Bill and its provisions. We have now made provision that all Municipal Boards will have a population of 8000 and

(श्री श्रीमानसिंह)

the Boards having population less than 8000 will be abolished or will not be called Municipal Boards under this Act. The limit of 8000 has been kept with a comprehensive view about their income expenditure and powers of taxation. If a Municipal Board of 8000 population is unable to pay its members an allowance or a salary and, as the Hon'ble Minister said, that these boards will have to be kept up by the Government just as the present boards are being kept up by the Government grants-in aid, then I would suggest that such caricatures of the Municipal Boards should be abolished immediately. They should be abolished when they are unworthy of their task. There is no need of maintaining them. at the Government expense. Therefore, the argument of practicability does not hold good.

One of the Hon'ble Members drew a distinction as to what types or classes generally come as members He said that two types of person come to represent in our institutions; first is rich and the second is poor people. For rich people he said that since they can afford, they may not accept the allowances and salaries; but may I ask the Hon'ble Member as to who prevents these rich people from accepting these salaries and allowances ? Second is the poor people who come from a distance and have to pay for coming to the meetings of the Board of Committees. Besides they have to spend on the elections also. It is a paradox that while we have placed a limit on expenses by a candidate for Assembly, there is no limit for municipal elections. So leaving that aside, whatever a member spends from day to day on coming to attend the meetings of the Board, it is a charge upon the society to reimburse him.

Then it was said that people should come to the Municipalities with a sentiment of service. I would submit, Sir, that these democratic institutions will not work on sentiments or on such terms as 'Bhawna' or soul. These were the words which were applicable in the past, but in today's century to cite them is just to preach sermons. We may not give our members such amounts which are prohibitive, but atleast we must give them whatever they have spent out of their pockets.

One of the Hon'ble Members said that in the absence of the salary and allowances, lawyers will not be forthcoming for election. The Hon'ble Member has mis-understood me. I did not credit the lawyers as the sole gaurdians of our intelligentia. There are other intellectuals also who do not come to the Municipalities. They must be drawn from their homes and made to serve the society, and whatever monetatry loss they have to sustain by giving some of their time to the municipalities, must be made good. I have only suggested such salaries as the Board may determine. It is they who have to fix the amount

(श्री श्रीमानसिंह)

of salaries and allowances, if they keep it high the public opinion will be there to check it. Another Hon'ble Member said that the Panchayat Members will also start demanding salaries and allowances. Well, if they demand, what is wrong ? They are not demanding something which is unacceptable on principle. Their demand is obvious and natural for human beings. They must also get whatever thev spend from their own pockets. We cannot call the demands of the Municipilities as justified and those of the Panchayats as unjustified. Both are justified.

४ म० प०

Another criticism was levelled because we have not evaluated the right place of Municipilities in our democratic setup. To say that they will meet only once or twice a week, this should not be the purpose for which we want to create municipal boards. If this be the purpose then I will the first to shout 'please stop that'. They should fulfil certain day to day needs, the sanitation needs, the development of roads, our water works, health and hygiene, primary education etc. It is for these purposes that we create these institutions and not that they should meet once in a blue moon. They should meet frequently. Our needs are daily multiplying and changing and when needs are changing and multiplying and then if our Municipalities meet once in a blue moon thn it will not serve our purpose. They should meet more frequently as a general body and they must meet daily and regularly as committees or sub-committees. The Members come to the Board in order to serve the society, their wards and their constituencies, and for this they must receive some allowances. So we must try to understand the right place of these local bodies and their right place is that they must meet more frequently. More frequent meetings shoud also be held in the case of Panchayats. Then only they can have their right place in the democratic structure.

Considering from any angle, from angle of democracy, economics, practicability, everything, we cannot say that the Municipal members should not claim any allowances or salaries. Only on grounds of sentiments we may say that they are not entitled.

The Hon'ble Minister gave the argument that it is a new idea. I do not consider it a new idea. As I said the the opinion is building around this thing. He, however, placed before the House the problem of the low income of the Municipalities. Ofcourse, if we want these institutions, their income problem will haveto be solved first and if the income problem is not solved, these institutions will not subsist. So, till the Hon'ble Minister is able to solve their income problem and he is in a better position to accept this amendment, at this stage I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्रीमानसिंह ने प्रस्तुत किया है in clause 54 'A' उसे वापिस लेने की इज़ाज़त दी जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की इज़ाजत दी गई।

श्री श्रीमानसिंह : I withdraw my amendment.

क्लॉज ५५.

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ ५५.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५५ में मेरा अमेण्डमेन्ट है :

"In sub-clause (1) insert 'duly attested by a Magistrate of the first or second class' after the words 'to that effect' in line 2."

और दूसरा अमेण्डमेन्ट है ओमिट सब-क्लॉज़ (२)

श्री अर्जनदास : ओमिट सब-क्लॉज़।

श्री उपाध्यक्ष : ओमिट सब-क्लॉज़ (२)

श्री श्रीमानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस अमेण्डमेन्ट पर दो शब्द कहने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I am putting the orher amendments.

श्री ज्वालाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ ५५ में यह संशोधन पेश करता हूँ...

डॉ० बहादुरसिंह : कौन से नम्बर पर है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : नं० १५६ पर। क्लॉज़ ५५ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"The following be substituted in place of the existing clause :—

"A member (other than the Chairman) wishing to resign his office may forward his written resignation through the Chairman to the Collector. When tha accaptance of the resignation by the Collector has been communicated to the Board, the member shall be deemed to have vacated his seat."

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो चेयरमैन की पोज़िशन है एक बोर्ड के अन्दर, वह स्पीकर की तरह नहीं है। वह प्रेसाइडिंग ऑफिसर भी है और एक एग्ज़ीक्युटिव हैड भी है उस म्युनिसिपल बोर्ड का। इसका मतलब यह हुआ कि वह चीफ मिनिस्टर का भी काम करता है और जब मीटिंग होती है तो म्युनिसिपेलिटी में स्पीकर का भी काम करता है। ऐसी हालत में उसको खुद को जिन्दा रहने के लिये भी, रेज़िग्नेशन किसी मेम्बर द्वारा देने की बात जो है उसे चेयरमैन पर छोड़ दी जाय तो यह बहुत गलत काम होगा। चेयरमैन जब मीटिंग में बैठता है तो मेजोरिटी और माइनोरिटी होने का ध्यान उसको रखना पड़ता है, जो काम उसने खुद ने किये हैं, उन्हें कमेटी से पास कराना होता है और खुद के काम कमेटी से पास कराने के लिये मेजोरिटी और माइनोरिटी बनती और बिगड़ती रहती है और ऐसी हालत में रेज़िग्नेशन जैसी चीज़ के बारे में शिकायतें आज भी ऑफिस में मौजूद होंगी, आज भी मैं कुछ म्युनिसिपल कमेटीज़ के बारे में जानता हूं जिनके बारे में नो-कोन्फिडेन्स जैसी चीज़ मूव हो रही है। लेकिन उन

(श्री ज्वालाप्रसाद)

मेम्बर्स ने जिन्होंने नो-कोन्फीडेन्स मोशन चेयरमैन के खिलाफ मूव किया है उनके खिलाफ तरह तरह की बातें लगाकर, नो कोन्फीडेन्स मोशन मूव होने के बाद भी, उन लोगों को माइनोरिटी में लाने के लिये दूसरे पक्ष के दो चार आदमियों के रेज़िग्नेशन उनके बगैर दस्तखतों के झूठे दस्तखतों से ले लेते हैं, जैसे प्रभूनारायण के नाम से लिख दिया कि मैं रिज़ाइन करता हूं और झूठे दस्तखत करा लिये, उसको लेकर बैठ जाते हैं और जब मिटिंग होती है तब उस नाम के मेम्बर को कहते हैं आप बाहर जाइये आपने रेज़िग्नेशन दे दिया है। तो जिस प्रकार के मेम्बर्स हैं और जिस प्रकार के चेयरमैन हैं जिनके यहां मेजोरिटी को माइनोरिटी बनाने और माइनोरिटी को मेजोरिटी बनाने के सारे वजूद कायम है, ऐसी हालत में चेयरमैन को इस प्रकार के अधिकार देना गलत होगा।

दूसरी बात रेज़िग्नेशन एक्सेप्ट करने की फंडामेंटली यह होनी चाहिये कि जो लोग मेम्बर बनाते हैं या इलेक्शन कंटेस्ट कराते हैं उनको ही रेज़िग्नेशन लेने और एक्सेप्ट करने का अधिकार होना चाहिये। कलेक्टर या जो मशीनरी इलेक्शन कंडक्ट कराती है उसको यह अधिकार होने से और उसके पास रेज़िग्नेशन जाने से और उसके द्वारा एक्सेप्ट करने से सही स्थिति होगी और बाद में उनके द्वारा ही बोर्ड को कॉमुनिकेट किया जा सकेगा और उसके बाद ही चेमरमैन को हक होना चाहिये। जो मेम्बर ड्यूली इलेक्टेड हैं और अपना ड्यू राइट मेम्बर की तरह एक्सरसाइज़ करता है उसको चेमरमैन अलग नहीं कर सकता। इसलिये मैं यह ज़रूरी समझता हूं कि मेरे इस अमेन्डमेंट पर सरकार को गौर करना चाहिये और इस तरह की स्थिति से सारे मेम्बर्स को निकालना चाहिये। जायज या नाजायज तरीके से अपनी चेयरमैनी कायम रखने के लिये मेम्बर्स के साथ खिलवाड़ न कर सकें, इसलिये यह आवश्यक है कि मेम्बर्स के जहां तक स्तीफे का सवाल है, स्तीफा मंजूर करने करने की सूचना जब तक कलेक्टर से वेरिफाइ न हो तब तक पूरा अधिकार मेम्बर का होना चाहिये। चेमरमैन को अधिकार नहीं होना चाहिये कि किसी कागज़ के टुकड़े के नाम पर किसी मेम्बर को उसके अधिकार से वंचित कर सके। इसलिये जो मान्यता है कि स्पीकर की तरह चेयरमैन गैर पार्टी का आदमी है ऐसी बात नहीं है। वह तो रात दिन नीचे जमीन तक पार्टी में घुसा हुआ है इसलिये उसी तरह से काम करेगा, फिर चाहे दफ्तर इन्क्वायरी करता फिरे कि दस्तखत श्रीभानजी के थे या नहीं...

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह : मेरा नाम आपने कैसे लिया कहीं मेरे दस्तखत तो नहीं कर दिये हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद : मिसाल के तौर पर आपका नाम लिया। जिस चेयरमैन का जीना इस पर मुन्नसर है उसको यदि इस प्रकार के अधिकार दिये जाते हैं तो यह चेयरमैन की गलती नहीं है कि वह इसका मिस यूज़ करे। माइनोरिटी है.मेजोरिटी नहीं है तो भी बेईमानी से मेजोरीटी बनाने की कोशिश की जाती है, लालच में आकर ऐसा करते हैं। इसलिये म्युनिसिपेलिटी के रेकार्ड की रक्षा करनी चाहिये। गलत तौर पर उसकी रेस्पेक्ट नहीं रहती। इसलिये यह जरूरी है कि यह

Page No.99

(श्री ज्वालाप्रसाद)

अधिकार चेयरमैन का होना नहीं चाहिये। मैंने यह अमेन्डमेंट मूव किया, सरकार की तरफ से यह फर्माया जायगा कि वह मेम्बर किसी मजिस्ट्रेट के उस पर दस्तखत करावे फिर चेयरमैन को दे। मेरी समझ में नहीं आता कि नाक सीधी पकड़ो या घुमाकर पकड़ो की बात क्यों की जाती है। म्युनिसिपल कमेटी से रेज़िग्नेशन देने का प्रोविज़न ऐसा होना चाहिये कि जो ऑथोरिटी है उसके पास रेज़िग्नेशन देवे तो जायज माना जाना चाहिये। इसलिये पहले रेज़िग्नेशन को मजिस्ट्रेट से वेरिफाइ करावें और फिर चेयरमैन को पेश करें और उसके बाद उसे मंजूर करने की बात हो तो चेयरमैन कह दें कि दो मीटिंग तो अटेन्ड करलें मेरे को तो वोट दे दें फिर चले जाना। मेरी समझ में नहीं आता कि रेज़िग्नेशन दिया है तो उसे डिले क्यों किया जाय, यह तो रेज़िग्नेशन है फौरन सैंक्शन होना चाहिये। इसलिये मैंने जो अमेन्डमेंट रखा है उसे मंजूर किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री चंदनमल वैद।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी; it has already been moved.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : But I will speak on the subject

(विराम)

Mr. Dy. Speaker, I will speak on the subject.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट था वह मन्त्री महोदय ने मूव कर दिया। मैं सिर्फ एक चीज़ पर बोलना चाहता हूँ। जो माननीय मिनिस्टर इन्चार्ज की तरफ से जिस प्रकार का अमेंडमेंट है और दूसरा नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य की तरफ से अमेंडमेंट आया है......

श्री अर्जुनदास : सपोर्ट कर रहे हैं ?

श्री पी० के० चौधरी : अपोज़ करता हूं। माननीय मन्त्री महोदय ने रखा है कि मजिस्ट्रेट के दस्तखत हों रेज़िग्नेशन देने के पहले। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कलेक्टर को ऑथोरिटी बना दिया है, रेज़िग्नेशन को एक्सेप्ट करने का या नामन्जूर करने का। इसमें जो बात खटकती है वह यह है कि अभी तक जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, म्युनिसिपेलिटीज़ के मेम्बर हैं वे पार्लियामेंट के मेम्बरों से कम नहीं हैं क्योंकि जिन वोटर्स ने आपको वोट दिया, उन्हींने उन्हें वोट दिया है, इसलिये सब बराबर हैं। जब रेज़िग्नेशन मेम्बर्स द्वारा करने की बात आई तो यह मालूम होता है कि सदस्य लोग दस्तखत कर देते हैं, अंगूठा लगा देते हैं, क्योंकि वे खुद चेयरमैन रह चुके हैं........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप बंगला जानते हैं, इसलिये मेरी बात को पूरा फोलो नहीं कर पाये, मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने नहीं कहा कि अंगूठा लगाते हैं, दस्तखत कर देते हैं, मैं कह रहा हूं कि कलेक्टर चुनाव कराता है, इसलिये वह प्रोपर ऑथोरिटी है, उसे अधिकार मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow any further debate on this point.

श्री अर्जुनदास : अंग्रेजी में भी कह दें, जिससे मेरी समझ में भी आ जाये।

श्री उपाध्यक्ष : No interruptions please.

(विराम)

No. I will not allow......

श्री अर्जुनदास : I wanted him say so in English and then reply.

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक इन क्लॉजेज़ पर जो बहस हुई है, जो डिस्कशन हुआ है, उसमें यह बताया गया है कि म्युनिसिपेलिटी के सदस्य कैसे होते हैं, उनका स्टेन्डर्ड क्या है, उनकी स्ट्रेक्चर क्या है, यह बताया गया। जब इस्तीफा मंजूर करने का सवाल आया तो मालूम होने लगा है कि सदस्य प्रेशर में आकर दस्तखत कर देते हैं, बगैर मर्जी से....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गलत दस्तखत ले लिये जाते हैं।

श्री पी०के०चौधरी : गलत दस्तखत ले लिये जायं, उसका दूसरा तरीका हो सकता है। अगर किसी मेम्बर के गलत दस्तखत हो जांय तो वह अपील कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसकी जांच हो सकती है कि आया गलत दस्तखत कर दिए हैं या नहीं। अगर चेयरमैन ने मंजूर कर लिया है तो चेयरमैन के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आखिर में अगर चेयरमैन किसी के गलत दस्तखत मंजूर कर देता है जब कि मेम्बर मीटिंग में दस्तखत करता है, उनके रोजाना दस्तखत सामने आते हैं, उसके बाद भी चेयरमैन गलत दस्तखत मंजूर कर लेता है तो यह उसकी मेलाफाइडी प्रूव करता है और वह कुछ भी कहे, वह भी एक पार्टी साबित होता है। इसलिए गलत दस्तखत कर देगा तो कोई इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर दस्तखत हो जाय तो अपील की जा सकती है। इसमें अपील करने का प्रोपर प्रोविज़न है। रिमूवल चेयरमैन नहीं करता है किसी का, इसी तरह इस्तीफा मंजूर कर देता है तो सदस्य अपने रिमूवल की अपील कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट के पास और उसको स्टेट गवर्नमेंट दुरुस्त कर सकती है। कलेक्टर को आप यह पावर देना चाहते हैं। हमारे मंत्री महोदय चाहते हैं कि इस्तीफा देने से पहले सदस्य मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट ले, उसको अटेस्ट कराये। मैं समझता हूं यह स्वायत्त शासन संस्था का अपमान करते हैं, उनका जो स्ट्रेक्चर है, उसको आप घटाते हैं। मेरा सबसे बड़ा एतराज इस बात का है कि आप उनके स्ट्रक्चर को घटा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें प्रेक्टीकल बेनिफिट मिलता हो। व्यावहारिक दृष्टि से, यह चीज़ आप ठीक समझते हैं कि इस तरह से चेयरमैन ने गलत तरीके से दस्तखत मंजूर किया है, ऐसी हाइपोथेटिकल चीज़ को मंजूर करने से पहले मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से और माननीय सदस्य से जो नसीराबाद से आने वाले हैं कि आज तक कितने चेयरमैन ने गलत दस्तखत मंजूर किये हैं। मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम इन्सटान्सेज़ होंगी। जब आप बिल पेश करते हैं, अमेंडमेंट लाते हैं तो आपके पास स्टेटिसटिक्स जरूर होने चाहिये। आज राजस्थान में १५०,२०० म्युनिसिपेलिटीज़ हैं, उनमें से कितने चेयरमैन ने गलत रेज़िग्नेशन एक्सेप्ट किए हैं......

श्री भैरोंसिंह : एक मेरी नॉलेज में है।

श्री पी० के० चौधरी : एक-आध केस होगा। जहां भी ऐसा किया है, उसको दुरुस्त कराने का तरीका है, स्टेट गवर्नमेंट के पास

(श्री पी० के० चौधरी)

अपील की जा सकती है। चेयरमैन को गलत दस्तखत पेश होते हैं और उसे ठीक माना जाता है, यह ऐसा तभी होता है जब कि गवर्नमेंट आॅथोरिटी इन्टेरेस्टेड हो। अगर इन्टरेस्टेड नहीं हो तो किसी चेयरमैन की हिम्मत नहीं होगी कि गलत दस्तखत को सही मान कर इस्तीफा मंजूर करे, क्योंकि उसका इमीजियेट इफेक्ट हो सकता है। कोई मसला आयेगा तो उसमें आप देखेंगे कि चेयरमैन ही नहीं, ऊपर की कोई पार्टी है, कोई एग्जीक्युटिव आॅथोरिटी है, उसमें इन्ट्रेस्टेड होगी, जिससे चेयरमैन ने हिम्मत की है। अगर आॅथोरिटी इन्ट्रेस्टेड नहीं हो तो चेयरमैन के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। मैं समझता हूं ऐसा व्यक्ति म्युनिसिपेलिटी का चेयरमैन तो क्या, मेम्बर तक रहने के काबिल नहीं हो सकता है। जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्लॉज़ है, जिसको आप पहले वाले म्युनिसिपेलिटी एक्ट में किया था और जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्लॉज पास कर रहे हैं, उसमें ऐसा रख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति म्युनिसिपेलिटी का चेयरमैन या सदस्य नहीं रह सकता जो गलत दस्तखत को जान बूझ कर मंजूर करता है। तो इसलिए मेरा आॅब्जेक्शन सिर्फ इस बात का है कि इस चीज़ को आप एक्ट में लाते हैं, इसको लाकर आप जनता को यह बता देंगे कि आप चुने हुए जो फर्स्ट सिटीज़न आॅफ सिटी हैं या टाउन हैं, उनको हम क्या रेस्पेक्ट देते हैं, उनके कन्डक्ट के बारे में आपकी क्या धारणा है, वे किस ढंग के आदमी हैं, उनका मोरल क्या है, आप साफ नक्शा दुनियां के सामने रख देते हैं कि आपका चेयरमैन ऐसा है, वह इतनी बदमाशी करने का आदी है कि आपको मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर पर ज्यादा भरोसा होता है, बनिस्बत उस सदस्य के जो कि १ लाख जनता के द्वारा चुना हुआ है। मैं इसको म्युनिसिपेलिटी की प्रेस्टिज़ के खिलाफ समझता हूं न कि सिर्फ चेयरमैन की प्रेस्टिज के खिलाफ है। जो लोग नगर में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, जो कि सदस्यों को चुनते हैं और सदस्य चेयरमैन को चुनते हैं, ऐसा चेयरमैन जो कि गलत दस्तखत से सदस्य के इस्तीफे को मंजूर करते हैं तो इस कानून को आप पास करेंगे और इसको दूसरे लोग देखेंगे, स्टेट के लोग और बाहर के लोग। आप इस कानून को बनाते हैं, इसका नमूना दूसरी जगह देखेंगे, उनके दिल में यह बात आयेगी कि राजस्थान में म्युनिसिपेलिटी का क्या स्टेन्डर्ड है, कि वहां गलत तरीके से किये हुए दस्तखत को चेयरमैन लोग मंजूर करते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर को ऐसा कानून रखना पड़ता है, उसमें गवर्नमेंट ऐसा अधिकार रखती है कि सिटी मजिस्ट्रेट....क्या है....सेकिंड क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की आॅथोरिटी माना जाता है, उसके दस्तखत को सही माना जाता है, वह ज्यादा रेस्पेक्टेबल है, बनिस्बत १५ हजार, २० हजार, १ लाख की आबादी द्वारा चुने हुए चेयरमैन के। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह हो सकता है कि आपके सामने ऐसे कई इन्स्टांसेज़ आ गये हों, मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे क्लॉज को बनाने से पहले जो राजस्थान के नागरिक हैं, जो नगर में लोग रहते हैं, उनके लिए सोचें कि इससे सारे निवासियों के करेक्टर के ऊपर स्लर होता है, रिफ्लेक्शन होता है। यह इस प्रकार का रिफ्लेक्शन डालने वाला कानून है, इस कानून के जो प्रोविजन हैं, इनसे साफ जाहिर होता है कि उनके ऊपर आपका भरोसा नहीं है। ऐसा कानून पास करने के पहले

(श्री पी० के० चौधरी)

स्टेटिस्टिक्स रहने चाहिए, जानकारी रहनी चाहिए कि राजस्थान में जो १५०-२०० म्युनिसिपेलिटीज़ हैं, उनमें कितने चेयरमैन ने ऐसा किया है। जैसा माननीय मंत्रीजी और नसीराबाद से आने वाले सदस्य के कहा, but exception is an exception.

आपने मिस-एक्सपीरियेन्स किया है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाय और डिस्क्वालिफिकेशन के क्लॉजेज़ के अनुसार उसको डिस्क्वालिफाई करके उसको वहां से हटा दीजिये, वह उसके लिए सफीशियेन्ट पैनॉल्टी है। लेकिन सिर्फ एक जगह पर ऐसा हो जाय, उससे यह मान कर बैठ जांय कि राजस्थान में जितने चेयरमैन होंगे, जो लोग रहते हैं, वे ऐसे लोगों को चुन कर भेजेंगे जिनके ऊपर इतना भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वे झूठे दस्तखत मंजूर करते हैं, जान-बूझ कर झूठे दस्तखत करते हैं, मैं तो कहूँगा कि इस कानून को पास करने से पहले स्टेटिस्टिक्स रखें, यह बतायें कि ऐसे इन्स्टान्सेज़ कितने हुए हैं। आखिर जो क़ानून हम बनाते हैं तो कानून बनाने के प्रिंसिपल्स होते हैं। ऐसी चीजों के लिए कानून नहीं बनाते हैं जो चीजें कभी नहीं हुई। 'Fraud goes ahead of the law'.

पहले कोई चीज़ होती है, उसको रोकने के लिये कानून बनाते हैं, पर जो चीज आज तक हुई नहीं है, उसके लिये कानून बना रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं बैठता। फंडामेंटल सिद्धान्त कानून बनाने का है वह यह है कि : 'generalisation of the human conduct'

इसमें एक्सेप्शन्स हैं, उनको रोकने के लिये कानून बनाते हैं, जब सिग्निफिकेन्स ऑफ एक्सेप्शन्स होती हैं, उनको रोकने के लिये कानून बनाते हैं। यह कानून बना कर you are casting aspertions on the Chairman. Not only on the chairman but on all the chairmen in future to come.

तो इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यह अमेंडमेंट है, हो सकता है कि इसके जो इन्टेशन्स हैं वे ठीक हों पर ये हमारी शान के खिलाफ है और जो हमारी शान के खिलाफ हो, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिये।

(दो माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जनदास।

श्री अर्जनदास (अजमेर-पश्चिम) : क्लॉज़ ५५ पर और उसके ऊपर मन्त्रीजी का संशोधन होने के बाद मुझे माननीय मंत्रीजी के संशोधन के लिये थोड़ा सा ही कहना है। खास तौर से यह कहना है कि जब पोलिटिकल पार्टीज़ अपने केन्डिडेट्स पुट-अप करती हैं तो उनसे पहले ही त्यागपत्र लेकर दस्तखत लेकर रखती हैं और फिर वे कभी पार्टी के खिलाफ जायें तो उनका त्यागपत्र, वह पार्टी सीधा ही भेज देती हैं। इसका क्या पता कि कोई आदमी फोर्जरी करके नहीं भेज सकता। वास्तव में कभी कभी तो यह डर रहता है कि कोई चेयरमैन ही फोर्जरी करे, यह बात नहीं; कोई सदस्य भी कर सकता है। कई दफा कोरे सफेद कागज़ पर दस्तखत करके मुंशीजी को दे देते हैं कि ऐसा मजमून लिख कर भेज देना। वह सफेद कागज़ अगर किसी के हाथ में आ जाय और वह उस पर त्यागपत्र लिख कर भेज दे तो यह गड़बड़ी हो सकती है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि उसको मानना चाहिये, त्यागपत्र तो उसको मानना चाहिये....

Page No.103

श्री पी० के० चौधरी : असेम्बली में तो ऐसा इस्तीफा नहीं आ गया है ?

श्री अर्जनदास : हो सकता है, वास्तव में त्यागपत्र तो उसको मानना चाहिये कि कोई सदस्य फर्स्ट क्लास, सेकिन्ड क्लास मजिस्ट्रेट के सामने त्यागपत्र पर दस्तखत करे और कहे कि मैं त्यागपत्र पेश करता हूँ।

इसके बाद नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया। आपने रखा कि चेयरमैन के पास भेज कर फिर कलेक्टर साहब के पास जाना चाहिये। ऐसी स्थिति अच्छी नहीं। मुझे एक चीज याद आती है, वह चीज मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। अजमेर म्युनिसिपेलिटी में ऑनरेबिल मेम्बर ने त्यागपत्र दे दिया है और मुझे बताया है कि ४ महीने पहले त्यागपत्र दे दिया है, पर वह अभी तक मन्जूर नहीं हुआ है। चेयरमैन के पास गया, पता नहीं वह उनकी दराज में रहा या जेब में रहा।

श्री ज्वालाप्रसाद : On a point of clarification, sir, जो एक्ट है, रेगुलेशन है उसमें डिप्टी मजिस्ट्रेट को देने का कायदा है। चैयरमैन को, माननीय सदस्य जबर्दस्ती बीच में घसीट रहे हैं। होगा तो मजिस्ट्रेट के पास होगा, रूल्स में चैयरमैन कहीं बीच में नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष : No. I will not allow.

श्री अर्जनदास : I am not debating.

श्री उपाध्यक्ष : Was it a personal reference ?

श्री अर्जनदास : I was giving him only a reference.

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य इस उदाहरण को न रखें।

श्री अर्जनदास : I have only for this first time heard that he has acceded this to be correct.

श्री ज्वालाप्रसाद : I have contradicted.

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow debate on this controversial issue. Mr. Arjan Das, you will kindly refrain from making such remarks.

श्री अर्जनदास : I have never meant this at least.

श्री उपाध्यक्ष : You will kindly behave in a proper way.

श्री अर्जनदास : To say that the resignation should be send to the Collector through the Chairman can create many complications and atleast the Hon'ble member from Nasirabad made his own way of thinking and I believe whatever was in his mind really came through his mouth. He says that he does maintain the majority. It is a matter of indifference. The Chairman can only continue till he holds the majority. Here when the Hon'ble member from Nasirabad was discussing it he further said that because the Chairman has got to maintain the majority, he has also to manupulate. If a resignation is there by any member, the Chairman should have authority to keep it in his pocket for a number of years together.

Page No.104

श्री ज्वालाप्रसाद : I expresse my apprehensions. I was addressing on a point to avoid such things and in a good mood.

श्री उपाध्यक्ष : I have very rightly followed the arguments Order please.

श्री अर्जुनदास : आदाब अर्ज़ । आज माननीय सदस्य ने कम से कम सच बता दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री अर्जुनदास : मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य का यह जो एक्सप्रेशन है, क्या उसका यह मतलब है कि आज जो बोले हैं वह सच है और पहले कभी सच नहीं बोले हैं ?

श्री अर्जुनदास : नहीं, मैंने यह नहीं कहा ।

श्री उपाध्यक्ष : डाइरेक्ट आदाब अर्ज़ करने की माननीय सदस्य ने नई परम्परा कायम कर दी है, वह ठीक नहीं है....

श्री अर्जुनदास : To give powers to a Chairman to keep the resignation of a member in his pocket for any number of days is a thing which I cannot conceive. I believe no other members of this House would accept it. There is another suggestion that the Chairman shall be bound to forward it within three days, then I would have given a different interpretation. This resignation from the members should not be at the discretion of the member but should also be the discretion of the Chairman also. It is for them whether Mr. A should not continue to be member of the House or Mr. A should continue. But this is a position which atleast I believe nobody will accept and I will request the Hon'ble members of the House not to accept this.

(श्री किशनसिंह बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत संक्षेप में बोलेंगे ।

श्री किशनसिंह (लछमणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी का रेज़िग्नेशन म्युनिसिपेलिटी के सभापति मंजूर कर देते हैं । मैंने देखा है कि म्युनिसिपेलिटी में एक सदस्य ने कहा था कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया । मैंने एक कागज दिया था म्युनिसिपेलिटी के उपाध्यक्ष को कि इस प्रकार से मेरा केस चल रहा है । उन्होंने एक कागज पर दस्तखत करा लिये । १० दिन के बाद म्युनिसिपल चैयरमैन का चुनाव होने वाला था तो उपाध्यक्ष ने उस पर जिन पर दस्तखत किये हुए थे उनका इस्तीफा लिखा लिया और उस पर उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया । उन्होंने चुनावों से एक दिन पहले उनसे कहा कि आपको वोट देने का अधिकार नहीं है । उसने कहा कि यह इस्तीफा मैंने नहीं दिया । उस बात के लिये उसने कार्यवाही की । आज उसको १० महीने हो गये हैं कोई नतीजा नहीं हुआ है ।

श्री अर्जुनदास : On a point of order, Sir, he is also giving an example.

श्री उपाध्यक्ष : आप भी कहां पीछे रह

(श्री उपाध्यक्ष)

गये थे ? आपने तो पूरा करके छोड़ा था। फिर भी आप एग्जेम्पल्स न दें।

श्री किशनसिंह : उसको एक्सपर्ट के पास भेजा। एक्सपर्ट ने लिख दिया कि उनके दस्तखत नहीं हैं। फिर उपाध्यक्ष ने दूसरे एक्सपर्ट के पास भेजा.......

श्री उपाध्यक्ष : आप इस झगड़े को छोड़ दीजिये। रिलेवेन्ट पोर्शन पर आ जावें।

श्री किशनसिंह : मैं यह कहूंगा कि इस्तीफा मंजूर करने का चेयरमैन को अधिकार नहीं होकर कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को दे दिया जावे, जिससे इस प्रकार से अधिकारों का दुरुपयोग न हो। यही बात मैं कहना चाहता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डमेंट मैंने रखा है उसके सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं कि इससे बोर्ड का इलेक्टेड चेयरमैन,होता है इसके प्रति अविश्वास जाहिर होता है और यह जाहिर किया गया कि कितने ही बोर्ड के सदस्यों ने ऐसा किया है और उसके बाद इस प्रकार के अमेन्डमेंट करने की बात यहां पर लाई गई है। मैं बड़े अदब से इस संबन्ध में कहूंगा कि हमने यह प्रोविजन रखा है कि अगर कोई सदस्य इस्तीफा देता है तो मजिस्ट्रेट से तस्दीक करा कर चेयरमैन को दे देवे। इसमें म्युनिसिपल बोर्ड के चैयरमैन के डिगनिटी के खिलाफ कोई बात नहीं है। यदि कोई सदस्य अपना इस्तीफा बाई पोस्ट भेजता है तो उसको एटेस्टेड तो कराना ही होता है और उसके लिये उस सदस्य को बुला कर पूछा जाता है और उससे असर्टेन किया जाता है कि आपने इस्तीफा दे दिया और वह कहता है कि मैंने आज इस्तीफा दे दिया है। चेयरमैन उसको असर्टेन करना ही चाहता है। हमने इसमें यही कहा है कि पहले मजिस्ट्रेट से तस्दीक करा कर ही भेज दें। इसमें कुछ मिसालें देकर बातें कही गई हैं और यह तो ठीक है कि जो सदस्य इलेक्ट होकर आते है वे नागरिक होते हैं, उनकी भी डिग्निटी होती है। लेकिन जो मौजूदा हालत है उसको हमें नहीं भूलना चाहिये। मेरे पास इस संबन्ध की कई शिकायतें आई थीं, हालांकि गवर्नमेंट को पावर्स हैं कि वह इसको देखे कि जो कुछ हो रहा है वह उचित है या नहीं। मेरे कोशिश करने के बावजूद भी उन सदस्य ने आकर कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया और चेयरमैन ने कहा कि दे दिया। इसको कैसे तस्दीक किया जावे। एक्सपर्ट तो दोनों तरफ से कहने के लिये तैयार हैं। एक एक्सपर्ट कहता है कि इसके दस्तखत हैं और दूसरा कहता है कि नहीं हैं। मैंने ऐसा देखा है; एक एक्सपर्ट ने कहा कि दस्तखत हैं और दूसरे ने कहा नहीं है। इससे बड़ी कठिनाई पड़ जाती है कि कौनसी बात बेसिक है। एक सदस्य जिसको पब्लिक ने इलेक्ट किया है, उसको राइट है अगर उसके राइट्स में किसी प्रकार की गड़बड़ होती है जैसे एक आदमी ने दस्तखत किसी कागज पर किये और उसने उसको इस्तीफा बना कर भेज दिया, तो उसके अधिकारों को सेफ गार्ड करना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कि किसी सदस्य के फन्डामेंटल राइट हैं उसकी रक्षा होनी चाहिये एक आदमी ने इस्तीफा दिया और उसका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हो यह नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह कोई खराबी की बात नहीं है। वह तो चेयरमैन बोर्ड के पार

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जावेगा। इसके पहले मजिस्ट्रेट के पास जाकर तस्दीक करा कर उसको दे देगा। फिर यह न होगा कि किसी रास्ते चलते व्यक्ति ने कहा कि दस्तखत करके भेज देते हैं कि मेरे मुकदमे में लगा देना और वह किसी के हाथ में पड़ जावे तो उसका इस्तीफा हो जावेगा। तो इस तरह की पोसिबिलिटी को एवोइड करने के लिये ऐसा रखा है। यह किसी के डिग्निटी के खिलाफ नहीं है। यह सेफगार्ड करने के लिये रखा है और मैं समझता हूं कि इसको मान लेना चाहिये। कलेक्टर की इसमें कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि हमने मजिस्ट्रेट के दस्तखत कराने की बात रख दी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे संशोधन को वापिस लेने का प्रश्न है, सफाई दी गई माननीय मंत्री महोदय की तरफ से उसकी रोशनी में मैं उसको वापिस लेता हूं। लेकिन वापिस लेने के साथ साथ यह रेगुलेट करने की बात और रह जाती है कि मजिस्ट्रेट से वेरीफाइ होकर इफेक्टिव कब होगा। इसके बारे में साफ बात नहीं आई। इसमें यह लाना चाहता हूं कि जिस रोज पेश किया जावे उस दिन हो जावे। वह रखा रह जावे यह उचित नहीं। यह इतना साफ नहीं है अगर साफ हो जावे तो मतलब निकल आवे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५५ के अन्तर्गत जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद-गुप्ता ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५५, संशोधित रूप में, स्वीकार की जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५५, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : क्लॉज़ ५६ सरल सा है।

श्री अर्जुनदास : यदि रात भर डिस्कशन करना हो तो इसको लीजिये, क्योंकि इसमें काफी कॉम्पलीकेशन्स हैं। इसको डेफर कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : We are taking clause 57. Shri Badri Prasad Gupta

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता : 'चार साल' के बजाय 'तीन साल' रख दिया जाय। इसमें यह है।

श्री अर्जुनदास : As stated in sub clause (d) A member shall not be eligible for election...

श्री उपाध्यक्ष : There are two amendments one for the words four years, substitute 'three years.'

For the words 'four years' substitute 'three Years.'

There is one more amendment. Substitute 'for' in place of 'or.'

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५७ में जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किये हैं, उनको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५७, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ५७, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज ५८

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : क्लॉज ५८ में सिर्फ एक इम्पोर्टेन्ट अमेन्डमेन्ट है सब-क्लॉज (९) में और वह यह है कि 'for sub-clause (9) the following may be substituted· '(9) Every chairman and every Vice-Chairman of a Board shall forthwith be deemd to have vacated his office, if a resolution expressing want of confidence in him is passed by the votes of a majority of the whole numbers at a special general meeting convened for the purpose.''

अब तक प्रोविजन ऐसा था कि यदि एक बार अगर मेजोरिटी से अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है तो वह पास हुआ एक मीटिंग से नहीं माना जाता है। दुबारा नोटिस देकर मीटिंग बुलानी पड़ती है। फिर मेजोरिटी हो जाती है, लोग-बाग मेनुपुलेट करते हैं, न मीटिंग बुलाते हैं और एक महीने के लिए क्यॉस मचा रहता है। इसलिए यह रखा है कि अगर मेजोरिटी ने एक बार भी अविश्वास प्रकट कर दिया है तो उसे पास माना जाय।

श्री उपाध्यक्ष : There is another amendment in sub-clause to insert 'a' ..

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह लैंग्वेज़ का करेक्शन है। 'ए' सब्स्टिट्यूट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा): मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ५८ में जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५८, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ५८, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ५६

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : ५.६ में, बिलकुल थोड़ा है ।

"An election petition would be filed by a candidate or by a municipal commissioner .. "

श्री जनार्दनराय नागर : मंजूर है ।

श्री उपाध्यक्ष : आतुर न होइये ।

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है कि गवर्नमेन्ट की ओर से अमेन्डमेन्ट्स रश-अप किये जा रहे हैं ?

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : we shall now meet tomorrow at 11 A.M.

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल ४ बजे कर ५६ मिनिट पर मंगलवार दिनांक २ दिसम्बर, १९५८ को मध्यान्ह-पूर्व ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

———

संक्षिप्त विवरण

(सोमवार, १ दिसम्बर, १६५८)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

सब-डिविज़न ऑफिसर, फतेहपुर की नागरिकों द्वारा शिकायत ।

सांचोर तहसील में राजस्व वसूली ।

मन्त्रियों की काश्मीर यात्रा ।

स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर को ३० लाख का लोन ।

गांव सेजरासर (तहसील लूण-करणसर) के किसानों से लगान वसूली में धांधली ।

कस्टम्स एण्ड एक्साइज़ विभाग का बरखास्तशुदा कर्मचारी ।

जयपुर में बालिकाओं की मिडिल व प्राइमरी स्कूलों की अध्यापिकाओं को समय पर वेतन न मिलना ।

जोधपुर शहर के समीप की खानों का मलवा व कचरा ।

सीकर की गोचर-भूमि ।

गिरदावरी में गलत इन्द्राज़ ।

सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए लोन पर ब्याज ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा

४४१५ पिछड़ी जातियों को मकान निर्माण हेतु वितरित धनराशि ।

प्रतापगढ़ स्कूल भवन के लिए ५००) रु० का लोन ।

नायब-तहसीलदार, बाली द्वारा एक जागीरदार से मिलकर हजारों बबूल के पेड़ कटवा देना ।

तहसील बोली में सन् १६५७ में तकावी वितरण ।

राजस्थान में सांटिया जाति की जिलेवार संख्या ।

संचालक, जन सम्पर्क कार्यालय का फिक्सेशन ।

कस्बा भीलवाड़ा की आराजी नंबर २,६८२ तथा २,६३० की भूमि ।

किशनगढ़ सब-डिविजन के तालाब व कूप पंचायतों के सुपुर्द किया जाना ।

खनिज विभाग के डाइरेक्टर द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरे ।

ग्राम रोपी, जिला जालोर में मारबल के लिये प्रार्थना-पत्र ।

करनपुर विकास खण्ड द्वारा पक्की ईंटों का वितरण ।

पटवार सर्किल पीगलोद और

	स्कम्भ		स्कम्भ
सलेमाबाद में सहणों की संख्या तथा उम्र सम्बन्धी ।		**विधायी-कार्य**	
तहसील लालसोट के प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी ।		**राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५७**	४४८०
तहसील श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) के नम्बरदार का चुनाव ।		विचार-विमर्श	
राजगढ़ तहसील के कुछ ग्रामों में बने कुण्ड ।		उपरोक्त विधेयक पर आज खण्ड २४ से विचार आरम्भ हुआ । खण्ड २४, २६, २७, २६, ३०, ३३, ३४, ३७, ३८, ३६, ४१, ४३ से ४८, ५१, ५२, ५५, ५७, व ५८ संशोधित रूप में स्वीकार किए गये ।	
नीमलावाला Iron ore का Lease दौसा क्षेत्र ।		खण्ड २५, २८, ३१, ३२, ३५, ३६, ४०, ४२, ४६, ५०, ५३, व ५४, बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए ।	
बाजार में दूकान खोलने के लिये नगरपालिका की स्वीकृति लेना ।		नये खण्ड ३६-ए, ४१-ए, ४१-बी, ४८-ए, व ४८-बी भी जोड़े गये तथा खण्ड ५६ स्थगित किया गया।	
प्रश्नों के उचित उत्तरों सम्बन्धी प्रस्तुत की गई आपत्ति पर अध्यक्ष महोदय का निर्णय	४४७६	**मंगलवार, दिनांक २ दिसम्बर, १६५८ की कार्य सूची**	
श्री भैरोंसिंह (१४) द्वारा प्रस्तुत उक्त आपत्ति पर अध्यक्ष महोदय का निर्णय था कि प्रश्न स्पष्ट होने चाहिये तथा मंत्रियों द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध की जानी चाहिये ।		राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५७ (अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श)	

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ६४० का उत्तर देखिये)

व्यक्तियों की सूची जिनको तकावी दी गई ।

१.	पन्ना पुत्र गिरधारी रेगर	ऑर्डीनरी तकावी ।
२.	भंवरसिंह पुत्र रामनाथसिंह	,,
३.	गंगाधर पुत्र चन्द्रा माली	,,
४.	श्री हरिवल्लभ पुत्र शिवप्रसाद	तकावी ग्रोमोर फूड
५.	श्री भौंरीलाल पुत्र नाथूलाल	मरम्मत चाह पुख्ता
६.	श्री छीतर पुत्र पुन्या	,,
७.	श्री गुलाबचन्द पुत्र किशनगोपाल	,,
८.	श्री सम्मन्दसिंह पुत्र कल्याणसिंह	पुनर्वास विभाग द्वारा ।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ६४२ का उत्तर देखिये)

जिलेवार साटिया जाति की जनसंख्या की सूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	जन संख्या
१.	जयपुर	७१५
२.	टोंक	३३०
३.	सवाई माधोपुर	१००
४.	भरतपुर	८१७
५.	अलवर	३१
६.	झुन्झुनू	६५३
७.	सीकर	–
८.	बीकानेर	१,७८५
९.	चूरू	२९३
१०.	गंगानगर	२०
११.	जोधपुर	६,१४५
१२.	बाड़मेर	७३८
१३.	जालोर	३,५२८
१४.	पाली	५,६४०
१५.	नागोर	१०,९०७
१६.	जैसलमेर	६२
१७.	सिरोही	२,६२५
१८.	उदयपुर	२६२
१९.	डूंगरपुर	५०३
२०.	बांसवाड़ा	१२
२१.	चितौड़गढ़	५६

१	२	३
२२.	भीलवाड़ा	–
२३.	कोटा	६
२४.	बूंदी	–
२५.	झालावाड़	५
२६.	अजमेर	१०

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ६४३ का उत्तर देखिये)

LIST (A)

NAMES OF RETIRED OFFICERS WHO HAVE BEEN RE-EMPLOYED DURING THE LAST THREE YEARS.

S. No.	Name.	Period of re-employment.
MEDICAL		
1.	Dr. Sunder Lal.	3-1-56 to 14-7-57.
2.	Dr. Sujan Singh.	16-3-55 to 19-12-55.
3.	Dr. Radha Krishna Dadeech.	One year.
4.	Shri Nath Vyas.	Nine months.
5.	Dr. M. N. Agarwal.	One year.
6.	Dr. Mahesh Bal Sharma.	Six months.
7.	Dr. Gopi Ballabh Gupta.	11-7-55 to 2-8-55.
8.	Dr. Mrs. Acquimo.	3 years.
9.	Dr. Mrs Corlonuis.	3 years.
10.	Dr. Shyam Lal Kulshrestha.	16-2-56 to 30-9-58.
11.	(Miss) B. L. Devi.	One year and six months.
12.	Dr. K. L. Bhadra.	3 years.
13.	Dr. M. S. Katre.	2 years.
14.	Dr. R.D. Pancholi.	One year.
15.	Dr. Har Shiv Lal.	One year.
16.	Dr. Himmat Singh, Ophathalmologist.	One year from 4-3-57.
17.	Dr. C.M. Sharma.	One year from 24-8-57.
18.	Dr. P.N. Dhanda.	One year.
19.	Dr. R.P. Singh.	One year.
20.	Dr. Manohar Lal Mathur.	One year.
21.	Dr. G.D. Parikh.	Upto 8-10-58.

22	H.P. Gupta.	29-9-57 to 15-11-58.
23.	Dr. Chotey Lal.	Upto 13-3-58.
24.	Dr. B.H. Purohit.	One year.
25.	Dr. (Mrs.) Mangla Devi Talwar.	2 years.
26.	Dr. G.N. Asopa.	2 years.

EDUCATION.

27.	Shri Budh Sen Jha, Head Master.	Upta 30-6-55.
28.	„ S.S. Shukla, Lecturer.	From 1-7-55 to 6-7-56.
29.	„ R.K. Tripathi, Principal.	Upto 11-5-58.
30.	„ S.D. Ar ia, Principal.	One year.
31.	„ N.P. Mukerji, Head of Chemistry Department.	2 years.
32.	„ M.F. Sonawala.	Upto 30-4-57.
33.	„ R.C. Gupta, Head of Chemistry.	Upto 1-11-57.
34.	„ B.G. Mathur, Dy. Director, Technical Education.	Six months.
35.	„ Ram Gopal Gupta, Dy. Director of Education.	Two years.
36.	„ T.C. Mathew, Principal.	1-7-57 to 2-6-58.
37.	„ Ram Ratan Agarwal.	One year.
38.	„ E H. Ekbote.	1-8-57 to 30-4-58.
39.	„ P.C. Dass.	One year upto 30-4-58.
40.	„ Nand Kumar, Sanskrit College.	30-6-57 to 30-4-58.
41.	„ Balak Ram Gangwal.	Upto 30-6-58.
42.	„ Babu Lal Nigam, Lecturer in Hindi.	From 1-1-58 to end of the Session.
43.	„ R.P. Shrivastava, Jt. Director of Education.	One year.
44.	„ Ram Naraiu Bhargava, Lecturer in Mathemetics.	14-1-57 to 24-3-58

45. ,,	Ram Raghunath, Lecturer in Physics.	1-1-57 to 30-4-58.
46. ,,	M.N. Tolani, O.S.D. Education Department.	From 1-7-56

ACCOUNTS

47. Shri	Salig Ram. Acctts. Officer, Irrigation.	13-1-56 to 12-7-58
48. ,,	K.G. Mathur, Ex-Treasury Officer,	One year.
49. ,,	R.C. Bhargava, P.W.D. B.&.R.	One year and six months
50, ,,	R.C. Bhargava, Acctts. Officer, Irrigation.	One year.
51. ,,	Harish Chandra, RACS, (Retired),	Upto December, 1958.
52. ,,	D.N. Mehra, Acctts. Officer, Relief & Rehabiliation Department.	Six months.
53. ,,	M.R. Goel, Acctt. Officer, Forest Department.	One yearr
54. ,,	Sardarmal Dhariwal, Treasury Officer.	3 month.
55. ,,	C.B. Lall.	From 1-10-55 as Reforms Officer, F.D. From 1-10-57 to Sept. 1958 as Accounts Officer, Elec. & Mech. Department.
56. Shri	P.R. Batra, A.O. Chambal Project.	Six months.
57. ,,	K.N. Radha Kishan, A.O. Inspection	Upto 8-12-58.
58. ,,	Ram Narain, A.O. Project.	22-5-57 to 21-5-58.
59. ,,	M.M. Vashistha.	9-8-57 to 31-10-58.
60. ,,	N.C. Ghura, A.O.F.D.	9-2-56 to 31-10-58.
61. ,,	D.L. Puri, Principal, Acctts. Training School, Jaipur.	21-2-57 to 31-1-59.
62. ,,	A.R. Sethi,	From 12-12-56 to 30-9-58.
63. ,,	Bodh Raj Kapoor.	Up to 30-4-56 again up to 31-8-56.

64.	„ Punjab Singh.	From 1-2-57 to 31-12-58.
65.	„ Mohan Behari Lal, I A. & A.S., (Retired).	From 1-2-55

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

66.	Shri R.K. Sardena, Irrigation.	Upto 30-4-56.
67.	„ Chiranji Lal, Asstt. Engr.	2 years.
68.	„ K.S. Purohit, Asstt, Engr.	1 year.
69.	„ Baba Har Kishan Singh, Elec & Mech. Department.	Two years.
70.	„ Bhagwan Dass, Irrigation Deptt.	5-5-57 to 4-5-59
71.	„ H N. Pandey, B&R	One year.
72.	„ B.N. Khatri, Chief Engr. (Irrg).	Two years.
73.	„ C.B. Desai, P.W.D. B&R.	One year.
74.	„ Mangat Rai, P.W.D.	One year.
75.	„ I.P. Watel, Elecl. & Mech. Deptt.	Two years.
76.	„ S.S. Sood, Elect. & Mech. Deptt.	Three years.
77.	„ T.J. Mirchandani, C.E. Elec. & Mech. Deptt.	„
78.	„ P.M. Changappa, Elec, & Mech. Deptt.	„

R. A. S. OFFICERS RETIRED

79.	Shri Avtar Narain, R.A.S. (Retired) O.S.D. Agrears against Jagirdars.	1-2-57 to 28-2-59.
80.	„ Jaswant Singh Mathur, R.A.S. (Retd): Forest Settlement Officer.	Two years.
81.	„ Ram Dutt Sharma, R.A.S. (Retd)., Enquiry Officer-cum-O.S.D. Apptts.	From 18-6-57.
82.	„ P N. Kaul, R.A.S., Retired, O.S.D. Irrigation.	From 19-9-57 to 28-2-59.
83.	Shri A.A. Kherie, R.A.S. (Retired) Officer on Special Duty, Revenue.	25-4-55 to 28-4-59.

84. Shri R.N. Shukla, R.A.S. (Retired), Colonisation Officer. — 23-6-56 to 6-9-58.

I. A. S. OFFICERS (RETIRED)

85. Shri B.N. Tankha, I.A.S. (Retired). — From 8-1-57 as Director of Printing and Stationery. From 26-8-57 to 28-2-59 as O.S.D. (Jagir).

86. Shri Hetudan Ujjwal, I.A.S. (Retired) Principal, R.A.S. Training School, Jodhpur. — 1-3-57 to 14-9-58

R. H. J. S.

87. Shri A.N. Kaul, R.H.J.S. (Retired) Judge, Industrial Tribunal. — One year.

MISCELLANEOUS.

88. Shri Shri Ram Sharma, Suptd.Govt.Press — One year and six months.

89. Shri B.L. Sanadhya, Khalsa Officer, Udaipur. — 7-7-55 to July, 1956.

90. Shri K.D. Baweja, Principal S.K.N. Agriculture Institute, Jobner, — 30-9-57 to Oct., 1958.

91. Shri U.C. Bhhatacharaya, Curator. — Up to 1-12-58

92. Shri Hanuman Sahai Purohit, R.T.S. (Retired) (Wakf Department) — Six months.

93. Shri N.N. Sen, I.F.S. (Retired) Chief Conservator of Forests. — 22-1-55 to 21-4-59

94. Shri Kalu Ram Agarwal, R.S.S. (Retd.) O.S.D. Law Department. — 25-2-55 to 24-2-59

STATEMENT (B)

S.N.	Name of Officers.	Present age.
1.	Shri B.N. Tankha, I.A.S. (Retd.) O.S.D.	57 Years.
2.	Shri A.A. Kherie, R.A.S. (Retd.) O.S.D. Revenue.	57 Years.
3.	Shri P.N. Kaul, R.A.S. (Retd.) Administrator, Municipality, Jaipur.	56 Years.
4.	Shri Yadram, Accounts Officer, Sectt.	Information regarding age not available.

5. Shri A.R. Sethi, Administrator and Accounts Officer, Power House.	Information regarding age not available
6. Shri D.L. Puri, Principal, Accounts Training School, Jaipur.	59 Years.
7. Shri M.R. Goel, Accounts Officer, Forest Department.	56 Years.
8. Shri Dwarka Nath Mehra, Accounts Officer, Rehabilitation Department.	59 Years.
9. Shri N.N. Sen, I.F.S. (Retd.) Chief Conservator of Forests.	59 Years.
10. Shri R.G. Gupta, Deputy Director of Basic Education.	57 Years.
11. Shri R. P. Srivastava, Joint Director.	56 Years.

———

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ६५२ का उत्तर देखिये)

करणपुर विकास खण्ड द्वारा वितरण की गई पक्की ईंटों की सूची

वितरण की गई ईंटों की संख्या	किसे वितरण की गई	तारीख
१.	२.	३.
३६,१७५	डिग्गी, राडे वाला	२-१-५५
४०,०००	इन्दरसिंह बुजवाला	४-७-५६
३,०१०	सरवनसिंह बुजवाला	२२-२-५६
४२,०००	निरंजनसिंह, ३१ एच०	३०-१-५६
४०,०००	परघटसिंह, १६ एफ. एफ.	२४-१-५६
२०,०००	वैदिक औषधालय, श्रीकरणपुर	६-२-५६
२६,०००	सोहनसिंह, १६ एस०	७-३-५६
१०,०००	म्युनिसिपल बोर्ड, श्रीकरणपुर	७-१-५६
४४,०००	अस्पताल मुकान	३१-३-५६
२०,६००	सरपंच, गुलाबेवाला	३१-३-५६
८०,०००	सरपंच, पंचायत पानूर	—
५०,०००	हरिसिंह डुलिया, ३ ओ०	२०-१-५८
४०,०००	पं० किशनचन्द्र, ११ एफ. एफ.	२६-१-५८
१५,०००	सरपंच, नागी	१७-२-५८
४,७०,०८५		

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ६५५ का उत्तर देखिये)

LIST OF SCHOOLS IN TEHSIL LALSOT WITH NUMBER OF STUDEETS IN EACH CLASS.

Sl. No.	Name of School.	Number of boys classwise I	II	III	IV	V	Total	No. of teacher
1.	P S. Sedulia	9	6	5	–	–	20	1
2	P.S. Talera Jamat	10	8	7	–	–	25	1
3.	P.S. Telavgaon	6	5	2	6	4	23	1
4.	P.S. Shyampura	23	4	10	8	4	59	1
5.	P.S. Shrime	15	3	5	–	–	23	1
6.	P.S. Kherle Khurd	29	–	–	–	–	29	1
7.	P.S. Bhidoli	7	10	10	–	–	27	1
8.	P.S. Hodaili	10	12	9	–	–	31	1
9.	P.S. Devli	10	3	15	–	–	28	1
10.	P.S. Vysson ka Nohra	27	11	12	18	7	75	2
11.	P.S. Torda	32	–	–	–	–	32	1
12.	P.S. Daulatpura	22	9	7	–	–	38	1
13.	P.S. Goal	28	–	–	–	–	28	1
14.	P S. Maris	9	5	7	3	–	24	1
15.	P.S. Kellawas	33	15	18	12	7	85	1
16.	P.S. Lalsot	104	30	45	48	30	257	7
17.	P.S. Deosara	27	6	6	10	6	55	2
18.	P.S. Gandhi Lalsot	23	8	14	–	–	45	1
19.	P.S. Toda Ganga	26	–	–	–	–	26	1
20.	P.S. Kishorepura	10	6	4	–	–	20	1
21.	P.S. Sanwasa	12	12	8	4	–	36	1
22.	P.S Bhaipur	5	3	7	–	–	15	1

23.	P.S. Indawa	7	7	14	-	-	18	1
24.	P.S. Bilona	14	12	8	7	6	47	2
25.	P.S. Rahuwas	2	17	10	6	8	96	2
26.	P.S. Nijharna	15	10	12	13	6	56	2
27.	P.S. Shivsinghpura	15	10	-	-	-	25	1
28.	P.S. Rajoli	20	8	7	-	-	35	1
29.	P.S. Kishanpura	10	-	-	-	-	10	1
30.	P.S. Kankaria	12	8	4	-	-	2[illegible]	1
31.	P.S. Digo	6	6	3	-	-	15	1
32.	P.S. Dungarpur	7	4	-	-	-	11	1
33.	P.S. Toda Thekela	15	-	-	-	-	15	1
34.	P.S. Kalyanpura	2	5	12	-	-	19	1
35.	P.S. Dob	27	4	4	-	-	35	1
36.	P.S. Jhunperisrajawatan	8	6	5	8	4	31	2
37.	P.S. Amrawed	6	5	-	-	-	11	1
38.	P.S. Koliwale	10	6	-	-	-	16	1

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १ दिसम्बर, १९५८)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४४३०	६	वितरिस	वितरित
४४३६	अन्तिम से ६	Mr. Srivatav	Mr. Srivatava
४४४०	,, ६	We know tt	We knew it
४४४४	,, ३	क्वेशन	क्वेश्चन
४४५३	४	पुनर्संस्थापन	पुन: स्थापन
४४५६	अन्तिम से ११	अदेश	आदेश
४४६३	३	र वीकार	स्वीकार
४४६५	६	विप्रोजन	प्रोविज़न
४५१३	अन्तिम से १	dis qualsfied	dis-qualified
,,	,, १२	That is gi n	That is given
४५२५	,, १४	श्री अद्धत्त	श्री अध्यक्ष
४५२६	,, १७	श्री अर्जुनदास	श्री अर्जनदास
४५२७	३	srys	says
४५३१	१	Bell	Bill
४५३२	अन्तिम से १६	जावेगी	जावेगी
,,	,,	शब्दों	शब्दों
४५५४	८	गप्ता	गुप्ता
,,	अन्तिम से १६	Des	Does.
४५५८	,, ३	कठनाइयां	कठिनाइयां

१	२	३	४
४५६७	,, ८	आखिर	आखिर
४५७४	अन्तिम	और उ	और उस पर
४६०३	११	Minster	Minister
४६०४	८	a tends	attends
४६१६	अन्तिम से ६	विसियों	निवासियों
४६२१	,, १४	परस्परा	परम्परा
४६४१	अन्तिम से	25-4-55	29-4-55
४६४५	,, २	३८	३६